छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र

बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2020

(फाल्गुन 14, शक सम्वत् 1941)

[अंक 08]

Website copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2020

(फाल्गुन 14, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला राजनांदगांव में आर्सेनिक पेयजल से होने वाली बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था

1. (*क्र. 1246) श्री इन्द्रशाह मण्डावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक पानी पीने से होने वाली बीमारी की रोकथाम की क्या व्यवस्था है ? (ख) वर्तमान में जिले में कितने मरीज हैं ? (ग) प्रभावित मरीजों के इलाज में कितनी राशि वर्ष 2019-20 में खर्च की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए शुद्ध पेयजल का प्रदाय चौकी समूह जल प्रदाय योजना के द्वारा किया जा रहा है तथा ग्राम में आर्सेनिक पानी पीने से होने वाली बीमारी की रोकथाम हेतु ओ.पी.डी. तथा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सामान्य जांच एवं उपचार की व्यवस्था है. (ख) जिले में वर्तमान में मरीजों की संख्या 37 है. (ग) प्रभावित मरीजों के ईलाज के लिये वर्ष 2019-20 में पृथक से कोई आबंटन प्राप्त नहीं है तथा प्रभावित मरीजों के ईलाज के लिए शासन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है.

अध्यक्ष महोदय :- इन्द्रशाह मण्डावी।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक पानी पीने से होने वाली बीमारी की रोकथाम की क्या व्यवस्था है? वर्तमान में जिले में कितने मरीज हैं और प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए कितनी राशि वर्ष 2019-20 में खर्च की गई?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, एक तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी व्यवस्थानुसार यदि कोई आर्सेनिक से कोई व्यक्ति ग्रसित हो गये तो उनकी उपचार की गई। सीधे-सीधे पानी के लिए हम पी.एच.ई. विभाग से भी बात करेंगे और ऐसे स्रोतों को तत्काल बंद करना चाहिए। विभाग ने 80 ऐसे स्रोतों को कैप भी कर दिया है। उनको बंद भी कर दिया है और शोधन यंत्र भी होते हैं, जहां आर्सेनिक की मात्रा ऐसी पायी जाती है कि वह शोधन यंत्र के

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

माध्यम से सुधारी जा सके तो वह शोधन यंत्र लगाने का काम भी पी.एच.ई. विभाग करती है। शेष इसके लिए अतिरिक्त किसी राशि की न तो व्यवस्था है और न ही प्रावधान है, न ही सीधे आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि सामान्य रूप में ही इसका उपचार होता है और शासन के पास जो राशियां और दवाइयां उपलब्ध हैं, उनसे यह पूरा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- मंडावी जी।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जरूर बता चुके हैं, परंतु यहां पर कितने लोगों का इलाज किन-किन विशेषज्ञों के द्वारा चल रहा है और उन्हें दवाइयां कितने अंतराल में दी जा रही हैं?

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप यह अभी बता पायेंगे?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, एक ही का तो नहीं, लेकिन 37 मरीजों की जानकारी है। 6 मरीज बिहरीखुर्द के और 31 मरीज कौड़ीकसा विकासखंड के हैं। इन मरीजों की जानकारी विभागों के पास है। इनका उपचार चल रहा है। अतिरिक्त कोई बजट की या राशि की इनके उपचार के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय :- मंडावी जी आपको कोई विशेष बात मंत्री जी को याद दिलानी हो तो बता दीजिए।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- सर, इसमें मेन यह है कि 18 गांव प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा ।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी :- और 18 गांव में लगभग 12 लोग खत्म हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गांव में शिविर लगाये गये हैं और कब-कब लगाये गये? कृपया जानकारी देने का प्रयास करेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं माननीय सदस्य को जानकारी विस्तार में दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री यू.डी. मिंज।

<u>एन. एच. 43 के निर्माण में प्राप्त खनिज रायल्टी</u>

2. (*क्र. 593) श्री यू. डी. मिंज : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन. एच. 43 कुनकुरी से शंख तक सड़क निर्माण हेतु किस-किस खनिज सामग्री के लिए खनिज विभाग को कितनी-कितनी रायल्टी कब-कब जमा की गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार निर्धारित समय में खनिज रायल्टी नहीं जमा किये जाने पर नियमानुसार कितनी पेनाल्टी ली गई ? (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार यदि पेनाल्टी नहीं ली गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है ? क्या उस पर कार्यवाही की जायेगी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (ख) वर्तमान में रूपये 8,66,400 पेनाल्टी खनिज विभाग द्वारा अधिरोपित है। 02 प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, जिला-जशपुर में विचाराधीन है. (ग) कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नेशनल हाइवे एन.एच. 43 कुनकुरी से शंख तक रायल्टी के संबंध में जानकारी मांगी थी, उसमें मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई, उसमें मात्र 66 किलोमीटर के सड़क निर्माण में गिट्टी और रेत का ही जानकारी दी है जो खनिज की मात्र 1 करोड़ 66 लाख रूपये वसूली की गई है। क्या इसमें मिट्टी और मुरूम का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो जानकारी दी गई है गिट्टी और रेत की जानकारी दे दी गई है और उसके बाद जो मिट्टी मुरूम की इस्तेमाल हुआ है, उसका भी है। चूंकि पहले जो खनिज विभाग को रायल्टी पटाने वाली जानकारी दी गई है, वह जानकारी है। ठेकेदार ने खनिज विभाग में जो राशि जमा नहीं की है, उसकी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। विभाग ने उसके बिल से राशि को रोका है, उसमें इसके मिट्टी मुरूम का भी है । विभाग ने जमा करने के लिए 51 लाख 25 हजार 3 सौ रूपया रोक रखा है।

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग "ख" में बताया गया है कि 8 लाख 66 हजार रूपया ठेकेदार के द्वारा अग्रिम रायल्टी खनिज विभाग में जमा की गई है। इसमें मैंने प्रश्न किया था कि खनिज विभाग को रायल्टी समय पर जमा नहीं की गई है, तो नियमानुसार कितनी पेनाल्टी ली गई है ? अभी तक मात्र 1 करोड़ 66 लाख रूपये रायल्टी के रूप में विभाग में जमा की गई है और विभाग ने रोककर रखी हुई है। मतलब ठेकेदार जो भी सामग्री उठा रहा है, उसकी रायल्टी जमा नहीं कर रहा है। जबकि अग्रिम जमा करने के बाद ही किसी खनिज सामग्री को उठाया जाना चाहिए। मंत्री जी क्या बताना चाहेंगे कि इसमें कौन दोषी अधिकारी हैं और क्यों पेनाल्टी नहीं ली जा रही है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक के प्रश्नों का पूरा उत्तर दिया गया है। मैंने अलग-अलग भी बता दिया है कि उसने रायल्टी जमा किया है। रायल्टी जमा करते हैं और सर्टिफिकेट लाते हैं तब हम उनके बिल का भुगतान करते हैं। तो उसने 1 करोड़ 57 लाख रूपये गिट्टी के मद में जमा किया है और रेत के मद में 8 लाख 50 हजार, कुल 1 करोड़ 66 हजार जमा किया है। उनका "ख" प्रश्न है कि रायल्टी जमा नहीं किए जाने पर कितनी पेनाल्टी ली गई है ? तो खनिज विभाग के द्वारा 8 लाख 66 हजार पेनाल्टी चार्ज किया गया था और वह भी चालान के द्वारा जमा हो गया है। रेत के 2 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। उसके बाद उनका बिल आया, लेकिन खजिन विभाग से

[1] † परिशिष्ट "एक"

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं लाया था, परन्तु विभाग ने 3 करोड़ 87 लाख रूपये रोका हुआ है। जब वह खनिज विभाग से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ले आयेगा तो हम उसको जारी करेंगे। अगर नहीं लायेगा तो हम उसको काटेंगे।

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसमें मात्र गिट्टी और रेत का 1 करोड़ 86 लाख रूपये रायल्टी के रूप में जमा किया गया है। बाकी जो सामग्री इस्तेमाल की गई है, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो अग्रिम खनिज विभाग में जमा किया गया है, उसमें इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 8 लाख 66 हजार रूपये अग्रिम के रूप में जमा किया है। क्या इतने बड़े काम के लिए जहां लगभग 10 करोड़ रूपये रायल्टी की वसूली होनी चाहिए, उसमें अभी तक मात्र 1 करोड़ 66 लाख और मात्र 8 लाख 66 हजार अग्रिम जमा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसी-उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं।

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये। ठीक है आप डायरेक्ट कहिये कि आप..।

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराया जाये। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी, इसमें जांच करा लीजिये। माननीय विधायक जी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कह रहे हैं। श्री रेखचंद जैन।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कई बार जांच के लिए निर्देश देते हैं। आपने मेरे भी एकाध प्रश्न में जांच के निर्देश दिए हैं। माननीय मंत्रीगण को आसंदी से ऐसा निर्देश मिलते रहता है। लेकिन जांच की रिपोर्ट कब देंगे, कितने दिन में देंगे ? कई बार मिलता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस पर आपका निर्देश स्पष्ट आना चाहिए कि आप 30 दिन में, 60 दिन में, सदस्य को या सदन को सूचित करें, करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अनगिनत लेट चलता है, इनडेफनीट लेट चलता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं अधिकतम और न्यूनतम कितना समय है, अपने सचिव महोदय को बोल देता हूं। वह मुझे बता देंगे तो उस हिसाब से आने वाले दिनों में करेंगे। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बस्तर जिला में शौचालयों का निर्माण

3. (*क्र. 1123) श्री रेखचन्द जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2017-18 से प्रश्नांकित तिथि तक किस-किस योजना से कितने-कितने शौचालयों का निर्माण किया गया ? योजनावार व विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में किस-किस वेंडर को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? वेंडरों का चयन किस आधार पर किया गया था?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) योजनावार व विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-एक" में है. (ख) प्रश्नांक "क" के संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित शौचालयों हेतु वेंडरों को भुगतान नहीं किया गया है. महात्मा गांधी नरेगा एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित शौचालयों हेतु वेंडरों को भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-एक" में है. वेंडरों का चयन ग्राम पंचायत स्तर से समय-समय पर भाव-पत्र आमंत्रित कर किया गया था.

श्री रेखचन्द जैन:- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14वें वित्त के तहत 98 हजार 439 शौचालयों का निर्माण किया गया है और 118 करोड़ 12 लाख 68 हजार रूपये का भुगतान किया गया है। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वेन्डरों का चयन किया गया है, उसका मापदण्ड क्या था ? क्या वेन्डर सेल्स डिपार्टमेंट में पंजीकृत हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- शौचालय से वेंडर का क्या काम है ?

श्री रेखचन्द जैन :- अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में ग्राम पंचायतों के माध्यम से शौचालय बनवाना था, पैसे आये और ग्राम पंचायतों के द्वारा वेंडर निर्धारित कर दिए गए । वेंडरों ने बिल लगाकर पैसे निकाल लिए और पंचायत के सरपंच आज भी घूम रहे हैं, शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो शौचालय के निर्माण हुए हैं, इसका भौतिक सत्यापन करायी जाए और जो सरपंच हैं, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में माड़पाल, कलचा, नगरनार, भेजापदर, बिलौदी, मारकेल, माझीगुड़ा, कचला, गैकागढ़, करनपुर इन पंचायतों में वेंडरों के द्वारा बिल लगाकर पैसे तो ड्रा कर लिए गए और थोड़ा सा मटेरियल डाला गया, पर शौचालय का काम पूरा नहीं हुआ । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिए । मंत्री जी, पहले आप उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे खुद ही मांग कर लें कि जांच करा दी जाए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष जी, नि:संदेह जांच करा दी जाएगी । जो भी जानकारी सदस्य दे रहे हैं, और भी कोई जानकारी हो तो पूरी जांच करा दी जाएगी ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी, जिस परिस्थिति का वर्णन माननीय विधायक जी ने किया है । प्रदेश में सभी जगह शौचालयों की यही स्थिति है । सरपंच कर्ज में डूबे हुए हैं और उनसे कोई न कोई बहाने से पूरा काम करा लिया गया और उनको पेमेंट पूरा नहीं हुआ है या तो बीच के मध्यस्थ ने पैसा खा लिया या विकासखण्ड से नहीं मिला । मैं मंत्री जी से यह जानना भी चाहूंगा और आग्रह भी करूंगा कि इसकी विस्तृत जांच आप सभी कलेक्टरों के माध्यम से सभी जिलों में करा लें क्योंकि शौचालय निर्माण में जल्दबाजी में ओ.डी.एफ. तो भाजपा शासनकाल में सभी जगह हो गए, पर सभी सरपंच कर्ज में डूबे हुए हैं और कुछ सरपंचों की ये स्थिति हैं, वे कहते हैं कि अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हमें आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले सत्र में इसमें मेरा प्रश्न था, आपका उत्तर भी आया था । सवाल इस बात है कि इसमें तीन मद का मनरेगा से, एस.बी.एन. से और 14वें वित्त आयोग का उल्लेख है । जिस दिन भी, जिस प्रक्रिया से ये शौचालय बनाए गए, उसके भुगतान अब तक लंबित रहने के कारण क्या है ? एस.बी.एन. की राशि प्राप्त नहीं हुई या 14वें वित्त आयोग में अभिशरण किया गया तो 14वें वित्त आयोग की राशि उनको नहीं मिली या मनरेगा से अभिशरण किया गया तो राज्य की राशि नहीं मिली । आखिर ओ.डी.एफ. घोषित हुए मान लीजिए के दो साल हो गए, गड़बड़ी हुई, जो भी हुआ, पर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है ? यदि जांच लंबित थी, उसके कारण भुगतान नहीं हो रहा है या बन चुका है, सत्यापन हो गया है, जियो टेगिंग हो गई, उसके बाद भुगतान नहीं हो रहा है । यदि सबकी उपलब्धता के बाद भुगतान नहीं हो रहा है तो मंत्री उसमें कारण बताते हुए कार्यवाही करेंगे क्या ? और दूसरा वेंडर नियुक्त करने वाला अधिकारी कौन है और किस प्रक्रिया में किया ? कलेक्टर ने वेंडर नियुक्त किया, सी.ई.ओ. ने वेंडर नियुक्त किया, संचालक, एस.बी.एन. ने वेंडर नियुक्त किया या मंत्री जी ने वेंडर नियुक्त किया, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेंडर चयन की जो प्रक्रिया है, वेंडर चयन में और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदेश क्रमांक 4266, दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को एम.आई.एस. में वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड किया जा सकता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता समिति को ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- यह आपके ही समय का है । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आवश्यकता के आधार पर समय-समय भाव पत्र आमंत्रित कर वेंडर का चयन किया जाता है । क्रियान्वयन एजेंसी के प्रस्ताव पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा वेंडर को

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रजिस्ट्रेशन एम.आई.एस. पर किये जाने की अनुशंसा के आधार पर जिला स्तर पर डी.पी.सी. लॉगिन के माध्यम से वेंडर को रजिस्टर्ड किया जाता है । कार्य पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन पूर्ण होने पर सामग्री का भुगतान वेंडर को सीधे उसके खाते में किया जाता है । बस्तर जिले में कुल 8 वेंडरों की राशि 24 लाख के भुगतान शेष है । आवंटन प्राप्त होते ही वेंडर की शेष राशि का भुगतान किया जायेगा । दूसरा हिस्सा जो आया था कि पेमेंट कौन सा और कहां से पेंडिंग है, जैसा माननीय अजय जी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, 14 वां वित्त आयोग, यह तीन माध्यम से वर्तमान प्रश्न के तहत आवंटन आया था और इसमें कार्य हुआ । जिसमें बस्तर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के 78 करोड़ 2 लाख 28 हजार रूपये शत-प्रतिशत भुगतान हो गया है । बस्तर जिले के 14 वें वित्त आयोग के 6 करोड़ 88 लाख 56 हजार पूर्ण भुगतान हो गया है । जो शेष राशि 24 लाख रूपये की है, यह महात्मा गांधी नरेगा के 32 करोड़ 3 लाख 33 हजार रूपये में से 24 लाख शेष है ।यह सामग्री की राशि है, जो केन्द्र सरकार से भी आना शेष है । पत्राचार निरन्तर चल रहा है, राशि आते ही इसका भुगतान हो जायेगा । माननीय जोगी जी ने जो बात कही है, निस्संदेह सभी कलेक्टर्स को यह निर्देश भी भेज दिये जायेंगे कि आप इसकी समीक्षा कर लें । कहीं भी अगर पेंडिंग राशि है, विभाग के पास जानकारी है, मैं उपलब्ध भी करा दूंगा । किस मद की राशि शेष है, राशि उपलबध होने के बाद अगर भुगतान नहीं हुआ है तो क्यों ? ऐसी स्थिति में कि राशि भी उपलब्ध है और भुगतान नहीं हुआ है, उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अजीत जोगी :- धन्यवाद, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- सब तो हो गया भई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गये, 90 परशेंट सरपंच चेंज हो गये, सरपंच चेंज होने के चलते, पैसा आया भी तो भुगतान में थोड़ी तकलीफ जायेगी । उसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करें । आपके पुराने सरपंचों ने जो काम कराया है, उसका भुगतान हो जाये ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जिस एजेंसी ने काम कराया है, दिक्कत नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- सुश्री शकुन्तला साहू ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अपनी पार्टी के सरपंचों को भुगतान कराना चाहते हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता । वह जनप्रतिनिधि होता है । आप तो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य बन गये हो । आप शांत बैठो । शकुन्तला पहली बार प्रश्न कर रही है, उसको पूछने दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :-आप दो बार उठकर, बार-बार उठकर गये, लेकिन आपको उधर जगह मिलेगी नहीं ।

अप्रमाणित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा:- आप मेरी चिन्ता मत करिये, आप कहां है, यह बताईये ? आपके कई काम अभी भी बाकी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, प्लीज । पहली बार पूछ रही है, उनको पूछने दीजिए ।

जिला बलौदाबाजार भाटापारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे टेक्नीशियन एवं एक्स-रे मशीन की व्यवस्था

4. (*क्र. 1328) सुश्री शकुन्तला साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा उनमें से किन-किन सामुदायिक केन्द्रों पर एक्सरे-टेक्नीशियन पदस्थ हैं परन्तु एक्स-रे मशीन नहीं है ? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? (ख) इनमें से किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन तो हैं, परंतु एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, इन केन्द्रों में पदस्थ एक्सरे-टेक्नीशियन एवं एक्स-रे मशीन की स्थिति की जानकारी †[2] संलग्न परिशिष्ट अनुसार. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. समय-सीमा बताया जाना संभव नही है. (ख) इनमें से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल एवं पलारी में एक्स-रे मशीन तो है, परन्तु एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं है.

सुश्री शकुन्तला साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि बलौदाबाजार और भाटापारा जिले में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा इनमें से किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे टेक्निशियन तो है, परन्तु एक्स-रे मशीन नहीं हैं और इनमें से किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन है, परंतु एक्स-रे टेक्निशियन नहीं है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संदर्भित जिले के 6 विकासखंड बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी, लवन, सिमगा, सुहेला, यहां एक्स-रे मशीन सभी जगहों पर है, तकनीशियनों की जहां तक कमी है, जिन कारणों से यह प्रारंभ नहीं हो सके हैं, 3 जगहों पर ट्रांसफार्मर लगने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जो पूरा नहीं हुआ है, संबंधित विभाग से, जिला प्रशासन से, मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि अप्रैल महीने तक तीनों जगहों के ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है, पूरी कर ली जायेगी । चालू हालत में कसडोल में, सिमगा में, और 6 एम.ए. की मशीन पलारी में, यह तीनों जगह

---
†[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चालू है, जहां बंद है, वहां ट्रांसफार्मर रिचार्जिंग के कारण से इसको चालू भी करा दिया जायेगा, टेक्नीशियन भी उपलबध करा दिये जायेंगे, जहां मशीन है और चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- शकुन्तला ।

श्री अजीत जोगी :- उनका पहला प्रश्न है, पूछने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले उनको पूछने दीजिए ।

सुश्री शकुन्तला साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 महीना पहले वहां एक्स-रे टेक्निशियन था, परन्तु वहां रिलीव कर दिया गया है, वहां पर टेक्नीशियन मशीन है और टेक्नीशियन भी था तो उसको बिना टेक्निशियन आये रिलीव ही नहीं करना चाहिये था, साथ में पहले उसको रिलीव कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछो । शर्मा जी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक एक्स-रे मशीन सुहेला ब्लॉक में भी रखा हुआ है लेकिन एक कमरे के कारण उसका अभी तक संचालन नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि उसे वहां कब तक चालू करा देंगे?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिलहाल मशीन स्थापित नहीं है, एक्स-रे कक्ष स्वीकृत है, सी.जी.एम.एस.सी. को राशि हस्तांतरित हो चुकी है और कक्ष के निर्माण के पश्चात् स्थापित हो जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि कब तक करा लेंगे?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्द से जल्द।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब छः महीने से वह मशीन पड़ी हुई है और वहां के डॉक्टर यह बताते हैं कि अगर कमरा नहीं बना तो ये मशीन वापस चली जायेगी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका कहना बिल्कुल सही है और ये मशीन है और कक्ष के निर्माण में विलंब है, मैं तो चाहूंगा कि छः महीने के अंदर हो जाए। सामान्य रूप से उसे ज्यादा नहीं लगना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और है कि जिला अस्पताल में बहुत सारे टेक्निशियन के पद खाली हैं। उसको भी भरने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद रायः- कसडोल, पलारी और सुहेला में टेक्निशियन के पद रिक्त हैं, इसे कब तक भरे जायेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न कि बिलाईगढ़ में आपने बताया कि वहां एक्स-रे मशीन लग गई है परंतु ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये पलारी में भी है, लवन में भी है, बिलाईगढ़ में भी

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

है और सुहेला में भी है। इन जगहों पर ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिये जायेंगे और यह चालू कब तक हो जायेगा?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे महीना मार्च और अप्रैल कहा गया है, मैंने थोड़ा समय मांगते हुए अप्रैल तक का समय मांगा है, अप्रैल के अंदर लग जायेगा।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर की कमी की वजह से मशीन खराब हो रही है, तो उसे तो कम से कम विद्युत विभाग को बोलकर चालू करा दीजिए। यह आपसे आग्रह है।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि तीन स्थानों पर मशीन लग चुकी है, ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया चालू है। ये मशीनें बहुत पहले आ चुकी हैं। विभाग ने एप्लीकेशन लगाने में लापरवाही की उसके कारण ट्रांसफार्मर लगाने में देरी हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मशीनें कब लगीं और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विद्युत विभाग को आवेदन कब दिया गया, यह बता दें? इन तीनों स्थानों में मशीन कब लगी और आवेदन कब दिया गया?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सामान्य रूप से कई बार हम लोगों ने देखा कि होता क्या है कि मशीन आपने पहले खरीद ली और न बिल्डिंग का ठिकाना है और न स्टाफ का ठिकाना है। कब मशीन खरीदने का ऑर्डर दिया गया, यह प्रक्रिया भी हमको सुनिश्चित करनी चाहिए और भविष्य में यह प्रयास हम लोग कर भी रहे हैं और सुनिश्चित भी करेंगे कि एक बार इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए उसके बाद वहां पर मशीन बुलाई जाए। इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में थोड़ा विलंब होता है, मशीन जल्दी आ जाती है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि मेरे यहां भी मशीन पड़ी है, टेक्निशियन नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने विद्युत के लिए आवेदन कब दिया, ये बता दीजिए? आपका आवेदन ही लेट गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शर्मा जी, छोड़िए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी बिजली कर्मियों की बहुत कमी है, काम नहीं हो रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>धरसींवा विकासखण्ड के अस्पतालों में डाक्टरों की पदस्थापना</u>

5. (*क्र. 1028) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिला अंतर्गत धरसींवा ब्लॉक स्थित शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों के कितने पद

स्वीकृत हैं? कितने पदस्थ हैं और कितने पद रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों में डॉक्टरों की पदस्थापना कब तक की जाएगी?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) रायपुर जिला अंतर्गत धरसींवा ब्लॉक स्थित शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों के 82 पद स्वीकृत, 59 पदस्थ और 23 पद रिक्त हैं. (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र धरसींवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 06 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं जिसमें से मात्र 01 डॉक्टर पदस्थ है। बाहर से 03 डॉक्टर संलग्न हैं जिसमें से 01 मांढ़र के भी डॉक्टर हैं जबिक मांढ़र में डॉक्टर की बहुत ही आवश्यकता है। वैसे ही पी.एस.सी. धरसींवा में पदस्थ एक डॉक्टर विधानसभा सचिवालय में संलग्न हैं और एक जिला अस्पताल रायपुर में संलग्न है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 03 स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां मेडिकल अफसर की पदस्थापना है परंतु तीनों में वह कहीं न कहीं संलग्न हैं। सिलियारी में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। दोंदेकला के डॉक्टर को माना में संलग्न किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ये व्यवस्था कब तक ठीक हो पायेगी?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का स्वास्थ्य केन्द्र उस स्थान पर है जहां रायपुर के पास सामान्य रूप से डॉक्टर अपनी पदस्थापना ज्यादा चाहते हैं इसलिए जहां स्पेशलिस्ट की कमी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज भी हमारे पास विशेषज्ञों की बड़ी कमी है, जिसको हम एक तो प्रमोशन के माध्यम से पूरा करना चाह रहे हैं और नये मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती के माध्यम से रिक्तता को पूरी करना चाह रहे हैं। डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ हम इस रिक्त पद को पूरा कर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- बजट में आपको एक पद नहीं मिला है, हम कहां से भर्ती करने जा रहे हैं। इसमें एक पद नहीं है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप टोटल देखेंगे। (हंसी) स्पेशलिस्ट के पद आप जवाब में देखेंगे तो रिक्त देखते हैं और आप मेडिकल ऑफिसर्स के पद देखेंगे तो ज्यादा है। 3 पद चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत हैं, उनके विरोध में पांच लोग पदस्थ हैं। दो अधिक हैं और स्पेशलिस्ट है, वह वहां पर कम हैं। यह समस्या पूरे प्रदेश की है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है और जैसे-जैसे स्पेशलिस्ट आएंगे, एक सुझाव माननीय सदस्यता का आया है उसके लिये आपसे मेरे को अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। यहां अगर पदस्थ हैं तो हम भेज सकते हैं या कुछ और व्यवस्था कर सकते हैं, अगर वैसा होगा तो कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उनका विशेष ख्याल रखियेगा। प्लीज आप बैठ जाएं। किस्मत लाल नंद।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा एरिया इंडस्ट्रीज होने के कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही है और हाईवे होने के कारण एक्सीडेंट बहुत

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होती है। जिसमें डॉक्टर न होने के कारण सही ईलाज नहीं हो पाता है इसलिए कई लोग मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि स्वीकृत पद के अनुसार डॉक्टर पदस्थ करने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- जब भी डॉक्टर की कमी के बारे में पूछा जाये, तो समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, इसको स्थायी उत्तर मान लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप अलग से मिल लीजिएगा, आपका विशेष ख्याल रखा जायेगा ।

प्रश्न संख्या 06 : XX XX

अध्यक्ष महोदय :- आज एकात कम से कम मुझे 20 प्रश्न तक पहुंचने दीजिएगा।

श्री रविन्द चौबे :- हां, 20 तक पहुंच जायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी 06 नंबर पर ही हैं। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- होली के समय कैपेसिटी बढ़ जाती है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- आज की कैपेसिटी यहीं समाप्त होने वाली है।

<u>प्रदेश के थाने व जेलों में हुई मौत</u>

7. (*क्र. 1226) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2019 से 1 फरवरी, 2020 तक राज्य के थानों/जेलों में कितनी मौतें हुई है ? मृतक की जानकारी थानेवार/जेलवार देवें ? (ख) क्या कंडिका "क" की मौतों पर जॉच बैठाई गई ? यदि हां, तो किस-किस प्रकरणों में जांच में क्या पाया गया ? नहीं, तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के तहत प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई नाम व पद सहित जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी ††[3] संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. (ग) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" पर दर्शित है.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो चंदौरा थाने में कृष्णा सारथी की डेथ हुई। उसकी उम्र कितनी थी ? क्या उसके खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट लिखी गयी थी, जब तब वह लॉकअप में था ? आपने जो कर्मचारी, अधिकारी था, उनको तो सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं । पर कृष्णा सारथी वह एक आदिवासी बच्चा था, उसकी डेथ हुई, उसको कितना मुआवजा दिया गया, यह जानकारी दे दें ?

[3] † परिशिष्ट "तीन"

प्रकाशन के लिये नहीं

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चंदौरा हवालात के अंदर जो फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रकरण कृष्णा सारथी का माननीय सदस्य जी उल्लेख कर रहे हैं। उसका उम्र 30 वर्ष था। उनकी मृत्यु की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा की गयी थी। न्यायिक जांच में पाया गया कि मृतक कृष्णा सारथी पिता जयनाथ की मृत्यु फांसी लगाने से, दम घुटने व श्वास नली पर जोर पकड़ने से हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- उसने तो पूछा है कि उनको कितना मुआवजा मिला ? मुआवजा कितना मिला, यह पूछ रहे हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मुआवजा की जानकारी कितनी दी गयी है, मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, मैंने यह पूछा है कि उसके खिलाफ क्या कोई प्रकरण दर्ज था ? जब उसको लॉकअप में रखा गया था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- नहीं था ना।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मर्ग का मेरे पास जानकारी है। प्रकरण की जानकारी था कि नहीं मैं अभी बता दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। 30 वर्ष का नौजवान था। उसके खिलाफ में कोई प्रकरण दर्ज नहीं था। (शेम शेम की आवाज) और उसको लॉकअप में लाकर बंद कर दिया गया और क्योंकि वह आत्मग्लानि से उसके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं था, उससे पैसा मांगा गया, उसने पैसा नहीं दिया। उसको बहुत पीटा गया और पीटने के बाद में उसको फांसी पर लटका दिया गया। इसलिए यह मामला हुआ है। मैं आपसे यह चाहूंगा कि यह एक सेड्यूल कास्ट का बच्चा था, 30 साल का नौजवान था, दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। पहले भी विधानसभा में मामला उठा था, आपने कहा कि हम मुआवजा देंगे परंतु उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अभी तक नहीं दिया गया है। हम यहां पर, ये अप्राकृतिक मृत्यु पर हम चार लाख रूपये बाकी में देते हैं, तो आपको यह नियम बनाना चाहिए जहां हमारी गलती से आपने इतने पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया। दूसरी एक और प्रकरण है। अंबिकापुर के पंकज बेथ का है, जिसका आपने इसमें उल्लेख ही नहीं किया है। जबकि पंकज बेथ को भी लॉकअप में उसकी डेथ हुई है। उसके बाद आपने उसका उल्लेख नहीं किया है। जरा इसके बारे में भी आप बता दें और जरा सारथी के बारे में आप उसको क्या करेंगे ? क्या मुआवजा देंगे ? क्या सहायता देंगे ? जब उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं थी और उसको लॉकअप में बंद किया गया तो उस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुआवजा का प्रश्न है। मुआवजा के लिये जो विधिक प्रस्ताव भेजते हैं, वह भेज दिया गया है। जहां तक प्रकरण का प्रश्न है, उसके ससुर ने शिकायत की थी, उसके आधार पर रखा गया था, पर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं उसकी विस्तृत

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

जानकारी लेकर, जांच कराने की जरूरत पड़ेगी तो जांच करवा देंगे और विधिवत् कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने पंकज बेग के बारे में कहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। हम कोई छुपाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो माननीय मंत्री जी के ज़मीर को जागृत करने की बात कर रहे हैं कि कोई निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मरना पड़े और उसको कोई मुआवजा नहीं मिले। आपके पास मुख्यमंत्री सहायता की राशि है, सरकार के पास ऐसी बहुत सी राशि होती है । जब अगर कोई निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं या मर जाते हैं और जिनका परिवार गरीब है तो उनको निश्चित रूप से सहायता मिलनी चाहिए। पहले भी माननीय मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशियां उपलब्ध करवाई हैं और दूसरा मैंने पंकज बेग का मामला पूछा, जिसको छुपाया गया, आप उसके बारे में जानकारी दे दें।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हत्या का केस लगता है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्नाधीन अवधि की जो जानकारी दी गई है, मेरे पास उतनी जानकारी है और मैंने वह जानकारी उपलब्ध करवा दी है। पंकज बेग की जो जानकारी कह रहे हैं उसको भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अजय चन्द्रकार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गंभीरता परिलक्षित नहीं हो रही है कि जितना बताया गया, केवल उतनी ही जानकारी है। एक आदिवासी वर्ग के आदमी की मृत्यु हो गई। जितना बताया गया, केवल उतनी ही जानकारी है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, थाने में दर्ज नहीं था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है इसी विधान सभा में पंकज बेग की सुसाइडल मौत हुई है, ये जवाब आया है। मेरे पास में वह जवाब की कॉपी है और आप अपने जवाब में नहीं बताते हैं कि उसकी लॉकअप डेथ हुई है। आपने पंकज बेग के मामले में पुलिस अधिकारियों को सस्पेंट किया है। इसी विधान सभा में मामला उठा है। आज ये जानकारी विधान सभा को गुमराह करने के लिए सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। ये तो बहुत गंभीर मामला है। जरा पंकज बेग का मामला बता दें और आप ये सारथी को को क्या सहायता देंगे, ये नवजवान है, उसके बारे में जरा जानकारी दे दें?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने जेल में मृत्यु के बारे में जानकारी दी है, परंतु जेल में मृत्यु के मामले में दिनांक 15.09.2019 को कमलेशराम सिदार की जेल में मृत्यु हुई। दिनांक 26.06.2019 को जशपुर निवासी गौटिया साय की जेल में मृत्यु हुई। इसके बाद में दिनांक 30.08.2019 को पेण्ड्रा में विचाराधीन कैदी रघुनाथ गौड़ की जेल में मृत्यु हुई। आपने ये तीनों मृत्युओं को छुपाया है, बताया नहीं है। मृत्यु कम करने के लिए तीनों मृत्युओं के बारे में भी बता दें?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मृत्यु होती है, रिकॉर्ड में रहता है। किसी चीज को छुपाने की बात नहीं है। इसमें पंकज बेग का इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि वह थाने से भागकर, अन्यत्र फांसी लगाकर के मरा था। प्रदेश के थाने और जेलों में हुई मौतों की जानकारी मांगी गई थी, वह मैंने दिया है। सारथी वाली बात है तो मैंने पहले ही कहा कि उसको 20 हजार रूपये तात्कालिक सहायता राशि दी गई है। पिछले प्रश्न के उत्तर में भी मैंने बताया था कि विधिक सेवा सहायता की ओर प्रेषित करते हैं फिर वहां से उनका मुआवजा होता है और उसको प्रदान करते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता कोष या इधर से राशि उपलब्ध करवाई जाए तो मैं निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ा दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। पहले प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं है। मैंने दूसरे प्रश्न में तारीख सहित 3 लोगों के नाम बताये। माननीय मंत्री जी ने उनका उल्लेख किया ही नहीं है कि उनकी जेल में मृत्यु हुई है। मैंने तीन नाम, तारीख सहित बताये हैं और मैं आपको ये जानकारी बता दूं कि मैंने जेलों में टेलीफोन करके पूछा है कि इनकी मृत्यु आपके जेल में हुई है या नहीं? उन्होंने मुझे बताया कि हां मृत्यु हुई है तब मैं यहां पर यह प्रश्न कर रहा हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- गृहमंत्री जी, जानकारी नहीं होगी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब आ जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले उत्तर तो आ जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले चीट आ जाये फिर जवाब आ जायेगा। फिर पूरक प्रश्न आ जाएगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जेल और थाने में प्रश्नाधीन अवधि की मृत्यु की है और मैंने उतनी जानकारी दी है। माननीय सदस्य जिन तीन लोगों के नाम या पंकज बेग का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं उसकी तिथि सहित कहां मृत्यु है, वह उपलब्ध करवा दूंगा, प्रश्नाधीन अवधि जेल और थाने का, ये नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक बारीक अंतर कर रहे हैं। जैसा मैंने दूसरा पंकज बेग का कहा, उसको लॉकअप में बंद किया गया । लॉकअप में बंद करने के बाद वह भाग और उसकी मृत्यु हुई है तो इसको लॉकअप डेथ तो माना जाएगा कि मृत्यु लॉकअप में हुई। ये तीनों लोग जेल में थे, इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जेल में ही मृत्यु मानी जाएगी, परंतु मंत्री जी इसको एक बारीक पर्दा रखकर छुपाने की कोशिश हो रही है कि कब मृत्यु हुई है और ये गंभीर मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और करना चाहता हूं, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की जेलों में कुल कितने डॉक्टरों के पद हैं और कितने डॉक्टर नियुक्त हैं और अगर जेल में गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं?

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी चीज को छुपाने की विभाग की कोई मंशा नहीं है। हम पूरी जानकारी देना चाहते हैं, अगर जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है तो हम आगे उपलब्ध करा देंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने चिकित्सकों का प्रश्न किया है, मैं प्रदेश के जेलों की बता देता हूं। केन्द्रीय जेल रायपुर में 5 पद स्वीकृत हैं और 5 पद भरे हुए हैं, कोई पद रिक्त नहीं है, केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 2 स्वीकृत पद हैं, 2 रिक्त हैं, जगदलपुर में 2 पद स्वीकृत हैं, 2 रिक्त हैं, अंबिकापुर में 2 स्वीकृत हैं, 1 पद भरा हुआ है, 1 पद रिक्त है, दुर्ग में 2 पद स्वीकृत हैं, दोनों पद भरे हुए हैं, दंतेवाड़ा में 1 पद स्वीकृत है, 1 भरा हुआ है, कांकेर में 1 पद स्वीकृत, 1 पद भरा हुआ है, महासमुन्द में 1 पद स्वीकृत, 1 पद भरा हुआ है, कोरबा में 1 पद स्वीकृत, 1 पद भरा हुआ है, जशपुर में 1 पद स्वीकृत, 1 पद भरा हुआ है, जांजगीर में 1 पद स्वीकृत, 1 पद भरा हुआ है, रायगढ़ में 1 पद स्वीकृत, रिक्त है, रामानुजगंज में 1 पद स्वीकृत, रिक्त है, राजनांदगांव में 1 पद स्वीकृत, रिक्त है।

अध्यक्ष महोदय :- अब उसको छोडिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- यह गंभीर मामला है, मैं समझ रहा हूं, आपको जानकारी दे देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जेल में बंद हैं, इसमें बहुत से विचाराधीन कैदी हैं जिनको सजा नहीं हुई है। एक कैदी दुर्ग जेल का राजेन्द्र देवांगन है। यह राजेन्द्र देवांगन पहले दिन जेल में जाता है और दूसरे दिन जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है और यह बताया जाता है कि वह सीढ़ियों से गिर गया है। जेल में कौन सी सीढियॉ होती हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? राजेन्द्र देवांगन के हाथ-पैर की हड्डियॉ टूटी हुई पाई जाती हैं और पहले दिन जेल में जाता है और दूसरे दिन वह मर जाता है। इसके बारे में जरा बता दें कि क्या इसकी जॉच रिपोर्ट आई है?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप कभी जेल मंत्री भी थे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं जेल मंत्री रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको जेल में रखा जाता है, वैसे ही उनके परिवार दु:खी होते हैं और साथ में हम उनको सुधारने के लिए भेजते हैं। परंतु विचाराधीन बंदियों की इतनी बड़ी मात्रा में मौत होना ये दुर्भाग्यजनक है। अभी जैसा माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि वहां पर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। लोगों को ठीक तरीके से जानकारी नहीं होती है, उसके मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। ये गंभीर मामला है। सरकार को जेल और लाकअप में डेथ के मामले को लेकर पालिसी मेटाडाइज को बनाने की आवश्यकता है, उनको मुआवजा देने की आवश्यकता है। डॉक्टरों की नियुक्ति की आवश्यकता है। इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है कि इसके बारे में सरकार को विचार करके निर्णय लेना चाहिए, परन्तु वह निर्णय नहीं कर रहे हैं।

अप्रमाणित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपको पूरा अनुभव है, आप पूरी तरीके से अनुभवी हैं। आप थोड़ा सा माननीय मंत्री जी को बता दीजियेगा कि किन-किन तरह से सुधार की आवश्यकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आ ही नहीं रहा है। यह गंभीर मामला है, इसकी सदन की समिति से जांच करवा लें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की समिति से जांच करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- वह खुद जांच कराने में सक्षम हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने काफी प्रश्न करने का अवसर दिया है, लेकिन एक भी प्रश्न का पॉइंटेड उत्तर नहीं आया, प्रश्न पॉइंटेड थे। वास्तव में इसकी सदन की समिति बनाकर जांच करवाई जाये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कृष्णा सारथी की घटना की चर्चा की। माननीय मंत्री जी को इधर से गलत जवाब दिया जा रहा है। माननीय बांधी जी और हम वहां पर गये थे। उनके ससुर की मौखिक शिकायत के बाद जब उनको वहां बुलाया गया कि मेरी बेटी से लड़ाई हुई है, कृष्णा सारथी के नाम पर किसी भी थाने के रिकार्ड में कोई भी मर्ग कायम नहीं किया गया था, उसके बाद उस आदमी को बुलाकर वहां पर बिठाया गया, वह होमीसाइड था या सुसाइड था, ये आज तक तय नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े दु:ख के साथ कहना चाहता हूं कि बांधी और मेरे को उनके परिवार का आज भी फोन आता है कि सरकार हमको 1 रुपये नहीं दी है। (शेम-शेम की आवाज) यह दु:ख की बात है। गलत जानकारी दी रही है, कहीं पर भी उस व्यक्ति के नाम पर मर्ग कायम नहीं किया गया था। कुछ रसूदखोर लोगों के कहने पर उस आदमी को उठाकर लाया गया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई और उसको जिस ढंग से लटकाया गया, उस पर बड़ी जांच की आवश्यकता है कि होमीसाइड था या सुसाइड था ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, जांच करा लेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से आदेश चले जाये।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करायेंगे, गंभीरता से जांच करायेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करायेंगे, वह ठीक है। इसमें मुख्य प्रश्न यह है कृष्णा सारथी जिनके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, नौजवान युवक है। पुलिस के द्वारा उनको थाना ले जाया गया, उसको जबरदस्ती लॉकअप में बंद किया गया, वहां पर उसको प्रताड़ना दी गई । उसकी मृत्यु हो गयी और मृत्यु होने के बाद उसको वहीं पर गेट में 3 फीट में फांसी पर लटका दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से इसमें एक तो यह जानना चाहता हूं कि जब उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध नहीं है, आप थाने में बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं लेकिन आपने उसको लॉकअप के अंदर कैसे डाला ? यदि लॉकअप के अंदर डालने के बाद मृत्यु हुई है तो कितने पुलिसवालों

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है, उनके खिलाफ कौन सा अपराध दर्ज हुआ है, कितनों को सस्पेंड किया गया है एक तो इसका उत्तर आ जाये ? दूसरा पंकज बेक जिसके बारे में माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि वह थाने में और जेल के लॉकअप में नहीं है तो पंकज बेक के मामले में जब प्रश्न लगाया गया तो 9 पुलिस वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. हुई है और एफ.आई.आर. होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं होने के बाद वे लोग धमका रहे हैं और वहां हमारे बड़े नेताओं के साथ ये हत्यारे लोग फोटो खींचवा रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, इसका जवाब मंत्री जी से आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण की पूरी जानकारी लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्वाइंटेड प्रश्न कर रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप हर प्रश्न में एक प्वाइंटेड प्रश्न करते हैं । श्री रजनीश जी का उत्तर आने दीजिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक निवेदन है कि केवल एक उत्तर दिलवा दीजिये कि श्री कृष्णा सारथी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- उसी प्रश्न को तो सभी ने पूछा है न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब नहीं आया न । उसे कब गिरफ्तार किया गया और उसकी मृत्यु कब हुई ?

अध्यक्ष महोदय :- वे सबका जवाब लिखित में देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे दे देंगे । श्री रजनीश जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया । उसे कब गिरफ्तार किया गया यह तो पता होना चाहिए । हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इतना गंभीर मामला है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी से आप जांच कराने का आदेश दिलवा दीजिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने जांच का कह दिया न । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मामला है । लगातार जेल में कस्टडी में जो मौत हुई है और ऐसी मृत्यु पर भी माननीय मंत्री जी का जवाब न आये तो यह गंभीर मामला है और इसमें जवाब आना चाहिए । (व्यवधान) हम आपसे आग्रह करते हैं कि सदन की कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- कृष्णा सारथी की हत्या हुई है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप अंतिम रूप से इनका जवाब दे दीजिये कि कब-कैसे जांच करायेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से करवा दें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृष्णा सारथी के इस प्रकरण में आवेदक प्रकाश सारथी द्वारा उनकी पुत्री सुंदरमनी के साथ उसके पति कृष्णा सारथी द्वारा झगड़ा विवाद की शिकायत के आधार पर दिनांक 26.06.2019 को प्रात: 8.00 बजे थाना चंदौरा हवालात में रखा गया था । थाना चंदौरा के हवालात के अंदर...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- बिना अपराध पंजीबद्ध किये उसको जेल में डाल दिया गया। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जरा सा इसमें सदन की कमेटी बना दें । (व्यवधान) यह जेल और किसी की मृत्यु का मामला है । (व्यवधान) आप सदन की कमेटी बना दें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- प्रश्न किया है तो उत्तर तो सुनिए । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आना चाहिए न। उत्तर तो आ ही नहीं रहा है । एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । आपने बिना अपराध पंजीबद्ध किये लॉकअप में कैसे डाला ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि यह बहुत गंभीर मामला है और लगातार इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कमेटी बनायें और सदन की कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि इसमें सदस्य बहुत उद्वेलित हैं इसलिये मैं सदन की समिति से जांच कराने का आपका अनुरोध स्वीकार करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

रायपुर तथा बिलासपुर के थानों में पंजीकृत प्रकरणों में लंबित पोस्ट मार्टम रिपोर्ट

8. (*क्र. 1278) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर बिलासपुर के थानों में पंजीकृत प्रकरणों में कितनी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट 15 नवंबर, 2019 व 15 जनवरी, 2020 की स्थिति में भेजी जानी लंबित थी ? (ख) जनवरी, 2019 से प्रश्न तिथि तक कितनी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट 03 माह या अधिक अवधि के बाद थानों में भेजी गई व क्यों ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ? पी.एम. रिपोर्ट थाने से भेजे जाने की समयावधि के क्या नियम है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) 15 नवम्बर, 2019 की स्थिति में जिला-रायपुर में 351 एवं जिला-बिलासपुर में 27 तथा 15 जनवरी, 2020 की स्थिति में जिला-रायपुर में 237 व जिला-बिलासपुर

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

में 33 पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी जानी लंबित थी । (ख) 01 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2020 की स्थिति में जिला-रायपुर में 963 जिला-बिलासपुर में 16 पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जो तीन माह या अधिक अवधि के बाद थानों में भेजी गई थी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट विलंब के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 प्रकरणों में संबंधित चिकित्सकों को नोटिस जारी की गई है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़ के निर्देश में समयावधि दी गई है जो परिशिष्ट अ पर दर्शित है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब आ गया है मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पी.एम. रिपोर्ट थाने में भेजे जाने की समयावधि क्या है और दूसरा पी.एम. रिपोर्ट करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिये । आप बहुत अधूरा प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एम. रिपोर्ट भेजे जाने की समयावधि क्या है और कितने दिन में नियम है कि वह पहुंच जाये और इसकी देरी के पीछे कारण क्या हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पी.एम. रिपोर्ट भेजा जाना और उसका संबंध स्वास्थ्य विभाग से है लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी की बात होती है उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूं कि इसके कोई नियम नहीं हैं लेकिन संचालनालय से एक निर्देश निकला है कि 7 दिवस के भीतर पी.एम. रिपोर्ट भेजा जाना चाहिए ऐसा एक निर्देश है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रशनांक अवधि में सिर्फ रायपुर और बिलासपुर जिले में 1627 ऐसे केस हैं, जिनकी पी.एम.रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है । समाचार माध्यमों और अन्य माध्यमों से पता लगता है कि रायपुर में ही एक घटना हुई थी जिसमें हत्या के 4 साल बाद, हत्या का अपराध दर्ज हुआ, क्योंकि पी.एम.रिपोर्ट नहीं मिली थी । ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में हैं, यदि पूरे प्रदेश की जानकारी लेंगे तो ऐसे प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है । 1627 केस तो सिर्फ रायपुर और बिलासपुर के हैं । इसके पीछे कारण गंभीर अपराध में अपराधी छूट जा रहे हैं, बीमा के भुगतान में देरी हो रही है, पेंशन में देरी हो रही है, अनुकंपा नियुक्ति में देरी हो रही है, सम्पत्तियों के ट्रान्सफर में देरी हो रही है । इसके कारण लोगों को दिक्कतें आ रही हैं । माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि क्या आप यह तय करेंगे, क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में, समय सीमा में सभी थानों में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पहुंच जाए, ताकि इसके कारण पीड़ित पक्षों को प्रताड़ित और परेशान न होना पड़े ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर सदस्य का प्रश्न सही है । पी.एम.रिपोर्ट जितनी जल्दी पहुंचेगी, उतनी जल्दी पीड़ित को सुविधा मिलेगी । स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करेंगे कि वे इस पर नियम बनाए और जल्दी से जल्दी इस पर आगे कार्रवाई करें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- स्वास्थ्य मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, यह बेहद और बेहद गंभीर मामला है । केवल दो जिलों में 1727 बताए गए हैं । लोगों को कितनी असुविधा हो रही है, माननीय सदस्य ने इस बात का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त में किया । सरकार की ओर से इस पर आश्वासन आना चाहिए । स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए । सरकार विधान सभा में कमिटमेंट दे, कब आग्रह होगा, कब पहुंचेगा, वह फिर बताएंगे, साढ़े चार साल बाद आग्रह पहुंचेगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- गृहमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न पूछ लें (हंसी)

श्री संतराम नेताम :- साढ़े चार साल पहले तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया । यह नियम तो पहले ही बन जाना चाहिए था ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे क्या ।

श्री संतराम नेताम :- इनका मामला पहले का है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह किसी की मौत का मामला होता है, किसी की दुर्घटना का मामला होता है । परिजन व्यथित रहते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करती है । अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक लाईन में जवाब दे दिया कि क एवं ख की जानकारी एकत्रित की जा रही है । आपको इसको लिखित में जवाब देना चाहिए था । आपने एक लकीर में लिख दिया कि क एवं ख की जानकारी एकत्र की जा रही है । क्या कोई चंद्रयान की जानकारी एकत्र हो रही है या पोखरण बम विस्फोट की हो रही है । अरे भाई, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं हुआ, पूछकर जवाब दे देते तो इतना प्रश्न उत्तर नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- परिशिष्ट में उसका जवाब है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप और स्वास्थ्य मंत्री आजू-बाजू बैठते हैं, तय कर लीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट से थाने में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट कब आएगी ? इसमें कौन सी बड़ी बात है । लोगों को सुविधा मिलेगी, अपराधियों को सजा मिलेगी । लेकिन यह इस प्रकार से जवाब देते हैं कि क एवं ख की जानकारी एकत्रित की जा रही है । वह बहुत आपत्तिजनक है, इसको सुधार करके दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नकाल शुरू होने के बाद जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बता दें कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अधिकतम् और न्यूनतम् दिन तय है या नहीं है, और यदि नहीं है तो इस बारे में कोई निर्देश जारी कर दीजिए ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, नि:संदेह यह संवेदनशील प्रश्न है और संवेदनशील स्थिति है । लोगों ने समय-समय में मुझे भी इस बात की जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्हें समय से उपलब्ध नहीं हो रही है । जांच करने पर यह जानकारी मिली और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा और यह सही है कि थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आती है कि उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं और थाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है । आपने जैसा बताया कि एक डायरेक्शन या गाइडलाईन है कि सामान्य स्थिति में 7 दिनों में रिपोर्ट आ जाए, यही प्रयास स्वास्थ्य विभाग का भी रहता है । मेडिको-लीगल केसेस जहां पर संदेहास्पद या ऐसी परिस्थितियां रहती है जिनमें कोर्ट में भी मामले जाते हैं, उसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार करने में जिन डॉक्टर्स की जवाबदेही बनती है, वे जरूर कुछ समय लेते हैं । हम इसका रिव्यू कर रहे थे । यहां प्रश्न आता तो हम लोग जवाब देते, इस पर हमने दो-तीन बैठकें भी विभाग से ली हैं । यह डायरेक्टशन्स भी उपलबध करा दिये जाएंगे कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया किस दिन चालू हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब उपलब्ध कराई गई, इसको पारदर्शी तरीके से अस्पतालों में उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य विभाग की स्पष्ट जवाबदेही रहेगी कि देरी कहां पर और क्यों ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके एक प्रश्न का जवाब मैंने दो मंत्रियों से दिलवा दिया फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं । डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

<u>सिम्स बिलासपुर तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में नवजात बच्चों की मृत्यु</u>

9. (*क्र. 1270) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिम्स बिलासपुर तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में 01 जनवरी 2019 से जनवरी, 2020 के मध्य कितने नवजात बच्चों की मृत्यु हुई ? (ख) अति कुपोषित बच्चों के लिए संचालित हृक्रष्ट केन्द्रों में प्रश्नांश (क) की अवधि में कितने बच्चे भर्ती हुए व कितने बच्चे कुपोषण से बाहर हुए ? जिलेवार जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) 01 जनवरी 2019 से जनवरी 2020 के मध्य सिम्स बिलासपुर में 839 एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में 533 नवजात बच्चों की मृत्यु हुई है. (ख) 01 जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक 20010 कुपोषित बच्चे एन.आर.सी. में भर्ती हुये एवं 14288 बच्चे कुपोषण से बाहर हुये. जिलेवार जानकारी †[4] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बिलासपुर और डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में इन बच्चों की मृत्यु क्यों हुई?

अध्यक्ष महोदय :- बस इतना ही है।

[4] † परिशिष्ट "चार"

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी प्रश्नांश के "क" का ही है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृष्णमूर्ति बांधी साहब स्वयं डॉक्टर हैं। मृत्यु क्यों और कैसे हो सकती है, यह मेरे से ज्यादा वे जानेंगे। एक प्राकृतिक परिस्थिति है और दूसरा जन्म की स्थिति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किस परिस्थिति में हो, यह बता दीजिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक ढोल डॉक्टर और एक आदमियों का डॉक्टर होता है। (हंसी) आप कौन से डॉक्टर हैं, यह बता दें?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं आपका इलाज ढोल डॉक्टर बनकर अच्छे से कर लेता हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति अत्यंत संवेदनशील स्थितियों में से एक है। अगर बच्चों की मृत्यु अस्पतालों में भी हो रही है तो यह हम सबके लिए चिंता और चिंतन का विषय है। आप इस बात को जानते भी होंगे कि जो परिस्थितियां रही हैं, इसे दो प्रकार से वगीकृत किया जाता है। 28 दिन तक जन्म के बाद में ये neonatal mortality rate के माध्यम से और इसकी भी जानकारी आपके पास होगी कि वर्ष 2004 में जहां यह 58 थी, वह वर्तमान में 33 पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के मामले में जहां यह 43 थी, वह 26 पर आ गई है और राष्ट्रीय स्तर पर जहां यह औसत 37 था, यह 24 पर आ गया है तो जहां सुधार हो रहा है, वहां कहीं और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपने मुख्य रूप से दो अस्पतालों की जानकारी चाही और आप चाहें तो मैं आपको आंकड़े भी दे दूंगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री जी, सिम्स में जो भी मरीज हैं, वे रिफर होकर आते हैं। वे रिफर कहां से होते हैं या तो सी.एस.सी. से होगा या पी.एस.सी. होगा या मैदान से डायरेक्ट होकर आते होंगे, लेकिन जो मैदानी कार्यकर्ता हैं वहां पर बच्चों के बीमारियों के डायग्नोसिस की सही पहचान के लिए क्या आपने कोई सिस्टम बना रखा है, ताकि हम उसे समय से रिफर कर सकें। मैदानी कार्यकर्ता पर आपका नियंत्रण है क्या?

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, बड़े ही मुस्कुराकर प्रश्न पूछ रहे हैं। आप भी मुस्कुराकर जवाब दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब ने जो प्रश्न पूछा कि बाहर से जन्म होते है, सिम्स में नहीं होते। जन्म को अगर वगीकृत किया जाये तो दो प्रकार के हैं। एक तो इन बौर्न- जो अस्पताल में पेशेंट आते हैं और वहां जन्म होता है। सिम्स में वैसी भी परिस्थिति है और बाहर से रिफर होकर आते हैं, वैसी भी परिस्थिति है। केवल बाहर से सिम्स में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एस.एन.सी. यूनिट अगर वहां स्थापित नहीं है तो मैं स्थापित करने की सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि आप उसके बारे में कहेंगे। एस.एन.सी. यूनिट वहां पर स्थापित होगा। दूसरा यूनिट वहां है, वहां एस.एन.सी. यूनिट भी स्थापित किया जायेगा और एम.एन.सी.यू.यूनिट को भी स्थापित करने की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

व्यवस्था करेंगे और जहां तक संवेदनशीलना की बात है और सिस्टम की बात है तो मितानिन से लेकर ऊपर तक का सिस्टम जन्म के संदर्भ में डिलीवरी के संबंध में बना हुआ है और उसके माध्यम से रेग्यूलर चेकअप भी होते हैं। कुछ-कुछ महीनों के बाद में जब गर्भावस्था में जब महिलाएं रहती हैं तो रेग्यूलर चेकअप भी होते हैं। आपात स्थितियां जन्म के बाद जब बनती हैं, कहीं अगर इस कारण से देरी हो रही है तो शायद बच्चा बच जाए और शायद बच्चा ठीक हो जाए और अगर रिफर में देरी हो रही हो तो हम लोग अवश्य उसकी भी जानकारी ले लेंगे कि क्या कोई ऐसा केन्द्र है जहां केन्द्र विशेष से ज्यादा ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। कोई ऐसा अस्पताल विशेष या छोटी इकाई या सब-सेंटर, जहां से ज्यादा आ रहे हैं कि यह एवरेज है। कहीं जानकारी हो तो आप बता देंगे, हम लोग इसमें जरूर कदम उठायेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जो रिफर हैं, वे हमारे मैदानी अमलों के द्वारा आता है और मैदानी अमलों के द्वारा जो केस डायग्नोस हो या अच्छे से रिफर हो रहा होगा सही समय पर रिफर होगा, ऐसा सिस्टम आपका अगर हो तो मुझे बताइए।

अध्यक्ष महोदय :- निश्चित रूप से ख्याल रखा जायेगा। लखेश्वर बघेल ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मेरा एक प्रश्नांश "ख" का प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कुपोषण में तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में है कि चना गुड़ बांट रहे हैं। तो मंत्री जी के लिए सबसे सरल उपाय है कि संतोषी माता की पूजा भी शुरू करवा दे, शायद ठीक हो जाएं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांश 'ख' का एक प्रश्न है। कि यह जो एन.आर.सी. है, जो हमारे रेवेन्यु सेन्टर्स हैं, उसमें ऐसी क्या-क्या सुविधाएं हैं, जहां बच्चों का कुपोषण दूर हो सके ? वहां पर क्या-क्या व्यवस्था बनाई गई है और समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, अगला प्रश्न आने दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह कौन सी एन.आर.सी. है ? दिल्ली वाला एन.आर.सी. है या इनका वाला एन.आर.सी है ?

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, अगला प्रश्न आने दीजिये। वह भी बस्तर के सम्बन्ध में है। साढ़े चार मिनट शेष है, आप जल्दी करिये।

<u>बस्तर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु स्वीकृत राशि</u>

10. (*क्र. 1202) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर के पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2017-18, 2018-19

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एवं 2019-20 में किन योजना/मदों के अंतर्गत कितनी-कितनी राशियों की स्वीकृति के साथ क्या-क्या कार्य किये गये हैं ? (ख) कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (ब) बस्तर जिले में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों के लिए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में विकास एवं संधारण कार्यों की जानकारी ††[5] संलग्न परिशिष्ट में संधारित है. (ख) †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नम्बर 04 में अंकित है.

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चाही गई जानकारी तो उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन एक प्रश्न है कि लामनी पार्क टूरिज्म प्लेस कब घोषित किया गया है ? उक्त पार्क में किनके माध्यम से चलाया जा रहा है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी जो लामनी पार्क की बात पूछ रहे हैं, हमारे पर्यटन स्थल का जो 138 स्थानों की सूची है, उसमें वह नहीं है। वह फारेस्ट का है। वर्ष 2017-18 में ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अन्तर्गत उसके लिए राशि मिली थी। उसके तहत उसका काम कराया गया था और उसकी निर्माण एजेंसी फारेस्ट डी.एफ.ओ. था। उसके तहत उमसें काम हुआ था।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त पार्क के लिए भारी-भरकम राशि खर्च हुआ है। फारेस्ट विभाग के द्वारा ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधा-सीधा प्रश्न करिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फारेस्ट विभाग के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा खर्च हुआ है। लेकिन वह स्थल एकदम जर्जर है। वहां पार्क का संधारण किया नहीं जा रहा है और वहां कैफेटेरिया बंद है। फारेस्ट विभाग के द्वारा जो झूला वगैरह तैयार किया गया था, वह पूरे बंद हैं। तो ऐसी जगह में सिर्फ एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए उस प्लेस को टूरिज्म घोषित करते हैं। वहां पार्क बनाने के बाद टोटल छोड़ देते हैं। उसका न तो संधारण हो रहा है और न ही कुछ हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने करोड़ रूपये खर्च करने का क्या औचित्य है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, उसमें ट्रायबल टूरिज्म के अन्तर्गत डी.एफ.ओ. के द्वारा 53 लाख रूपये खर्च किया गया था। सदस्य जी उसका रखरखाव, मरम्मत का काम नये सिरे करने की बात कर रहे हैं, तो वह अभी वन विभाग के अधीन है। वन विभाग की तरफ से कैफेटेरिया, पार्किंग, रखरखाव की बात, नये निर्माण की बात या यात्रियों की सुविधा की दृष्टिकोण की दुष्टि से कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको पत्र लिख देंगे ताकि उस पर वे काम शुरू कर दें।

[5] †† परिशिष्ट "पांच"

अशासित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>जिला जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण</u>

11. (*क्र. 751) श्री नारायण चंदेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिला, कोरबा जिला एवं रायगढ़ जिले में जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कों का निर्माण किस एजेंसी के द्वारा कितनी-कितनी लागत से किया गया है ? (ख) इन सड़कों के रख-रखाव हेतु कितनी राशि उक्त तीनों जिलों में उक्त अवधि में प्राप्त हुई है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी ‡[6] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) इस सड़क के रख-रखाव हेतु जिला जांजगीर-चांपा, जिला कोरबा एवं जिला रायगढ़ में उक्त अवधि में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांजगीर-चाम्पा, कोरबा और रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया है। यह मेसर्स किशन एण्ड कम्पनी है, जिन्होंने 11 काम किए हैं। ये गुणवत्ताविहीन काम हैं। जो टेण्डर हुए हैं, उसके विपरीत काम हुए हैं। शासन के मापदण्डों की अनदेखी की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सारे प्रकरणों की जांच कराने की घोषणा करेंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी पारदर्शिता से पंचायत विभाग इन सड़कों का निर्माण करा रहा है। इसकी तीन स्तर पर जांच भी होती है। पहले जो विभागीय अधिकारी हैं, जिनके साइट की जिम्मेदारी होती है, वे उस गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, स्टेट क्वालिटी मानीटर (एस.क्यू.एम.) के माध्यम से इसकी जांच होती है। तीसरा, नेशनल क्वालिटी मानीटर (एन.क्यू.एम.) के माध्यम से इसकी जांच होती है। ये केन्द्र सरकार की इकाई है, बड़े पारदर्शित से और गहन रेण्डम जांच इनके माध्यम से की जाती है। जिसमें क्वालिटी में कमी आने की स्थिति कम होती है। यदि आ ही जाती है तो उसके सुधार के तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ को इस बाबत राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम सूचकांक भी मिले हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा क्वालिटी में छत्तीसगढ़ पी.एम.जे.एस.वाय. में टॉप राज्यों में माना गया है। बावजूद उसके यदि माननीय सदस्य किसी भी काम की जांच चाहते हैं, अन्य सदस्य भी चाहते हैं तो हम लोग पूरे पारदर्शी तरीके से काम करना चाहेंगे। आप कहीं भी जांच कराना चाहे, हम विभाग के साथ व्यवस्था बना देंगे। आपकी उपस्थिति में या आपके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जांच करा देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

6 †† परिशिष्ट "छ:"

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जांजगीर-चाम्पा जिले में सड़क बनी है, अकलतरा से अमोरा सड़क बनी है। उसकी जांच कराने की घोषणा कर दीजिये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से। आप जहां बतायेंगे, आप बता दीजिये, आपकी उपस्थिति में उसकी जांच करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:00 बजे

पूच्छा

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वुहान, चाईना से कोरोना वायरस चलते हुए अब हिन्दुस्तान भी पहुंच गया है । हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों में कोरोना वायरस का बहुत प्रकोप बढ़ रहा है और हम पूरे देश के मध्य में स्थित हैं, इसलिए उससे चिंतित होना स्वाभाविक है । इससे पहले वह छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करे, खैर, उसे तो रोकना मुश्किल है, लेकिन उसके बचाव और उपचार के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या तैयारी है, उसके बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए और उसके उपचार के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है, उसके बारे में प्रदेश की जनता को जरूर बताया जाना चाहिए, अन्यथा लोगों में बहुत भय व्याप्त है । अब वह धीरे-धीरे दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल से चलते हुए छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं। वे कोरोना वायरस के बारे में अपना विचार और वक्तव्य यहां पर दें, यह मेरी मांग है ।

समय :
12:01 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था । हाईकोर्ट का फैसला आया कि राज्य सरकार ने उस अध्यादेश को सही समय में विधान सभा में पारित नहीं करवाया । यह जान-बूझकर किया गया । चूंकि चुनावी वर्ष था, उनको राजनीतिक लाभ लेना था इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक जनता का राजनीतिक लाभ लिया और ऐसी चूक किसी वेलफेयर स्टेट के किसी मंत्री से नहीं हो सकती और इसके विरूद्ध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और यह बहुत ही गंभीर बात है कि समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाए और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए, यह पहली घटना छत्तीसगढ़ में हुई है । मैं चाहता हूं कि इस विशेषाधिकार में सदन में चर्चा हो और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जिस भी वर्ग के लोग हैं, वे इसमें भाग लें । ये बड़ी गंभीर बात है ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, अकलतरा के बिलासपुर-रायपुर जाने वाली जो फोरलेन की सड़क बन रही है । अकलतरा से बिलासपुर के बीच में वह सड़क दो जगह से दो टुकड़ा हो गया है । वह सड़क करोड़ों रूपए की लागत से बन रही है । उसका पुल पूरी तरह से धसक गया है, लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है, भारी दिक्कत हो रही है । उसके बाद भी सड़क बनी नहीं है, सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद टोल टैक्स की वसूली की जा रही है । यह

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत ही गंभीर मसला है, हम लोगों ने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। कृपया उस पर चर्चा कराने का निवेदन हम करते हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति जी, हमारे आदरणीय सदस्य का भी वजन थोड़ा ज्यादा हो गया है इसलिए पुल धसकने लगता है, उसे भी बताएं ।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे प्रश्न को उठा रहा हूं, जिससे शासन को करोड़ों, अरबों रूपए की हानि हो रही है और होनि होने की संभावना भी है । अभी धान की खरीदी हुई, लक्ष्य की पूर्ति हो गई, बोनस की घोषणा हुई, उसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- बोनस की घोषणा नहीं हुई है ।

श्री अजीत जोगी :- जो 25 सौ रूपए में से बचा हुआ था, उसको बोनस ही मानिए । पर मैं यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न केन्द्रों से खरीदी की गई, वहां से मैंने जानकारी एकत्र की है । उन केन्द्रों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। मेरे पास ऐसे केन्द्रों की सूची भी है जैसे बहेरा साजापाली में 39 प्रतिशत धान का उठाव हुआ है, बिछिया में 38 प्रतिशन धान का उठाव हुआ है तो ज्यादातर धान अभी वहीं पड़ा हुआ है, असुरक्षित पड़ा हुआ है, पानी गिर गया है तो कहीं-कहीं धान में अंकुर आ गया है और जिन लोगों को परिवहन का ठेका दिया गया है, वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन से यह अनुरोध करना चाहूंगा...।

सभापति महोदय :- आपने इसकी सूचना दी है क्या ?

श्री अजीत जोगी :- दी है ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल रहा है, अब भारत में भी आने लगा है । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय स्वासथ्य मंत्री को जानकारी दूंगा । चाईना की एक कम्पनी थी-सेबको, जो के.एस.के. महानदी संयंत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में काम कर रही है । 10 चाईनीज़ नागरिक आज भी वहां पर अंदर हैं । पुलिस के रिकार्ड में बताया जा रहा है कि वह अंदर हैं, वहां पर निवासरत् हैं । वह वहां के ही रहने वाले हैं, जहां चाईना से कोरोना वायरस फैला है । वहां पर उन लोगों की कोई जांच नहीं की जा रही है । माननीय सभापति महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण भी दिया है । उनकी जांच की जाये ।

सभापति महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, धान उपार्जन अभी समर्थन मूल्य पर 20 फरवरी तक चला और किसानों के खाते में राशि बहुत ही विलम्ब से पहुंचा । चूंकि किसान अपनी कर्ज की राशि चुका नहीं पाये थे, सोसायटियों में कर्ज वितरण की अंतिम तिथि 29 फरवरी को कर दी गई, माननीय सभापति जी, मेरा आसन्दी से निवेदन है कि इस तिथि को बढ़ाई

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

जाये । आने वाले समय में किसान अभी फिर रबी फसल लेंगे तो बहुत सी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा । आपसे निवेदन है कि इस तिथि को बढ़ाई जाये ।

सभापति महोदय :- श्री केशव प्रसाद चन्द्रा ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, सरकार शराबबंदी नहीं कर रही है । ओव्हर रेट की शिकायत है, सब जगह शराब बेच रहे हैं, शिकायत हो रही है, अधिकारी को ट्रांसफर करके पुन: उसी जगह पर रख रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, रायपुर और बिलासपुर के ऐसे अधिकारी जिनका शिकायत के आधार पर स्थानांतरण कर दिया गया है, लेकिन उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है । मैंने ध्यानाकर्षण दिया है । कृपया उसे उसे ग्राह्य कर चर्चा करायें ।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, मैंने नगरीय क्षेत्र डोंगरगांव में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का ढ़ाई करोड़ रूपये स्वीकृत हुये हैं, लगातार टेण्डर में कोई काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं । मैंने इनके नियम संशोधन के लिए ध्यानाकर्षण दिया है । कृपया ग्राह्य करें ।

सभापति महोदय :- श्री सत्यनारायण जी शर्मा ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट । मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- शून्यकाल में ....।

श्री मोहम्मद अकबर :- कार्यवाही के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- आसंदी से अनुमति दी गई है । हॉ बोलिये ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की मांग पर अभी आसंदी से निर्देश हुआ है कि विधान सभा की समिति कृष्णा सारथी के मृत्यु के मामले में जांच करेगी । मैं केवल व्यवस्था यह चाहता हूँ कि जिस मामले में जुडिशियल इंक्वारी जिनके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा की गई है, निर्णय दिया जा चुका है । ऐसी स्थिति में विधान सभा की समिति जांच कर सकती है क्या । और यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो जितने प्रकरण में एन.आई.ए.और बाकी के प्रकरण में जांचहुई है, तो क्या विधान सभा समिति दोबारा उसमें जांच कर सकेगी क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने जेलों में मृत्यु और साथ में लॉक-अप डेथ इनके मामले में सुझाव देने के लिए,इसकी जांच करने के लिए, यदि जानकारी गलत दी गई है, इसकी जानकारी के लिए...व्यवधान

श्री सत्यनारायणशर्मा :- माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी को, इस विधान सभा को पूरा अधिकार है, जुडिशियल इन्कवारी होने के बादभी विधान सभा की समिति जांच कर सकती है । संसद की समिति जांच कर सकती है । इसमें पूरे सदन को अधिकार है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं आसन्दी से व्यवस्था चाहता हूँ । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं भी आसन्दी को ही बोल रहा हूँ । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आसन्दी तो व्यवस्था दे चुकी है । व्यवस्था दे चुकी है, नई व्यवस्था कायम नहीं हो सकती । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा एक पाइन्ट ऑफ आर्डर है ।

सभापति महोदय :- चलिये, पाईन्ट आफ आर्डर पर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जब प्रोसेडिंग आगे बढ़ चुकी, वह विषय आज की कार्यसूची से समाप्त हो चुका । वह सही है या गलत है । वह बाद का विषय है । जिस समय चर्चा आई, उससमय व्यवस्था का प्रश्न मंत्री जी के द्वारा नहींउठाया गया । इसलिए इससमय उसको नियमों के तहत उठायाय नहीं जा सकता । व्यवधान मैं परसों के बारे में आज व्यवस्था मांग सकता हूँ क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था के लिए कभी कोई समयसीमा निर्धारित नहीं होती । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उस समय व्यवस्था की बात करेंगे ..(.व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आसंदी के निर्णय में व्यवस्थाका प्रश्न हो सकता है क्या । व्यवधान पुराने प्रोसिंडिंग्स में हो सकते हैं क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, बहुत से ऐसे मामले आये हैं, विधान सभा में प्रश्नों के दौरान उत्तर के दौरान यह कहा गया है कि यह मामला न्यायालयीन है, न्यायालय में चल रहा है, उत्तर नहीं हो सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लें। हमें गंभीर आपत्ति इस बात पर है कि माननीय आसंदी के निर्णय के ऊपर ट्रेजरी बेंच आपत्ति उठाये, मंत्री आपत्ति उठाये। सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है तो भी उस पर विधानसभा में चर्चा हो सकती है। इस पर कोई रोक नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपत्ति नहीं ले रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि आसंदी ने गलत किया या मेरी भावना ऐसी नहीं है कि जांच हो या न हो। लेकिन व्यवस्था आनी चाहिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- आपका व्यवस्था का प्रश्न ही यही है कि आसंदी ने गलत किया, आपका आशय ही यही है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने निर्णय पर आपत्ति नहीं की, मैं केवल व्यवस्था चाहता हूं। देखिए, इसके दूरगामी परिणाम आयेंगे, बहुत से ऐसे मामले हैं जो समाप्त हो चुके हैं, दोबारा जांच होगी। मैं व्यवस्था चाहता हूं।

सभापति महोदय :- मैंने माननीय मोहम्मद अकबर जी और अजय चन्द्राकर जी के व्यवस्था के प्रश्न को सुना है, आसंदी इस विषय पर अपनी व्यवस्था देगी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गोगांव में अंडरब्रिज बनाने का ठेका माननीय तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री [XX][7] ने दिया था, उसका आज तक निर्माण नहीं हो रहा है। जिस सरकार ने ठेका किया, उसी के लोग धरना कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि तत्काल निर्माण कार्य को प्रारंभ कराये जाने की व्यवस्था करायें।

सभापति महोदय :- जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उस नाम को विलोपित करें।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, नई राजधानी नवा रायपुर में हजारों किसानों की जमीन ली गई है और उसमें शर्त थी, सशक्त समिति ने निर्णय लिया था कि उनको पुनर्वास पैकेज के रूप में 15 हजार रूपये प्रति एकड़ हर वर्ष दिया जाना है और 750 रूपये वृद्धि से देना है। विगत तीन वर्षों से किसानों को पुनर्वास पैकेज की राशि नहीं मिल रही है। इस पर मैंने ध्यानाकर्षण दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में रेत का मूलय बेतहाशा बढ़ रहा है। सीमेंट के रेट बढ़ा दिये गये हैं और पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति है कि जहां पर रेत की खदानें हैं वहां से पिटपास देने के लिए खदान के संचालक तैयार नहीं हैं। वह कहते हैं कि हम इतनी रेत का पिटपास नहीं दे सकते और जब बिना पिटपास के ट्रकें जाती हैं तो उनको पुलिस जप्त करती है और हमारे माईनिंग डिपार्टमेंट के लोग जप्त करते हैं और उनसे पैसे की वसूली होती है। जो रायल्टी 750 रूपये लगनी चाहिए वह 1500 रूपये ली जा रही है। सरकार के द्वारा गाड़ी लोडिंग का 1600 रूपये तय किया गया है लेकिन वह 5000 रूपये लिया जा रहा है। इसी प्रकार से सीमेंट के रेट बेतहाशा बढ़ा दिये गये हैं। हमने इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है, कि रेत और सीमेंट के दाम बढ़ने से पूरे प्रदेश की जनता परेशान है और इसमें कौन सा टैक्स लगा है मैं जरा इस सरकार से पूछना चाहता हूं? हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जो अभी इंकम टैक्स का छापा पड़ा है ना उसमें भी माईनिंग जुड़ा हुआ है।

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पाये हो क्या ऐसा पूछना ना सरकार से। अभी खाली लिया गया है ऐसा बोलो ना।

सभापति महोदय :- आपका विषय विचाराधीन है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये इतना दुर्भाग्यजनक है कि 5 रूपये बच्चों को पढ़ाने के लिए सी.सी. टैक्स लगा दिया, इसके ऊपर भी हमने दिया है। आपसे चाहेंगे कि इसे आप स्वीकार करके चर्चा करायें।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, किसका स्वास्थ्य खराब है?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना जब से लागू की गई है इस योजना के अंतर्गत अनेक बीमारियों को निकाल दिया गया है। इससे आप आंख का इलाज नहीं करा सकते, दांत का इलाज नहीं करा सकते, यदि हड्डी फैक्चर हो जाए तो आप इससे उसका इलाज नहीं करा सकते। इसके साथ ही साथ जहां शासकीय अस्पताल में प्रसव की सुविधा नहीं है और यदि किसी को प्रायवेट में ले जाना पड़े तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले दी जाती थी उसमें भी कटौती कर दी गई है। आज अनेक अस्पताल ऐसे हैं जहां पर न तो सोनोग्राफी की सुविधा है, न एक्स-रे की सुविधा है। जहां पर मशीन लगायी गयी है, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है।

सभापति महोदय :- आपने इसमें कुछ सूचना दी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने इसमें ध्यानाकर्षण दिया है।

सभापति महोदय :- जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसके बाद में कल की जो घटना है।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी तो पूरा भाषण दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- भाषण बाद में देंगे। डी.के.एस. अस्पताल में कल अपने क्षेत्र के एक मरीज को बर्थ यूनिट में भर्ती कराया। रातभर वहां का ए.सी. बंद रहा, पंखा बंद रहा। यह प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति है। इसमें जो अभी तक ईलाज हुए हैं, लगभग 27 करोड़ रूपये हुए हैं। उसके एक पैसा का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- चलिये, आपने ध्यानाकर्षण दिया है न। इसको विचार पर रख लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं दिया हूं। उसको विचार करके ध्यानाकर्षण को लिया जा सके। ताकि बदहाली की स्थिति से अस्पतालों को उससे बचाया जा सके।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:16 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(1) रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत राज्य कैंपा मद से कराए गये वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता की जाना।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- अध्यक्ष महोदय मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

रायगढ़ वन मण्डल अंतर्गत वर्ष 2018-19 में राज्य कैंपा मद से कक्ष क्रमांक 1093, 1041, 1038, 1039, 1040, 1075, 1036 एवं 1082 कुल 570 है। में वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र तैयारी तथा रोपण का कार्य कराया गया। इसके अंतर्गत आर.सी.सी. पोल बारबेड वायर, गोबर खाद तथा अन्य सामग्री का क्रय नियमों के विपरीत किया गया था सामग्री का प्रदाय भी पूर्ण नहीं हुआ। फर्जी फर्म से सामग्री कय करना दर्शाया गया है। वृक्षारोपण में 413 हेक्टेयर में ट्रैक्टर में जुताई करने का अवैधानिक कार्य कराया गया है, क्योंकि वन भूमि में खेती के प्रयोजन के लिए अथवा अन्य कार्य के लिये भूमि तोड़ना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 एवं 33 के अंतर्गत अपराध है। वृक्षारोपण में नियोजित श्रमिकों को शासन के निर्देश के विपरीत नगद भुगतान दर्शाया गया है, प्रमाणकों में श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं हैं, सभी भुगतान फर्जी हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव को शिकायत की गई है, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। करोड़ों रूपये फर्जी तरीके से भुगतान दर्शाकर रायगढ़ वन मण्डल के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अनियमितता की है। इसकी शीघ्र जांच और कार्यवाही न होने से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सही है कि रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में राज्य कैम्पा मद से कक्ष क्रमांक 1093 पी.एफ., कक्ष क्रमांक 1041 आर.एफ., कक्ष क्रमांक 1038 आर.एफ., कक्ष क्रमांक 1039 आर.एफ., कक्ष क्रमांक 1040 आर.एफ., कक्ष क्रमांक 1075 आर.एफ., कक्ष क्रमांक 1036 पी.एफ., एवं कक्ष क्रमांक 1082 पी.एफ., के कुल 570.00

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण (असिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) की क्षेत्र तैयारी तथा रोपण कार्य कराया गया है। यह सही नहीं है कि आर.सी.सी. पोल, बारवेड वायर तथा अन्य समस्त सामग्री का क्रय, भण्डार क्रय नियमों के विपरीत क्रय किया गया है तथा क्रय सामग्री का पूर्ण प्रदाय प्रदायकर्ता के द्वारा नहीं किया गया है। यह भी सही नहीं है कि फर्जी फर्म से सामग्री क्रय करना दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि बारवेड वायर ई-निविदा (जेम पोर्टल) द्वारा आर.सी.सी. फेंसिंग पोल धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा अनुमोदित निविदा दर पर, डीएपी, यूरिया, क्लोरोपायरिफॉस रायगढ़ वनमंडल में आमंत्रित निविदा दर पर क्रय किया गया है। गोबर खाद एवं नीम खली आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर कोटेशन प्राप्त कर क्रय किया गया है। बारवेड वायर 31500 कि.ग्रा., आर.सी.सी. पोल 13110 नग, नीम खली 38570 कि.ग्रा., डीएपी 7691 कि.ग्रा. यूरिया 5786 कि.ग्रा., क्लोरोपायरिफास 2317 लीटर एवं गोबर खाद 585 घ.मी. क्रय किया गया है, उपरोक्त सामग्रियों का प्रदाय पूर्ण हो चुका है।

यह सही नहीं है कि ''वृक्षारोपण में 413 हेक्टेयर में ट्रेक्टर में जुताई करने का अवैधानिक कार्य कराया गया है क्योंकि वन भूमि में खेती के प्रयोजन के लिए अथवा अन्य कार्य के लिए भूमि तोड़ना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 एवं 33 के अंतर्गत अपराध है।'' वस्तुस्थिति यह है कि वृक्षारोपण क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधान अनुसार अवांछित प्रजाति के जड़ों को निकालने हेतु 413 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रेक्टर से जुताई भूमि में नमी संरक्षण के उद्देश्य से प्रचलित कार्य आयोजना के प्रावधान (इन कार्य वृत्तों में खुले एवं गहरी मृदा वाले क्षेत्रों में बीजांकुरण को बढ़ावा देने हेतु गहरी जुताई प्रावधानित है) के अनुरूप किया गया है।

श्री पी.एस. पटेल, सेवानिवृत्त, सहायक वन संरक्षक, रायगढ़ के द्वारा वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर तथा मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वन वृत्त को दिनांक 12/03/2019 को शिकायत प्रेषित की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) के पत्र क्र. कैम्पा/पीए-170/2001/अटल नगर, रायपुर दिनांक 29/03/2019 के द्वारा शिकायत के बिन्दुओं पर बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को लेख किया गया है, जिसके परिपालन में वनमंलाधिकारी, रायगढ़ के आदेश क्रमांक/शीले/135 दिनांक 29/11/2019 द्वारा उपवनमंडलाधिकारी रायगढ़, उपवनमंडलाधिकारी घरघोड़ा एवं अधीक्षक गोमार्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ की त्रि-सदस्यीय वनमंडल स्तरीय जांच समिति गठित की गयी। गठित जांच समिति के प्रतिवेदन अनुसार ''अधिकतर श्रमिकों का मजदूरी भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया गया है। जिन श्रमिकों द्वारा बैंक खाता उपलब्ध नहीं कराया गया तथा उनके द्वारा नगद भुगतान हेतु आग्रह किये जाने के फलस्वरूप उन श्रमिकों को कुल राशि रू. 3,72,145.00 नगद भुगतान किया गया है।'' जांच प्रतिवेदन के उक्त श्रमिकों द्वारा नगद भुगतान प्राप्त किया जाना स्वीकार किया है। यह सही नहीं है कि करोड़ों रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फर्जी तरीके से भुगतान दर्शाकर रायगढ़ वनमंडल के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है।

जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यह सही है कि ''प्रमाणकों में श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं है, परंतु जिन श्रमिकों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया गया है, उनका बैंक खाता क्रमांक अंकित है एवं वृक्षारोपण में नियोजित श्रमिकों का भुगतान छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ02-07/2013/10-2/बजट/रायपुर दिनांक 08/01/2015 द्वारा जारी निर्देश के तहत् अधिकांश श्रमिकों का मजदूरी भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया गया है एवं जिन श्रमिकों द्वारा बैंक खाता उपलब्ध नहीं कराया गया, नगद भुगतान किया गया है।'' यह कथन कि सभी भुगतान फर्जी है, वस्तुस्थिति पर आधारित नहीं है। यह सही है कि इस संबंध में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के तारतम्य में मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत), नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक /सत.शिका./2020/09 दिनांक 29/02/2020 द्वारा सूक्ष्म जांच करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्तत, बिलासपुर की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय जांच समिति का गठन कर समिति को 07 दिवस के भीतर जांच कार्य पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्तानुसार गठित जांच समिति का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आम जनता में आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, 570 हेक्टेयर मतलब 1 हजार 408 एकड़ का मामला है। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में गोमार्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ का जिक्र किया है। ये वर्ष 2007-08 में कक्ष क्रमांक 885, ये वन संरक्षित भूमि का मामला है। इसमें कॉलोनी बन गई। वन संरक्षित भूमि में 400 मकान पक्के बन गये। ये कोई साधारण मामला नहीं है। माननीय मंत्री जी आप देखें कि उसमें मंदिर बन गया, अवैध अतिक्रमण से मंदिर बन गया, पक्के मकान बन गये और उन कामों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। वन संरक्षित भूमि में एक कॉलोनी बन गई और बस गई । तत्कालीन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और इस तरह से अवैधानिक काम तो हुआ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आपके ध्यानाकर्षण का जो विषय है, उससे संबंधित आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, उसी से संबंधित प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि गोमर्डा कामतानगर वार्ड क्रमांक-14 का जिक्र किया है, इसीलिए मैंने कहा है कि एक अवैध कालोनी बन गई है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि माननीय मुख्य सचिव जी ने शिकायत की जांच करने के निर्देश दिये थे और 29.02.2020 को आपके विभाग ने चिट्ठी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिखी है। माननीय प्रकाश शक्राजीत नायक जी ने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था और मैने भी ध्यानाकर्षण लगाया है, क्या हम लोगों की उपस्थिति में जांच समिति जांच करेगी?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, जो विषयवस्तु है, उस बारे में कोई बात नहीं की गई। यह वृक्षारोपण से संबंधित है। लेकिन मामला भ्रष्टाचार का है और माननीय वरिष्ठ सदस्य चिन्तित हैं। इसमें पहले से ही मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन से शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य वन संरक्षक सतर्कता शिकायत नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 9 दिनांक 29.02.2020 द्वारा मुख्य वन सरंक्षक, बिलासपुर वृत्त की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय जांच समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिसमें वनमंडल अधिकारी धरमजयगढ़ एवं उपवनमंडल अधिकारी घरघोड़ा को सदस्य मनोनीत किया गया है। लेकिन माननीय सदस्य वस्तुस्थिति की जानकारी चाहते हैं तो मैं घोषणा करता हूं कि उनकी उपस्थिति में ये जांच हो जाये और माननीय सदस्य प्रकाश शक्राजीत नायक जी जो रायगढ़ के हैं, ये दोनों की उपस्थिति में जांच हो जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसकी घोषणा करता हूं।

(2) प्रदेश में सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत सायकल का वितरण नहीं किया जाना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- अधिकाधिक छात्राएं स्कूल जाएं। छात्राओं की दर्ज संख्या बढ़े। छात्राएं अधिक से अधिक संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करें। इसे प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरस्वती सायकल योजना ने प्रदेश में दम तोड़ दिया है। सरकारी उदासीनता और टेण्डर प्रक्रिया में लेट लतीफी के कारण योजना आरंभ होने के बाद से किसी भी वर्ष छात्राओं को समय पर सायकल वितरित नहीं हो पाती। शालेय छात्राओं को ब्राण्डेड कम्पनी की गुणवत्तापूर्ण सायकल देने की बात करने वाली इस सरकार ने 2019-20 में शिक्षण सत्र के अंतिम दौर में पहुंच जाने तक सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल का वितरण नहीं कर पा रही है। भाटापारा नगर पालिका द्वारा संचालित कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में सरस्वती सायकल योजना द्वारा वितरित की जाने वाली सायकल कभी प्रदान ही नहीं की गयी। प्रदेश भर की लाभार्थी छात्राएं दूर-दूर स्कूलों में पैदल जाकर अध्ययन करने को मजबूर हैं। शिक्षण सत्र के अंतिम दौर में 2 मार्च, 2020 को 10वीं, 3 मार्च, 2020 को 12वीं बोर्ड परीक्षा भी प्रारंभ हो रही है, तब तक छात्राओं को सायकल न मिलने से प्रदेश के हजारों छात्राओं व उनके पालकों के मन में शासन एवं प्रशासन के प्रति गंभीर नाराजगी व आक्रोष व्याप्त है।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि सरस्वती सायकल योजना ने प्रदेश में दम तोड़ दिया है। योजना के अंतर्गत सायकल क्रय का आदेश दिया जा चुका है तथा 8499 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जा चुका है। यह

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

कहना सही नहीं है कि भाटापारा नगर पालिका द्वारा संचालित कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में सरस्वती सायकल योजना द्वारा वितरित की जाने वाली सायकल कभी प्रदान नहीं की गई। सत्य यह है वर्ष 2013-14 से इस शाला में छात्राओं को सायकल प्रदान की जाती रही है। छात्राओं एवं पालकों के मन में कोई रोष नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बजट सत्र में घोषणा करते हैं कि अब छात्राओं के साथ-साथ छात्रों को भी सायकल मिलेगी। परन्तु इतनी महत्वपूर्ण योजना है, हम बच्चियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, पूरे एक साल में अभी तक छात्राओं को सायकल नहीं मिली है। मैं अभी इस सदन में बताऊंगा और आपसे जानकारी मागूंगा। सिर्फ टेन्डर, टेन्डर के खेल में, दो विभागों के झगड़े में सायकल बंटने का काम रूका हुआ है और छत्तीसगढ़ की लाखों छात्राओं के साथ में अन्याय किया जा रहा है, खाली दो विभागों का झगड़ा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुल कितनी छात्राओं को सायकल वितरित होना है?

समय :
12:29 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो ध्यानाकर्षण है, आपने कहा है कि योजना आरंभ होने के बाद से किसी भी वर्ष छात्राओं को समय पर सायकल वितरित नहीं हो पाई। हम सब लोगों की कोशिश यही रहती है कि छात्राओं को समय पर सायकल मिल जाये। हम यही कोशिश करेंगे कि छात्राओं को समय पर सायकल मिल जाये, लेकिन प्रक्रियाओं में कमी के कारण सायकल वितरण में प्रक्रियात्मक विलंब हुआ है। हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि छात्राओं को सायकल मिल जाये। और जिनको जितनी सायकल मिलनी चाहिए थी, उसमें कुल 1 लाख 74,632 छात्राओं को साईकिल दिया जाना है और जैसा कि मैंने बोला है कि इसमें कार्यादेश जारी हो चुका है और जल्द से जल्द हम लोग इसको पूरा करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर विषय है कि 1 लाख 74 हजार 236 छात्राओं को साईकिल वितरित होना है और अभी तक केवल 8499 छात्राओं को साईकिल वितरित हुए हैं यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि साईकिल वितरण करने के लिये, साईकिल खरीदी के लिये अभी तक साल भर में क्या-क्या प्रक्रिया अपनायी गयी, कृपया इसकी जानकारी दे दें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रक्रियाओं में आता है कि जो टेंडर होते हैं, बीच में नगरीय निकाय के चुनाव भी थे, पंचायत के चुनाव थे इस कारण से उसमें विलंब हुआ है और उसमें जो प्रक्रियात्मक विलंब हुआ है इस कारण विलंब हुआ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी आप मुझे यह बता दें कि साईकिल खरीदी के लिये क्या-क्या प्रक्रिया अपनायी गयी क्योंकि पूरा मामला कमीशन के खेल के कारण साईकिल नहीं खरीदी गयी है । दो विभागों के झगड़े के कारण नहीं खरीदी गयी है । आप मुझे यह बता दें कि आपने साईकिल खरीदी के लिये क्या-क्या प्रक्रिया अपनायी है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार के कोई कमीशन की बात नहीं है । आप लोग भ्रष्टाचार का अरोप लगा रहे हैं । आपके शासनकाल में, आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आप कमीशन की बात तो छोड़ दीजिये क्योंकि कमीशन तो आप लोग खाते थे, इधर कोई कमीशन खाने वाला नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे शासन का प्रश्न नहीं है, यह आपके शासन का है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अरूण वोरा जी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने कमीशन की बात की ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, मुझे यह बता दें कि साईकिल खरीदी के लिये क्या-क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ? (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक साल कमीशन खाना छोड़ दीजिये, हम लोग पूरा-पूरा काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अरूण वोरा जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी आपके पास इसकी जानकारी है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हां, मेरे पास है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके पास जानकारी है कि क्या-क्या प्रक्रिया अपनायी गयी, उसे आप बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बता दीजियेगा, श्री अरूण जी को बोलने दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने साईकिल खरीदी करने के लिये दिनांक 10.07.2019 को सी.एस.आई.डी.सी. को चिट्ठी लिखी कि साईकिल खरीदना है आप अपना रेट कांट्रेक्ट करके हमको दे दीजिये उसके बाद पुन: हम लोगों ने दिनांक 03.10.2019 को चिट्ठी लिखी, स्मरण पत्र लिखा कि इसको जल्दी से कराना है । दिनांक 08.11.2019 को पुन: हमने चिट्ठी लिखी परंतु सी.एस.आई.डी.सी. ने दिनांक 15.11.2019 को हम लोगों को सूचित किया कि दिनांक 25.06.2019 को जो हमने टेंडर किया था, उसको अपरिहार्य कारण से निरस्त कर दिया गया है उसके बाद चुनाव आ गया, नगरीय-निकाय के चुनाव आ गये, पंचायत के चुनाव आ गये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया वही तो बताईये कि आपने क्यों निरस्त किया ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, अपरिहार्य कारणों से जो टेंडर निरस्त किया है उसे निरस्त करने का आप कारण भी बताईये । हमारा आरोप तो यही है कि आपके आदमी को ठेका नहीं मिल रहा था इसलिए आपने उसको निरस्त किया । आप इस सदन को टेंडर निरस्त करने का कारण बताईये ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर यहां निरस्त नहीं हुआ । आपके सी.एस.आई.डी.सी. ने जो टेंडर किया था दर अनुबंध करने के लिये ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंतर्गत, अखिल भारतीय स्तर पर जो निविदा की थी वह अपरिहार्य कारणों से निरस्त हुआ था । मैंने उसको नहीं किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- अपरिहार्य कारण क्या है उसको तो बताईए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद पंचायत के और नगरीय-निकाय के चुनाव आ गये । उसमें भी विलंब हुआ और उसके बाद दिनांक 13.12.2019 को हम लोगों ने उससे छूट मांगी कि हमको जेम्स से खरीदने की अनुमति प्रदान की गयी और दिनांक 24.12. को हमको उसकी अनुमति वहां से मिली । दिनांक 28.12.2019 को साईकिल खरीदने के लिये टेंडर की प्रक्रिया की कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई । दिनांक 30.12.2019 को साईकिल खरीदने के लिये जेम्स के माध्यम से टेंडर की प्रक्रिया उसमें आरंभ हुई । दिनांक 13.01.2020 को यह प्रक्रिया पूरी हुई । दिनांक 13.01.2000 को निविदा खोली गयी, क्रय समिति की वित्तीय निविदा खोली गयी, उसके बाद हम लोगों ने दिनांक 15.01.2000 को क्रय समिति के समक्ष वित्तीय निविदा खोली, जिसमें एल-वन और एल-टू की प्रक्रिया शुरू हुई ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपने प्रयास किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छठवें महीने में सी.एस.आई.डी.सी. को पत्र लिखा गया कि साईकिल के टेंडर का क्या हुआ ? सी.एस.आई.डी.सी. ग्यारहवें महीने में बताता है कि हमने निरस्त कर दिया । 5 महीने तक सी.एस.आई.डी.सी. क्या कर रहा था ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 02 अगस्त को टेंडर की अंतिम तिथि थी, 3 दिन बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया क्योंकि शिक्षा विभाग चाहता था कि हम जिन फर्मों को चाहते हैं उन्हीं को टेंडर दिया जाए और सीएसआईडीसी चाहता था कि हम टेंडर करें । अध्यक्ष महोदय, अगस्त के बाद सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, चार महीने तक शिक्षा विभाग सीएसआईडीसी से एन.ओ.सी. मांगता रहा लेकिन शिक्षा विभाग को एन.ओ.सी. नहीं मिली, क्या कारण है ? यह सरकार का आपसी मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लड़कों को भी सायकल देंगे, जबकि यहां लड़कियों को ही नहीं मिल रही है । मैं आपसे जानना चाहता हूं

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि इसके लिए कौन-कौन दोषी है कि जिन छात्राओं को 6 महीने पहले सायकिल मिल जानी चाहिए थी, आज परीक्षाएं चालू हो गई हैं और उन्हें सायकिल नहीं मिली है । अगले वर्ष हमको जानकारी मिलेगी कि साइकिल नहीं मिलने के कारण बहुत से माता-पिता अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, इसके लिए कौन दोषी है, यह तो पाप है । अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन लोग दोषी हैं, क्यों डिले हुआ और उन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे ? आने वाले वर्षों में छात्राओं को सही समय पर सायकिल मिल जाए, इसके लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि सिर्फ ब्रांडेड कंपनियों की सायकिल देंगे । लेकिन लोकल कंपनियों को सायकिल का ऑडर दे दिया गया है । न हीरो है, न एटलस है, आप किसको दे रहे हैं, ज़रा बता दीजिए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी की गलती नहीं है और न ही इस पर किसी पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है । प्रक्रियाओं में विलंब हुआ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रक्रियाओं में कितना विलम्ब होता है, 10 महीने ?

डॉ. प्रेमसाय सिंहस टेकाम :- प्रक्रियाओं में विलम्ब हुआ । चुनाव के कारण विलम्ब हुआ, अगले वर्ष कोई चुनाव नहीं होंगे, अगले वर्ष उन्हें समय पर सायकिलें दी जाएंगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है । बच्चियों को 8 महीने लेट सायकिल मिल रही है । हम कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह गंभीर मामला नहीं है, प्रक्रियाओं की देरी हुई है तो सरकार इतनी लापरवाह हो गई कि नवीं क्लास की बच्चियों को सायकिल देने तैयार नहीं है । मैं तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुरूप छात्रों को भी सायकिल दी जानी है, क्या दोनों को सायकिल देने के लिए आपके पास इस वर्ष पर्याप्त बजट है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाओं में विलम्ब के चलते पहले भी ऐसा होता रहा है । हम लोग कोशिश करेंगे । जैसा कि आपने खुद स्वीकार किया है और लिखा है कि पहले भी विलम्ब होता रहा है । इसमें केवल प्रक्रियात्मक देरी हे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छात्रों के बारे में बता दीजिए कि छात्रों को सायकिल देने के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- घोषणा पूरे 5 साल के लिए है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसी साल, बजट में घोषणा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, 5 साल में करेंगे ना । अभी हम लोगों ने शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया है । आप लोगों तो शिक्षा कर्मियों का संविलियन करने की केवल घोषणा करते रहे । आखिर हम लोगों ने ही किया ना, वैसे ही इसको भी पूरा करेंगे ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है कि दो विभागों के आपसी झगड़े के कारण, कमीशन के खेल के कारण बच्चियों को सायकिल नहीं मिल रही है । मैं तो चाहूंगा कि मंत्री जी को जांच के निर्देश देने चाहिए कि विलम्ब के लिए कौन दोषी है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपका हर मामला गंभीर ही होता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप इसको जवाब-सवाल के रूप में मत लीजिए, मामला सायकिल खरीदी का है, अभी आपको और सायकिल खरीदना पड़ेगा । अभी एक विभाग से दूसरे विभाग में जवाब आने में पांच महीना लग रहा है यह बहुत ख़राब लक्षण है मंत्री जी, पांच मिनट के अंदर आप फ़ैसला कीजिए और पांच मिनट के अंदर वो जवाब दें, बच्चों को सायकिल देने के लिए आपके दो विभागों की लालफीताशाही के बीच में बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए । भविष्य में आपको और खरीदना है इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि टेंडर की प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आगामी वर्ष में हम टेंडर की प्रक्रिया जल्दी करेंगे और समय पर सब बच्चियों को सायकिल देने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी नाम है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं है । नारायण चंदेल का ही नाम है ।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में सायकिल वितरण का काम किसे दिया गया और प्रदेश में 5 वर्षों में कितनी छात्राओं को सायकिल वितरित की गई और प्रदेश के किन-किन जिलों में दी गई ?

अध्यक्ष महोदय :- इतना विस्तृत प्रश्न ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, यह तो छात्राओं की संख्या घटती बढ़ती रहती है । हर साल कितना एडमीशन होता है । लेकिन 2016-17 में सीएसआईडीसी के द्वारा दी गई विशाल सायकिल, कोहिनूर सायकिल, एवन सायकिल और हीरो सायकिल । वर्ष 2017-18 में एटलस साइकिल, कोहिनूर साइकिल, हीरो, इकोटेक, रवि इंडस्ट्री, एवन साइकिल और हीरो साइकिल। वर्ष 2018-19 में जेम के द्वारा कोहिनूर साइकिल, सेट इन्डस्ट्री लुधियाना को दिया गया और वर्ष 2019-20 में कोहिनूर साइकिल और विशाल साइकिल को दिया गया। इन्हीं को दिया जाता रहा है। वही प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हम साइकिल किसे देते हैं? गरीब के बच्चों को देते हैं? कोई पब्लिक स्कूल की छात्राओं को नहीं देते हैं। किसान के, गरीब के गांव की बेटियों के लिए छात्राओं के लिए इस तरह की जो लापरवाही सरकार के द्वारा हो रही है। बार-बार टेंडर को प्रक्रिया या आड़ लेकर निरस्त किया जा रहा है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह इतना गंभीर विषय है। माननीय आसंदी से आप आदेशित करिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बार-बार प्रक्रिया के तहत बोलते हैं कि कभी चुनाव आ गया। कभी आचारसंहिता आ गया। यह तो चलते रहेगा। चुनाव आचारसंहिता में भूमि-पूजन और लोकार्पण के लिए प्रतिबंध रहता है। टेंडर जारी करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता।

श्री कवासी लखमा :- नई बात।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- नई बात कर रहे हैं। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग उसका परमिशन देता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, परमिशन ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लंबा हो रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- और यह बहुत संवेदनशील मामला है। हम दुकालू, सुकालू, बैशाखू, समारू, पहारू के बच्चियों को साइकिल देते हैं। तो उसके लिए आप परमिशन नहीं ले सकते। आपकी सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ले ना ज्यादा मत लमा।

श्री नारायण चंदेल :- राह न अभी थोड़ा चलही। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- सीधा प्रश्न करिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार एक वर्ष में टेंडर निरस्त किया गया ? क्यों किया गया? किन-किन जिलों का किया गया? क्या जिले के अलग-अलग टेंडर बुलाये थे या पूरे प्रदेश के एक साथ बुलाये थे ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस वित्तीय वर्ष में आप छात्राओं को साइकिल प्रदान कर देंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, तभी तो विधान सभा में आया है। इसी गंभीर बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी गंभीर है और हम लोग भी गंभीर हैं। छात्राओं को साइकिल मिल जाये, इसके लिए हम इसी वित्तीय वर्ष में छात्राओं को साइकिल दे देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। शैलेश पाण्डे।

श्री नारायण चंदेल :- कहां से दे देंगे। अभी तो टेंडर ही नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पाण्डे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरा ध्यानाकर्षण लगा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- इस बार दे देंगे न। शैलेश पाण्डे को बोलने दीजिए।

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोगों ने जमा किया है। मेरे क्षेत्र से संबंधित मामला है। इसमें भाटापारा का उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही बात है न। सब जगह आज कर देंगे बोल रहे हैं इसी सत्र में।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में गलत प्रशासन निर्णय हो रहा है। ये बच्चियां परीक्षा के बाद अपने घर चली जायेंगी। इन्हें साइकिल कैसे वितरित करेंगे ? यह बड़ा आश्चर्यजनक है। बाद में वित्तीय वर्ष समाप्त हो जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जायेगा। 01 लाख 74 हजार साइकिलें बांटना है। इन्होंने जिन साइकिल कंपनियों को आदेश दिया है, उनकी क्षमता क्या है? वे यह तो बता दें। क्या वे इतना कलेक्शन कर पायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- अब छोड़िए न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हुई ही नहीं है आज तक। मैंने जवाब दिया है। माननीय वरिष्ठ मंत्री ने कहा था कि भाटापारा में आज तक साइकिल वितरण किया ही नहीं गया है। भाटापारा में साइकिल नहीं दिया गया है। जानकारी दी थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे पूछा है कि इसके कौन-कौन से टेंडर बुलाये गये? पहला टेंडर सी.एस.आई.डी.सी. ने और दोबारा शिक्षा विभाग ने बुलाया और शिक्षा विभाग ने टेंडर बुलाकर जिसको आदेश किया है, उसकी क्षमता इतनी है कि वह 01 लाख 74 हजार साइकिल आपको 31 मार्च के पहले दे दें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर के शर्तों में रहता है कि हम 20 सप्ताह तक बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें विलंब होगा..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शैलेश पाण्डे।

श्री शिवरतन शर्मा :- 20 सप्ताह तक बढ़ा सकते हैं माने..। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- साइकिल नहीं दे पा रहे हैं। इसमें मंत्री जी का यह जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इस बार आपने टेंडर दिया है क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सरकार बच्चियों के साथ अन्याय कर रही है। बच्चियों के साथ अन्याय है। उन्हें साइकिल वितरित नहीं की जा रही है। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पाण्डे।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन चेपटा वाले दे रहो। तुम्हर समय म पूरा मडगाड मन हा चेपट जात रहिसे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:48 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम पेण्डारी में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान अमानक दवा देने से महिलाओं की मौत होना।

श्री शैलेष पाण्डे (बिलासपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

नसबंदी शिविर 8 नवंबर, 2014 जोकि तखतपुर विकासखण्ड में ग्राम पेण्डारी में आयोजित हुआ, जिसमें नसबंदी ऑपरेशन के बाद 83 महिलायें बीमार हुईं तथा उसमें से 13 महिलाओं की मृत्यु हो गयी। तत्कालीन सरकार ने दवाई खरीदी प्रक्रिया में जमकर लापरवाही की, जिसके कारण अमानक स्तर की दवाइयां प्रचलन में आईं। कलकत्ता की लैब में सिप्रोसीन टेबलेट के अमानक होने की रिपोर्ट आयी है। 13 गरीब महिलाओं की मृत्यु होने के बाद भी तत्कालीन शासन-प्रशासन के दवा खरीदी करने वाले लोगों पर कार्यवाही करने के बजाय, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर कार्यवाही की गयी। महावर फार्मा रायपुर एवं मेसर्स कविता फार्मा तिफरा के संचालकों द्वारा जांच रिपोर्ट के अनुसार दवाई की आड़ में जहर की सप्लाई कर दी थी। लोगों की जान से पूर्णत: खिलवाड़ किया गया था। शासन स्तर पर दवा खरीदी में भारी अनियमितता की गई। मृतक माताओं के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। इससे बिलासपुर और प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि नसबंदी शिविर 8 नवम्बर, 2014 को तखतपुर के विकासखण्ड के ग्राम पेण्डारी में आयोजित हुआ, जिसमें नसबंदी आपरेशन के बाद 83 महिलायें बीमार हुईं तथा उनमें से 13 महिलाओं की मृत्यु हो गई। यह सही नहीं है कि 13 गरीब महिलाओं की मृत्यु होने के बाद दवा खरीदी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय, आपरेशन करने वाले डाक्टर पर कार्रवाई की गई। वस्तुस्थिति यह है कि कलकत्ता की

अभिलेख/प्रकाशन के लिये नहीं

लैब में सिप्रोसिन टेबलेट के अमानक होने संबंधी रिपोर्ट जानकारी में आने पर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से इस दवाई के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के पश्चात शासन ने तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारी, जो प्रथम दृष्टयां दोषी पाये गये थे, उन पर कार्रवाई करते हुए दवा खरीदी के लिए जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर डॉ. आर.के.भांगे को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, जिनके कारण अमानक स्तर की दवाईयां प्रचलन में आई। वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन औषधि निरीक्षक रायपुर द्वारा दिनांक 13.11.2014 को निर्माता फर्म मेसर्स महावर फार्मा प्रायवेट लिमिटेड खम्हारडीह, रायपुर के संचालक श्री रमेश महावर एवं श्री सुमीत महावर के विरूद्ध थाना-पण्डरी रायपुर में उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 373/14 दर्ज किया गया। महावर फार्मा को स्वीकृत औषधि अनुज्ञप्ति को दिनांक 26.12.2014 को निरस्त किया गया एवं मेसर्स कविता फार्मास्यूटिकल्स तिफरा बिलासपुर की अनुज्ञप्ति को दिनांक 07.02.2015 को निरस्त किया गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एस.ओ.पी. का पालन नहीं करने के दोषी पाये गये नसबंदी संपादित करने वाले डॉ. आर.के.गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त किया गया। तत्कालीन खंड चिकित्सा अधिकारी विकासखंड तखतपुर डॉ. प्रमोद तिवारी को निलंबित किया गया तथा राज्य स्तर पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन राज्य नोडल अधिकारी परिवार कल्याण को निलंबित किया गया। तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अमर सिंह ठाकुर को स्थानान्तरित किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा महावर फार्मा को गुड मेनेफेक्चरिंग प्रैक्टिसेज का प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रक श्री हेमंत श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। अमानक दवाईयां सप्लाई करने वाले महावर फार्मा रायपुर एवं मेसर्स कविता फार्मा तिफरा के संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार पुलिस एवं न्यायालयीन कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह कहना सही नहीं है कि मृतक माताओं के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। शासन द्वारा मृतक माताओं के परिवार को निम्नानुसार सहायता प्रदान की गई।

आर्थिक सहायता

01. शासन द्वारा मृत मरीजों के आश्रित को 04 लाख का मुआवजा तथा भर्ती प्रत्येक मरीज के आवश्यक ईलाज की व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक मरीज को रूपये 50 हजार मुआवजा दिया गया।
02. घटना में मृत महिला के प्रत्येक अव्यस्क बच्चों को राज्य सरकार द्वारा गोद ले लिया, उनके नि:शुल्क स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की गई, जिनकी संख्या 32 है।
03. घटना में मृत महिला के प्रत्येक अव्यस्क बच्चे के नाम पर रूपये 3.00 लाख (रू. तीन लाख) की राशि सावधि जमा की गई, जो अव्यस्क बच्चे एवं जिला कलेक्टर के संयुक्त नाम से जमा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बच्चे के व्यस्क होने पर सावधि जमा की राशि जिला कलेक्टर द्वारा आहरित कर बच्चे को भुगतान की जायेगी।

04. यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के पूर्व उसके भरण-पोषण हेतु परिवार की राशि की आवश्यकता होने पर उक्त सावधि जमा की राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का आहरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाकर संबंधित परिजन को उपलब्ध कराई जायेगी।

शैक्षणिक सुविधा

1. घटना में मृत महिलाओं के अवयस्क बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु राज्य शासन के शिक्षा विभाग के द्वारा 32 बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है ।

स्वास्थ्य सुविधा

1. घटना में मृत महिलाओं के अवयस्क बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपोलो अस्पताल बिलासपुर में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा हेल्थ कार्ड जारी किये गए हैं ।
2. घटना में पीड़ित अन्य महिलाओं जिनका इलाज बिलासपुर के विभिन्न चिकित्सालय में किया गया है, उन्हें आगामी 01 वर्ष तक अपोलो अस्पताल बिलासपुर में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई । उनके इलाज पर होने वाले व्यय विभाग द्वारा वहन किया गया, जिनकी संख्या 121 है ।

अत: शासन द्वारा की गई कार्यवाही से वर्तमान में बिलासपुर और प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त होने जैसी कोई स्थिति नहीं है ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न्याय का मंदिर है और माननीय मंत्री जी बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं । मैं आपका ध्यान और सभी सदस्यों का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, विशेष रूप से हमारी जो विधायक बहनें बैठी हुई हैं, वे भी ध्यान से जरूर सुनें । नसबंदी शिविर में मरने वाले महिलाओं का विवरण मैं आपको बताना चाहता हूं-चन्द्रकली 22 साल, नीरा बाई 30 साल, रंजीता 25 साल, जानकी बाई 26 साल, पुष्पा बाई 25 साल, शिवकुमारी 26 साल, नयन बाई 30 साल, फूलबाई 28 साल, रेखा निर्मलकर 24 साल, दीप्ति 28 साल, नीता 25 साल, दुलारिन 25 साल, चैनीबाई 30 साल । ये नसबंदी कराने की कोई उम्र है ? ये कहां से पकड़कर लाई गईं? ये पकड़कर लाकर नसबंदी करवाई गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए न ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शैलेश पांडे :- अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार में जो काम हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब दिया है, वह पर्याप्त नहीं है । आपने पश्चाताप किया है । ठीक है, विभाग ने उनको आर्थिक सुविधा दी, लेकिन यह न्याय नहीं है । 13 महिलाओं की मृत्यु हुई है । यदि एक महिला की मृत्यु होती है तो उसको फांसी देनी चाहिए थी । यहां 13 महिलाओं की मृत्यु हुई है और ये दवाइयां केवल बिलासपुर में ही नहीं बंटी हैं, ये दवाइयां पूरे जिले में बंटी हैं । इस दवाई में कहां-कहां तक प्रभावित हुए हैं, वह मैं बताना चाहता हूं । पेंण्ड्रा, गोरेला में भी एक मौत हुई थी और न जाने कितने लोग उसमें बीमार हुए । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमानक दवाई कहां से चैक करवायी गयी, जिसके कारण यह पता चला कि यह दवाई अमानक थी ? ऐसा पेपर में छपा था कि महिलाओं को मारने के लिए इसमें चूहा मार दवाई मिलाई गई थी, मेरा पहला प्रश्न यह है और मेरा दूसरा प्रश्न है कि नसबंदी कांड में दवाई कम्पनी का मालिक कौन था और उन पर क्या-क्या कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई और शासन के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बहुत गंभीर मामला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अकबर साहब, यह जो ध्यानाकर्षण चल रहा है, इस पर भी न्यायिक जांच चल रही है । आपके ध्यान में ला रहा हूं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने जो काम किया है, उसी के नाम से यह ध्यानाकर्षण लगा है ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आपके समय का है, उसमें न्यायिक जांच चल रही है ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण चल रहा है, उसमें न्यायिक जांच चल रही है । यह तो वाद-विवाद है न, कोई आदेश थोड़ी है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, इतनी महिलाओं की मौत हुई है, उसमें आप मजाक कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इसमें न्यायिक जांच चल रही है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- गंभीर मसला है, इसको विषयांतर न किया जाए । इसमें मेरा आग्रह है । मेरा विपक्ष से आग्रह है कि गंभीर विषय को विषयांतर न किया जाए । केवल महिलाओं की मृत्यु हुई है, उस पर चर्चा चल रही है इसको विषयांतर न किया जाए (व्यवधान)

डा. लक्ष्मी ध्रुव :- यह बहुत गंभीर मामला है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं कहां विरोध कर रहा हूं, मैं जो सिर्फ यह जानकारी दे रहा हूं कि इसमें न्यायिक जांच चल रही है । बृहस्पत जी, कोई बात बोलें तो उसको समझ लेना चाहिए । मैंने विरोध नहीं किया है, मैंने सिर्फ ध्यान में लाया है कि उसकी न्यायिक जांच चल रही है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी, मैं भी आपके ध्यान में ला रहा हूं कि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । इनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं की जा रही है कि विधान सभा की समिति या कोई भी जांच करेगी । वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन स्पेशिफिक पहले से यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच करके कोई परिणाम दिया जा चुका है । उसमें केवल यह सवाल है कि उसमें जांच हो सकती है या नहीं, उसमें व्यवस्था आ जाएगी । उसमें तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, जब विधान सभा में कोई विषय आता है तो डिस्कशन के बाद निर्णय में पहुंचे, इसीलिए डिस्कशन होता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी जिस विषय को उठा रहे हैं, वह विषय यहां नहीं उठ सकता ।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो मैं देख रहा हूं न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने निर्णय दे दिया और आपके निर्णय के बाद में विधान सभा अध्यक्ष के निर्णय के विरूद्ध यह विषय सदन में नहीं उठ सकता ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने सुना है, मैंने देखा है इसलिए माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर रहा हूं कि अगर इस पर न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है तो कोई ऐसा जो न्याय को प्रभावित करे, उस तरह का उत्तर देने की आपको आवश्यकता नहीं है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछे गये हैं, ऑन रिकार्ड है, मेरा विश्वास है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । मैं सदन के समक्ष वह जानकारी जो पूछना चाहा है, तत्कालीन औषधि निरीक्षक रायपुर द्वारा दिनांक 13.11.2014, 8/11 की यह घटना थी । 13/11 को निर्माता फर्म मे. महावर फार्मा प्रायवेट लिमिटेड खम्हारडीह के संचालक श्री रमेश महावर, श्री सुमीत महावर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया गया । दूसरा, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला से इनकी रिपोर्ट 19.11.2014 को आई, 22.2.2014 एस.एस./सी.जी.-13/1701 सिप्रोसीन 500 बैच नंबर 14001 सी.डी. अवसान तिथि 9/2016 निर्माता मेसर्स महावर फार्मा प्रायवेट लिमिटेड खम्हारडीह रायपुर को अवमानक स्तर का घोषित किया गया । सर्वप्रथम यह रिपोर्ट इस तारीख को आ गई थी कि अवमानक घोषित किया गया । निर्माता फर्म ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.01.2015 को पत्र प्रेषित कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधान के तहत सी.डी.एल. सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है, सी.डी.एल. के उक्त रिपोर्ट को चैलेंज किया गया । इसके फलस्वरूप चैलेंज रिपोर्ट 25.5.2016 में संचालक केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता द्वारा सैम्पल मानक स्तर का नहीं पाया गया । रिपोर्ट आई, उसको चुनौती दी गई, कलकत्ता से दोबारा रिपोर्ट मंगाई गई, 25.5.2016 को अमानक स्तर का नहीं पाया गया ।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । इसमें हमने सी.एम.ओ. को बर्खास्त किया है, क्या शासन में सी.एम.ओ. स्तर पर दवाईयों का निर्धारण किया जाता है ? दवाईयां निर्धारण करने के लिए कौन सी दवाई मरीज को दी जायेगी, किस काम के लिए है, इसके लिए शासन में नियम क्या है ? कौन-कौन अधिकारी इसमें अनुमोदन करते हैं, अनुशंसा करते हैं ? किसकी अनुशंसा पर यह दवाई खरीदी गई ? सबसे बड़ी बात है, अनुशंसा किसकी थी ? कोई समिति की थी या किसकी थी ? दूसरी बात, इसमें शासन में जो कार्यवाही की गई है, यह कार्यवाही पर्याप्त नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, यह उन 13 महिलाओं के साथ अन्याय है, जिनकी मौत हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । इसमें न्यायिक जांच चल रही है ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, केवल न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, चूंकि तखतपुर विधान सभा के बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हुई है, जैसा कि माननीय सदस्य श्री शैलेष पाण्डेय जी ने बताया कि जिनकी 30 वर्ष की भी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, जब बीमा कंपनी के द्वारा किसी भी क्लेम का निर्धारण किया जाता है तो आयु के अनुसार होता है । लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आर्थिक सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, इससे ही उन्हें न्याय मिलना मान लिया जाये ? सदन की अगर ऐसी राय है कि न्याय माना जाये तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों ने महतारी न्याय यात्रा में शामिल होकर कानन पेण्डारी से रायपुर तक पदयात्रा की थी । आज जब हम सत्ता में आ गये हैं, उन माताओं को वास्तव में न्याय दिलाने के लिए केवल पांच डॉक्टरों में, दो की बर्खास्तगी हुई, एक स्थानांतरित हुये, दो निलंबित हुये । निलंबित अधिकारी वापस काम में आ चुके हैं । जो बर्खास्त हुये, उन डॉक्टरों के बारे में फिर भविष्य में शासन ने क्या जांच की ? जब दवाई खराब पाई गई तो डॉक्टरों के साथ भी न्याय होना चाहिये कि उनकी गलती थी कि दवा की गलती थी ? दवा निर्माताओं के द्वारा दवा दी गई थी, शासन ने आज तक जो मुआवजा दिया है, क्या उसकी रिकवरी के लिए कोई और केस दर्ज हुआ ? केवल धारा 420, 67 और 71 में ही आज तक केस दर्ज है । इन धाराओं में दवा निर्माताओं के विरूद्ध कोई विशेष प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका नाम ध्यानाकर्षण में नहीं है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल आया कि दवाईयां कैसे खरीदी जाती है । पूर्व में जो प्रक्रिया थी, डिसेंट्रलाईज भी खरीदी होती थी, सिविल सर्जन सी.एम.एच.ओ. इनके माध्यम से, उस समय सी.एम.ओ. के माध्यम से आवश्यकतानुसार अनुमति लेकर की जाती रही है । वर्तमान में इंडेन की प्रक्रिया है, सी.जी.एम.एच.सी. जबसे अस्तित्व में आया है, सी.जी.एम.एच.सी. के माध्यम से दवाई खरीदी जाती है । यह कलकत्ता के जांच रिपोर्ट में जो जानकारी आई थी, सिप्रोसीन को अमानक पाया गया था, इसका कंटेंट 51.4 पाया गया था । इसमें चूहा मार दवाई के कण उपलबध होने की जानकारी इसमें नहीं दी गई है ।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगी कि विधानसभा के सदस्यों की समिति बनाकर इस मामले की जांच की जाए। पहले की जांच की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री और पहले जो व्यवस्था में थे वह सब अपने विरूद्ध कोई जांच नहीं करना चाहते थे। वर्तमान सरकार इसकी जांच करें।

अध्यक्ष महोदय :- पुरानी व्यवस्था दे दें, उसके बाद हम इसमें सोचेंगे। आप इसमें अंतिम प्रश्न पूछिए।

श्री शैलेष पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, दो तरह से न्याय मिल सकता है। या तो सरकार न्याय करे या कोर्ट न्याय करे।

अध्यक्ष महोदय:- एक प्राकृतिक न्याय भी होता है वह मिल जायेगा।

श्री शैलेष पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा यह कहना है कि शासन ने इसे कोर्ट में बहुत देर से सबमिट किया और न्यायालय से भी उनको अभी तक किसी प्रकार का दंड नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की समिति इसकी जांच करे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मामला न्यायाधीन है और तत्काल मैं इसमें कमेटी के गठन की आवश्यकता महसूस नहीं करता क्योंकि अभी प्रकरण न्यायाधीन है। जहां तक विलंब से कार्रवाई हुई है।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- माननीय उसमें जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें कम से कम विवेचना तो करिए क्योंकि वह धाराएं बहुत मामूली हैं। वह धाराएं 13 महिलाओं के मौत के अनुरूप नहीं हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें यह अवश्य है कि बीच में जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत देरी की गई, ये बात जो माननीय सदस्य कह रही हैं उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और रिकार्ड भी यह दर्शाता है कि उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कागज बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा लगा कि वह जांच में कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाने में देरी कर रहे हैं। वह जो अधिकारी हैं उनको निलंबित करने की घोषणा मैं आज पटल पर करता हूं। श्री धर्मवीर सिंह औषधिक निरीक्षक, राजेश खत्री सहायक औषधि नियंत्रक इन दोनों को सस्पेंड करने की मैं घोषणा करता हूं।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- हम दवा निर्माताओं के विरूद्ध कार्रवाई के बारे में जानना चाहते हैं?

श्री शैलेष पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, वह दवा के विक्रेता लोग खुलेआम घूम रहे हैं और दूसरे नाम से दवाईयां बेच रहे हैं। उनकी दवाईयां फिर सरकार खरीद रही होगी या लोग खरीद रहे होंगे। ऐसी घटना फिर से हो सकती है।

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- जिसने सप्लाई किया, जो मौत के लिए जवाबदार था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? डॉक्टर के इलाज से सिर्फ समाधान नहीं होता। सवाल इस बात का है कि जिसने दवाई सप्लाई किया, उससे जितने लोगों की मौत हुई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

अध्यक्ष महोदय :- विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं दो डॉक्टरों को डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी और डॉ. विनय जायसवाल को मैं अनुमति देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो बहिर्गमन करो।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी न्याय यात्रा को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए मैं कांग्रेस के सहयोगियों से मदद की आशा रखती हूं।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि नसबंदी कांड छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक की तरह है और यह पूर्ववर्ती सरकार के अकर्मण्यता और विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात कि इस पूरे कांड में जिस तरह से जांच में लीपापोती की गई है वह बहुत मार्क करने की बात है। जिस डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया उस डॉक्टर को 26 जनवरी को फैमली प्लानिंग में, नसबंदी में सबसे अच्छा काम करने के लिए राज्य स्तर का पुरस्कार मिला था। मेरे तीसरे नंबर की बात कि अमानक ड्रग और स्पूरियस ड्रग इन दोनों बातों में अंतर है। पिछली सरकार में स्पूरियस ड्रग का बहुत बड़ा खेल हो रहा था। यह तो 13 महिलाओं के मौत की बात है माननीय मंत्री जी जिस सिप्रोफ्लॉक्सेसिन की बात कर रहे हैं उस थ्रेड का जो ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन वह न जाने कितने लोगों तक बंटा था और ये जो 13 महिलाएं मरी हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन बहुत ही सामान्य ड्रग होता है। कोई भी खाता है, किसी के भी बोलने से सिप्रोफ्लोक्सासिन पांच मिलीग्राम का दे दिया जाता है। उस ड्रग को खाने के बाद 13 महिलाएं नसबंदी के बाद मरी। नसबंदी का कोई compilcation नहीं था। पूरी जांच में आप देख लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- जांच का विषय नहीं है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- compilcation क्यों किया गया। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- डॉक्टर की कमी स्पष्ट ही नहीं था। कहीं पर interaction नहीं था। लेकिन सिप्रोफ्लोक्सासिन को खाने के बाद 13 महिलाओं की मौत हुई। जो कि चूहा मार दवाई मिला हुआ था। वह ड्रग न जाने कितना बंटा हुआ था और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें भाषण की अनुमति नहीं है। प्रश्न करिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- सिप्रोफ्लोक्सासिन खाकर न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जो 13 लोगों की मौत नसबंदी कांड

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

में हुई है। लेकिन उसके बाद कितने लोगों की मौत हुई। यह भी एक जांच का विषय है। इसमें माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल तो चूहा मारने की दवा खाने से आदमी तक नहीं मरता है। ये तो मूसवा मारने से दूसरे लोग मर गये, भाजपा सरकार की (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. बांधी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दवाई बनाने वालों के ऊपर दफा 302 लगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, आप भी हैं, ये सस्ते में छाप दिया गया। उनके साथ लिपापोती की गयी है। ये न्याय नहीं है। यह 13 महिलाओं के साथ अन्याय है। इसमें दोनों कंपनियों के मालिक को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- दवाईयों के अमानक स्तर को पाया गया था, इसके कारण मृत्यु हुई है। लेकिन एक अच्छा डाक्टर है, एक अच्छा सर्जन है, जो अपने जीवनकाल में सबसे ज्यादा आपरेशन बिना पब्लिकेशंस से किया और आनन-फानन। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपको प्रश्न करना है तो करिये, आप प्रसंशा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- डॉ. साहब, एक लाईन की बात है। (व्यवधान) जो खराब गड़बड़ जहर मिलाकर दवा देते हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण में आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी थी। प्रसंशा करने के लिये नहीं दी गयी थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- फांसी की सजा दिलवाओ न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जिन डॉक्टरों ने अच्छे काम किये हैं, उनको बेवजह (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- सिर्फ डाक्टर-डॉक्टर क्या बोलते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- दवाई सप्लाई करने वाले और दवाई निर्माता दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। (व्यवधान) इतनी बड़ी सजा देने से, डॉक्टर को सस्पेंड करने से समाधान नहीं होता, (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, हम सब माननीय सदस्यों की चिंता से हम लोग भी चिंतित हैं, सहमत हैं। अब सरकार कितने दायरे में रहकर क्या कार्यवाही करेगी यह जानकारी उन्होंने दे दिया। (व्यवधान) आगे क्या करना है, इसमें किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है। आपका अधिकार क्षेत्र है, आप बताईये क्या कार्यवाही करेंगे ? अध्यक्ष जी, हम लोग तो सुनते हुए बैठे हैं। आप कार्यवाही करिये न, हम लोग तो रोक नहीं रहे हैं ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) प्रदेश में संचालित सीमेंट कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में अनियमितता बरतना।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य में 7 सीमेंट प्लांट संचालित हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत प्रति 500 मजदूरों पर एक एम.बी.बी.एस. चिकित्सक अधिकारी नियुक्त कर आपरेशन हेल्थ सेंटर, जिसका संचालन राज्य एवं केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसियों का करना है, लेकिन अधिकतर सीमेंट कारखानों में 3000 से 4000 मजदूर कार्यरत हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखानों में कार्यरत मजदूरों/कर्मचारियों की जांच सोनोग्राफी, एक्सरे, लिपिड प्रोफाईड, ई.सी.जी, बी.पी. सुगर, पी.एफ.टी., आई टेस्ट और जनरल टेस्ट की जांचों को फार्म 21 के साथ संलग्न करना आवश्यक है। सारी जांचे विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कराई जानी चाहिए, जबकि सभी नियमों को दरकिनार करते हुए सभी सीमेंट संयंत्रों द्वारा अपने कारखाना परिसर में अपने संचालित अस्पताल खोल रखे हैं और कारखाना में कार्यरत चिकित्सक स्वयं ही जांच करके रिपोर्ट हस्ताक्षर कर के अपलोड कर रहे हैं, जो कि पूर्णत: अवैध है और मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। शासन के गैर जिम्मेदार अधिकारियों से साठगांठ करके छत्तीसगढ़ राज्य की बाहर की संस्थाएं जैसे नागपुर के माया हॉस्पिटल को ए.सी.सी. जामूल द्वारा काम दिया गया है और मुंबई के एक अन्य अस्पताल को श्री सीमेंट द्वारा कार्य दिया गया है। न्यूवोको विस्तास संयंत्र आरसमेंटा जिला - जांजगीर चांपा और सोनाडीह जिला-बलौदाबाजार में आज दिनांक तक सारे श्रमिकों का परीक्षण इसी संयंत्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है जो कि उच्च न्यायालय के निर्देशों और फैक्ट्री एक्ट के तहत गैर-कानूनी है। नियमों के उल्लंघन के उच्च स्तरीय जांचों के लिए राज्य शासन ने एक ग्रेजुएट चिकित्सक, जिसके पास ना ही स्पेशिलिस्ट डिग्री है, न ही कारखानों के लिये अति आवश्यक फेलासिफ एण्ड इंडस्ट्रियल हेल्थ (ए.एफ.आई.एच.) कोर्स किया गया, को पिछले कई वर्षों से अटेचमेंट में रखा गया है जो कि लगभग कारखानों में कार्यरत 50000 मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण देता है। श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलावाड़ और श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन से जनता और सीमेंट कारखानों के श्रमिकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी के दावपेज लगे हे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अरे रा ना, अब तोर जवाब दे के टाईम खत्म हो चुके हे, बईठ न भई। अभी तोर सुने के टाईम हे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में 10 सीमेंट प्लांट संचालित है जिसमें लगभग 15280 श्रमिक नियोजित है। यह कहना सही नहीं है कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत प्रति 500

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मजदूरों पर एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्ति कर आक्युपेशनल हेल्थ सेंटर जिसका संचालन केन्द्र एवं राज्य शासन से मान्यता प्राप्त एजेंसियों को करना है। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानानुसार खतरनाक उत्पादन प्रक्रिया वाले कारखानें जहां 200 से 500 श्रमिक कार्य करते हैं वहां आक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर स्थापित करने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे कारखानों में जहां 500 श्रमिकों के नियोजन तक की स्थिति में 01 तथा 1000 श्रमिकों में अतिरिक्त पूर्ण कालीन चिकित्सक जो एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी हो तथा ए.एफ.आई.एच. में डिप्लोमा हो नियुक्त करने का प्रावधान है।

यह कहना सही है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की जांच, सोनोग्राफी, एक्सरे, लिपिड प्रोफाईल, ई.सी.जी., बी.पी. शुगर, पी.एफ.टी. आई टेस्ट की जांचों को फार्म 21 के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

समय :
1:11 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

यह कहना सही नहीं है कि सारी चिकित्सा जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा करायी जानी चाहिए। जबकि सभी नियमों को दरकिनार करते हुए सभी सीमेंट संयंत्रों द्वारा अपने कारखाना परिसर में अपने संचालित अस्पताल खोल रखे हैं और कारखाना में कार्यरत चिकित्सक स्वयं ही जांच करके रिपोर्ट हस्ताक्षर कर के अपलोड कर रहे है, जो कि पूर्णत: अवैध है और मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अपितु छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131 के अनुसार कारखाना परिसर में ''आक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर'' स्थापित किया जाना प्रावधान में निहित है जिसमें अहर्ताधारी चिकित्सक जो कारखाना चिकित्सा अधिकारी के नाम निर्दिष्ट है श्रमिकों के नियोजन के पूर्व एवं अल्पअंतराल पर परीक्षण किया जायेगा, किए गए चिकित्सा परीक्षण का विवरण फार्म 21 में स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर में संधारित किया जायेगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट विभागीय पोर्टल में कारखाना अधिभोगी द्वारा अपलोड किए जाने के निर्देश है।

यह कहना सही नहीं है कि शासन के गैर जिम्मेदार अधिकारियों से सांठगांठ करके छत्तीसगढ़ राज्य की बाहर की संस्थाओं को कार्य दिया गया है, अपितु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41(ग) के अनुसार खतरनाक प्रक्रिया की श्रेणी में आने वाले समस्त कारखानों जिनमें राज्य में स्थित सीमेंट प्लांट भी है। इन खतरनाक श्रेणी के कारखानों में नियोजित श्रमिकों का चिकित्सीय परीक्षण कराना एवं अभिलेख रखना कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाना अधिभोगी की जिम्मेदारी है।

यह कहना सही नहीं है कि श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण संयंत्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं फैक्ट्री एक्ट के तहत गैर कानूनी है। अपितु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश एवं पारित निर्णय दिनांक 23.01.2017 के अनुसार राज्य में

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्थापित कोयले के द्वारा संचालित पावर प्लांट में नियोजित श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण बाह्य डिग्रीधारी डॉक्टरों से किये जाने संबंधी निर्देश है। विदित हो कि राज्य में स्थित सीमेंट संयंत्रों में से 08 संयंत्रों में कायेले द्वारा संचालित कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित है। इन संयंत्रों में नियोजित श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि नियमों के उल्लंघन के जांच के लिए राज्य शासन द्वारा ग्रेजुएट चिकित्सक को अटैचमेंट में रखा गया है, अपितु छ.ग. कारखाना नियमावली के नियम 18 में दिए एक प्रावधानानुसार कारखाना निरीक्षक की अहर्ताओं के अनुसार चिकित्सकीय निरीक्षक की पदस्थापना शासन द्वारा की गई है, जिनके द्वारा विभागीय पोर्टल में अपलोड किए गए स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट (फार्म 21) की जांच कर अभिमत प्रस्तुत की जाती है।

अत: यह कहना सही नहीं है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन से जनता और सीमेंट कारखानों के श्रमिकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि आक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में 10 सीमेंट प्लांट संचालित है, उनमें से किन-किन सीमेंट प्लांटों में आक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर संचालित नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, सभी में संचालित है। माननीय सदस्य जी बता दें कि पर्टीकूलर कहीं नहीं है तो हम उसको दिखवा लेंगे। जितने 10 सीमेंट संयंत्र हैं, वहां ऑलरेडी इस तरह की व्यवस्था है।

श्री सौरभ सिंह : - माननीय सभापति महोदय, ये गंभीर प्रश्न है। केन्द्र सरकार ने नियमों में ये तय किया है कि जो कैप्टिव पॉवर प्लांट्स होते हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री में सिलिकॉस होता है इसलिये आयरन वेज बोर्ड अलग होता है यहां पर श्रम मंत्री जी है और सीमेंट वेज बोर्ड अलग होता है। सीमेंट वेज बोर्ड इसलिये अलग होता है क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं सीमेंट प्लांटों में काम करते-करते उनके हेल्थ में गिरावट आती है, जब आदमी बीमार पड़ता है तभी पता चलता है कि अंदर गंभीर बीमारी है इसलिये उनका चेकअप होना आवश्यक है। मूल विषय ये है कि बाहर की एजेंसी को जाकर चेकअप करना है तो वह बतायेगा कि कितना हेल्थ मेडोटोरियशन हो रहा है और वह लोग क्या कर रहे हैं कि अपने डॉक्टरों से ही चेकअप कराते रहे हैं उनका डॉक्टर को तो उनके हिसाब से जो रिपोर्ट चाहेगें, वह रिपोर्ट दे देगा। इसीलिये मैं मूल प्रश्न में आ रहा हूँ कि किस-किस संयंत्र में संचालित नहीं है, मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना है न्यूवोको विस्तास संयंत्र आरसमेंटा और न्यूवोको विस्टास संयंत्र बलौदाबाजार का मैंने इसमें स्पेसीफिक पूछा है कि क्या वहां आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर संचालित है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

1:16 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड सोनाडीह सीमेंट प्लाण्ड रसेड़ा और दूसरा जांजगीर में गोपालनगर में है, ये दो सीमेन्ट संयंत्र संचालित हैं। यहां पर आलरेडी आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर हैं और वहां डॉक्टर भी नियुक्त हैं। मैं आपको डॉक्टरों के नाम भी बता सकता हूं, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं। न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड सोनाडीह सीमेन्ट प्लाण्ट ग्राम रसेड़ा तहसील बलौदाबाजार में स्थापित है। यहां 1340 कर्मचारी कार्यरत हैं, यहां डॉक्टर देवाशीष मंडल, एम.बी.बी.एस. ए.एफ.आई.एच. कार्यरत हैं। माननीय सभापति जी, दूसरा जांजगीर में जहां यह बोल रहे हैं, इनका क्षेत्र है, वहां पर डॉक्टर अभिषेक पाण्डेय आलरेडी कार्यरत हैं। आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर आलरेडी चल रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मूल प्रश्न में नहीं आ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, सीमेण्ट प्लाण्ट का डॉक्टर वहां पर है। सीमेण्ट प्लाण्ट के डॉक्टर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। पर जो सीमेन्ट प्लाण्ट का डॉक्टर मरीजों का परीक्षण कर रहा है, वह परीक्षण करने का नियमों में प्रावधान नहीं है। बाहर की थर्ड एजेंसी आयेगी और वह थर्ड एजेंसी आकर उनका चेकअप करेगी। आपके प्रदेश के कुछ सीमेन्ट प्लाण्टों में मैंने जिक्र किया है कि जामुल के सीमेन्ट प्लाण्ट और श्री सीमेन्ट प्लाण्ट में वह काम हो रहा है और अन्य एजेन्सी को दिया जा रहा है, भले ही वह प्रदेश के बाहर की एजेंसियॉ हैं। इन दो सीमेन्ट प्लाण्टों में मूल जो बात है, वह जो चेकअप होना है, वह चेकअप उनके डॉक्टर से नहीं होना है, वह चेकअप एक थर्ड पार्टी से होना है। जब थर्ड पार्टी से चेकअप होगा, तब तो हेल्थ में कितना डिटोरेशियन हुआ, उसकी सही रिपोर्ट आयेगी। माननीय मंत्री जी आप भी समझ रहे हैं कि वह डॉक्टर उनका कर्मचारी है, उसको तनख्वाह सीमेन्ट प्लाण्ट वाले दे रहे हैं तो वह उनके हिसाब से रिपोर्ट देगा। मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि जहां पर आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर नहीं चल रहे हैं, कुछ संयंत्रों में चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि चल रहे हैं, कुछ संयंत्रों में जहां नहीं चल रहे हैं, मैं स्पेसीफिक दो सीमेण्ट प्लाण्ट के नाम बताये, यहां नहीं चल रहे हैं, क्या आप ये व्यवस्था देंगे कि वहां पर समय-सीमा पर आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर चालू हो जायेंगे ? और वह भी थर्ड पार्टी का आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर, बात घूमकर आती है कि थर्ड पार्टी का आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर चाहिए, उनके उद्योग के डॉक्टरों का नहीं चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कारखाना अधिनियम में प्रावधान है, आप कह रहे हैं कि आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर नहीं है, मैं आपको बता दिया कि वहां आलरेडी आक्युपेशनल हेल्थ सेन्टर है। अगर स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो बाहर भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह 1430 जो कर्मचारी हैं, उसमें 2017 में 983, 2018 में 1006, और 2019 में 1097 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो पूछा ही नहीं गया है, जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर आना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आ रहा है, आप तो बैठिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरे को आर्डर मत करो। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बीच में मत बोला करो। क्या आपको अध्यक्ष जी ने अनुमति दिया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको समझाईये। यह बीच में खड़े हो जाते हैं, उल्टा-सीधा जवाब पूछते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमें आर्डर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- शांत-शांत।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको समझाईये। हम सदस्य को जवाब दे रहे हैं। आप अनुमति देंगे तो हम इनको भी जवाब देंगे। लेकिन जब हम बीच में जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बात कर रहा था, इनको बोलने की क्या जरूरत है ? मैं आपसे बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शांत होकर बैठिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप अनुमति देंगे तो हम इनको भी जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको मुझसे सीधा बात करने की क्या जरूरत है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे कह रहा हू कि उत्तर नहीं आया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम आसंदी को बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- शांत हो जाईये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि सदस्य के मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैंने आपसे इतना ही बोला है । उसके बाद जितनी बात कही, उन्होंने कही, मैंने नहीं कही ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शांत हो जाईए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मूल प्रश्न का ही जवाब दे रहे हैं, वह तो जवाब आया कि नहीं आया उसको अध्यक्ष जी तय करेंगे, आप थोड़ी न तय करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप मूल प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, आप फिर गलत बोल रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं तो अध्यक्ष जी को बोल रहा हूं । मैं अध्यक्ष जी की तरफ मुखातिब होकर बोल रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मुझे इसमें व्यवस्था चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोग मेरी तरफ देखकर बोलें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी तरफ ही देखकर अर्ज कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य जी ने जिन सीमेंट संयंत्रों की बात उठायी है वहां ऑलरेडी आक्यूपेशन सेंटर है और अगर बता रहे हैं कि नहीं है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा इसके अलावा इन लोगों की जांच में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको बाहर भी भेजे जाने की व्यवस्था है और माया हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में भी जांच करायी गयी है । रेणुका डॉयग्नोस्टिक सिलतरा में जांच करायी गयी है, नारायण हॉस्पिटल रायपुर में भी जांच करायी गयी है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी को उधर से गलत जवाब आ रहा है । मंत्री जी मेरा मूल प्रश्न है और यह चूंकि जनहित का मामला है, वहां पर जो डॉक्टर ईलाज करते हैं कुछ सीमेंट संयंत्र बाहर की थर्ड पार्टी से आक्यूपेशनल हेल्थ का चेकअप अपने मरीजों का करवा रहे हैं, कुछ उद्योग चूंकि मैंने दो लोगों का उल्लेख किया है, माननीय विधायक जी भी उस चीज को बोल रहे हैं, मैंने जिन उद्योगों का उल्लेख किया है तो माननीय मंत्री जी आपसे यही निवेदन है कि आप उनको निर्देशित करें कि आप आक्यूपेशनल हेल्थ जो सीमेंट संयंत्र नहीं करवा रहे हैं वह थर्ड पार्टी से आक्यूपेशनल हेल्थ सिस्टम को करवायेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- करवा देंगे ।

समय :
1:21 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

01. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
02. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य
03. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
04. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
05. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है कृपया सुविधानुसार भोजन गृहण करें ।

अब वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होगी । माननीय डॉ. रमन सिंह जी ।

समय :
1:22 बजे

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का मैं और मेरा दल विरोध करता है और विरोध इसलिए कि यह बजट न केवल विकास में बाधक है बल्कि दिशाहीन प्रदेश को ऋण के बोझ में लादने वाला और एक प्रकार से मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ने वाला यह बजट है । मैं इसके एक उदाहरण से प्रारंभ करता हूं, एक उदाहरण जिसको न स्टेट बल्कि राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से डवलपमेंट के लिये और सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल जो स्टेट के विकास के बारे में मूल्यांकन नीति आयोग करता है और यह नीति आयोग का जो मूल्यांकन होता है वह स्वास्थ्य पर आधारित होता है, अधोसंरचना पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित होता है और इनऑल छत्तीसगढ़ का जो डवलपमेंट है उसका आंकलन करता है और यह लगातार हर साल स्टेट के बारे में अलग-अलग स्टेट की क्या स्थिति है हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, सोशल सेक्टर से लेकर अन्य स्थान में तो जब यह आंकलन प्रस्तुत होता है तो यह पता चलता है कि राज्य किस स्थिति में है, हम धरातल में कहां खड़े हैं और किस स्थिति में राज्य खड़ा है उसकी रिपोर्ट को मैं आज पहली शुरूआत में प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह जो रिपोर्ट नीति आयोग ने 02 मार्च 2020 को प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट है और उसने विभिन्न राज्यों का तुलनात्क अध्ययन किया है और उस तुलनात्मक अध्ययन में कहा है कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ का स्थान कहां पहुंच गया, जो छत्तीसगढ़ वर्ष 2018 में 15वें स्थान में था अब गिरकर 21वें स्थान पर पहुंच गया और पहली बार छत्तीसगढ़ मापदंड में अपने पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से भी पीछे चला गया । अभी तक इन सारे विषयों पर हमारी स्थिति यह थी कि कम से कम हमने अपने आप को स्थापित

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करने का प्रयास किया और जिस राज्य से हम अलग हुए थे, वहां पर हमने अपनी श्रेष्ठता साबित करने में सफलता हासिल की, इन सारे सोसल सेक्टर में खासतौर से छत्तीसगढ को ऊंचाई पर ले गए, लेकिन आज हमारे लिए यह शर्म की बात है कि sustainable development goals पर छत्तीसगढ़ यदि मध्यप्रदेश जैसे राज्य से पीछे हो सकता है, छत्तीसगढ़ के पीछे होने की स्थिति होती है तो हम इतने बड़े इन्वेस्ट की बात करते हैं, सोसल सेक्टर में काम करने की बात करते हैं । नीति आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर जो पैमाना है उस पर हमको बेहतर करने के लिए, उस सेक्टर को स्ट्रांग करने की जरूरत है । छत्तीसगढ़ की आबादी, बीपीएल फैमिली, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या का यदि आंकलन करेंगे तो आप सीधा-सीधा देख सकते हैं कि 32 और 12 मो मिला दें तो छत्तीसगढ़ की आधी आबादी ऐसी है जो अनुसूचित जाति, जनजाति की है । इनके उस इंडीकेटर को सामने रखकर बजट को बनाने की जरूरत है, उस बजट के प्रस्तुतिकरण की जरूरत होती है कि इस सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है ? हेल्थ से लेकर, एज्युकेशन से लेकर, ट्रायबल वेयफेयर डिपार्टमेंट में यदि उन जिलों को विकसित करने के लिए एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करके बस्तर के 7-8, राजनांदगांव और कोरबा के जिलों को मिला दिया जाए, ऐसे क्षेत्रों को अलग से चिह्नांकित करके उसकी अलग से कार्ययोजना जब तक नहीं बनेगी, तब तक शहर के बड़े-बड़े विकास की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है । इस विषय को लेकर सरकर को गंभीरता के साथ अपनी बात रखना चाहिए और डेवलपमेंट का काम करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस राज्य की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है । राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर है। जो स्थिर भाव होता है, उसमें जीएसडीपी पिछले 3 वर्षों का तुलनात्मक आंकड़ा बताना चाहता हूं । जो जीएसडीपी है, वह स्थिर भाव पर पिछले 3 वर्षों में 8.54, फिर घटकर 5.41 और उसके बाद 6 प्रतिशत रहा और वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी 5.32 प्रतिशत अनुमानित है । यह अनुमानित है मगर मेरा 15 सालों का अनुभव कहता है कि मैं इस बजट को देखकर कह सकता हूं कि यह 5 प्रतिशत से कम होने वाला है । यह स्थिति हमारे राज्य के जीएसडीपी के जो मैंने प्रतिशत बताए, उस प्रतिशत में सकल घरेलू उत्पाद को आर्थिक प्रगति के बारे में जो चिंता का विषय है, 5 प्रतिशत से कम रहने वाला है ।

अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश को हर क्षेत्र में चाहे कृषि हो या औद्योगिक क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, आगे बढ़ाया था । उस समय इन तीनों सेक्टर में हमने बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का काम किया था । आज स्थिति यह है कि मैं कृषि क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में विकास दर 2018-19 में 3.9 प्रतिशत, कल जो बजट प्रस्तुत हुआ, उसके अनुसार 3.9 परसेंट से घटकर 2018-19 का कृषि का प्रतिशत 3.3 प्रतिशत हो गया । हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । अपने आप को बधाई दे रहे हैं, चारों तरफ कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट दुगुना हो गया, चार गुना हो

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

गया लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है ? उसका नतीजा क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के हालात हो रहे हैं कि आपने बड़ी बड़ी बातें कहीं लेकिन 14 महीने में उसका नतीजा दिख रहा है कि 3.9 परसेंट से घटकर 3.3 परसेंट तक हम आ गए हैं और यह गिरावट का क्रम जारी रहेगा, हम और नीचे जाने वाले हैं । इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री की बात, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में औद्योगीकरण की बात करते हैं, स्कूटर बहुत बिक रहा है, मगर औद्योगीकरण के बारे में जब रिपोर्ट आती है, हम 2018-19 की रिपोर्ट देखें, इसमें 5.36 परसेंट से घटकर 4.9 परसेंट आ गया है । अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर्स में जिस प्रकार इन 14 महीनों में गिरावट आई है, यह प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है और हम सबके लिए है कि यह गिरावट यह बताती है कि दोनों सेक्टर्स में हमारी स्थिति कमजोर हुई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा विषय मापदण्ड आता है। किसी स्टेट को बेहतर बनाने के लिए हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, जब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो per capita income , प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ पिछले वर्षों में कितने में चल रही थी और कितने पर आकर रूकी हुई है और अब हम कहां ठहर गये हैं, कहां पहुंचे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम प्रति व्यक्ति आय per capita income 2018-19 की तुलना करें तो इसमें भी भारी गिरावट आई है। यह भी राज्य के लिए तीसरा इंडीकेटर है, चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति आमदनी वर्ष 2018-19 में यह वृद्धि 7.88 प्रतिशत था, वह वर्ष 2019 और 2020 आते-आते 6.35 प्रतिशत हो गया है। यदि आर्थिक संसाधन बढ़ रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़नी चाहिए। लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है, सरकार अच्छी काम कर रही है तो per capita income बढ़ना चाहिए। यदि आर्थिक संसाधन बढ़ाने की स्थिति नहीं है और यदि per capita income में गिरावट आती है तो यह इस बात का घोतक है कि इस सरकार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बाहर से दिखाने को कुछ भी आकड़ें दिखाये जा सकते हैं। मगर यह कर्ज के बोझ से दबने वाली सरकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1,02,907 करोड़ है। सकल व्यय से ऋण की अदायगी और पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 95,650 करोड़ अनुमानित है। जिसमें राजस्व व्यय 81,400 करोड़ और पूंजीगत व्यय 13,814 करोड़ है। इस वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय का व्यय 14.44 प्रतिशत रहा है। मैं ये आकड़े इसलिए बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, दोनों में जिस प्रकार स्थिति बनी है, उसमें वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय 14.44 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय 17.4 प्रतिशत था। 17.4 प्रतिशत से घटकर 14.44 प्रतिशत हो गया। 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। 14 महीने का कार्यकाल, पूंजीगत व्यय की क्या स्थिति बन रही है ? यदि स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, पुल-पलिये बनाने हैं, डेवलपमेंट का कार्य करना है, वित्तीय प्रबंधन बेहतर है, यदि ये सारी बातें ठीक हैं, तो आपका यह पूंजीगत व्यय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगातार खिसक क्यों रहा है ? पूरे पैसे कहां जा रहे हैं ? किस दिशा में जा रहे हैं ? यह अपने आप में चिंता का विषय है। हम जब वर्ष 2020-21 और 2018-19 की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो ये दोनों आकड़ें ये बताते हैं कि पूंजीगत व्यय में जिस प्रकार से गिरावट आई है, यदि ये गिरावट जारी रखा, तो राज्य की वह स्थिति आ जायेगी, जब किसी जमाने में मध्यप्रदेश की स्थिति रहती थी। जीरो बजट प्लान कहते थे, प्लान के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। पूरी राशि नान प्लान के लिए खर्च हो जाता था। तो ऐसी स्थिति से इस राज्य को बचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं लाई गई। मगर सच्चाई जो दिखाता है, मैं वह सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। वर्ष 2019-2020 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) उसमें अलग-अलग सेक्टर की भागीदारी होती है। जी.एस.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.81 प्रतिशत है। जो वर्ष 2017-18 अर्थात् हमारे सरकार के समय 22.16 प्रतिशत था। अध्यक्ष महोदय, यह होता है उस आकड़ें की सच्चाई, जिससे आप नहीं बच सकते हैं। आप अलग-अलग घोषणाएं कर सकते हैं, मगर यह जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वह रिजल्ट बताता है कि हमारा वित्तीय प्रबंधन, हमारा उत्पादन कहां पर धरातल पर खड़े हैं। इस धरातल पर खड़े होने की स्थिति क्या है ? इसलिए 2019-20 में हमारा शेयर 16.81 प्रतिशत रहा वह वर्ष 2017-18 में 22 प्रतिशत था। इस प्रकार जी.एस.डी.पी. के कृषि क्षेत्र में योगदान लगभग 5.35 प्रतिशत की गिरावट आई। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कृषि क्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें होने के बाद भी 5.35 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो हमारी हकीकत को बताता है । जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2018-19 में क्या था, उस दिशा में बताना चाहता हूं । 2018-19 में जीएसडीपी में 47.37 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था, जो 2019-20 में 46.19 प्रतिशत हो गया । इससे पता चलता है कि न उद्योग सम्हाल रहा है, न कृषि सम्हल रही है इसलिए छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति कमजोर होती जा रही है । कुल राजस्व प्राप्तियां 83,835 करोड़ अनुमानित है । इसमें राज्य का राजस्व कितना है ? यह जो राशि हजार 83,835 करोड़ में राज्य का हिस्सा 35307 करोड़ है, जबकि केन्द्र से मिलने वाली राशि 46,461 करोड़ है । बार-बार दिल्ली की बात होती है, मगर दिल्ली का योगदान यह बताता है कि राज्य से जो 35 हजार करोड़ मिल रहे हैं, केन्द्र से मिलने वाली राशि 48 हजार करोड़ की राशि मिल रही है । मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 2003 से जब जनता ने हमें चुना और विरासत में 342 करोड़ का राजस्व घाटा मिला था और 1933 करोड़ का वित्तीय घाटा मिला था, वह उस समय के जीएसडीपी का 6.4 प्रतिशत था । मैं 2003 का संदर्भ बताना चाह रहा हूं, मगर 2003 के बाद जो स्थिति बदली और 2003 के बाद स्थिति आई कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिजिकल रिस्पांसबिलिटी एण्ड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट (एफ.आर.बी.एम.) लागू करने का काम किया और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने की चिन्ता हुई । मैं एक बात के इस विधान सभा के पहले वित्त मंत्री

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अर्थशास्त्री, चिंतक श्री रामचन्द्र सिंहदेव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका जो कुशल वित्तीय प्रबंधन था और उन्होंने जिस प्रकार से प्रशासनिक खर्च को 30 प्रतिशत तक सीमित करके रखा था । निश्चित रूप से उस दौर में छत्तीसगढ़ को सम्हालने का काम हुआ और उसके बाद इस प्रशासनिक खर्च को 30 प्रतिशत तक सीमित रखा । 2004 से 2018-19 तक बजट में वित्तीय अनुशासन का पालन किया गया, 2020 और 2021 में बजट में वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक है । यह स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, हमारी स्थिति खराब हो गई है । आज यदि इस अर्थव्यवस्था को कहें तो वह वेंटीलेटर पर डालने जैसे स्थिति छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, जिसमें सबसे बड़ी चिन्ता राजस्व घाटे की है, जो 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व आय 79,646 करोड़ से कम होकर कर 75,698 करोड़ रूपए हो गया है और राजस्व व्यय 90,909 करोड़ से बढ़कर 97 हजार करोड़ हो गया है । कुल राजस्व घाटा 9429 करोड़ हो गया है । ये स्थिति राजस्व घाटे की होती है और यदि हम एफ.आर.बी.एम. एक्ट का पालन करेंगे तो उसमें दो कंडीशन रहते हैं । उसमें यह रहता है कि यदि राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से कम रखा जाए और राजस्व घाटे को जीरों परसेंट रखने में सफलता कैसे मिलती है । हमने लगातार 12 साल में इस विषय को मेन्टेन किया और राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से कम था, राजस्व घाटा जीरों परसेंट को लाने में हम सफल हुए और 2005-06 के बाद लगातार राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत होता रहा और 2016-17 में 5520 करोड़ का राजस्व आधिक्य था, 2018-19 में राजस्व आधिक्य 663 करोड़ रूपए था । इस वित्तीय वर्ष की तिमाही के बाद 2018-19 के अंतिम तिमाही में वित्तीय वर्ष की जिम्मेदारी जैसे ही आपने सम्हाली, इसकी वित्तीय स्थिति लड़खड़ाने लगी । परिस्थितियां जब तक नहीं बदली, आज स्थिति यह है कि ऋण जितना लो, ऋणं कृता घृतं विवेक, चर्वाक के सिद्धान्त पर हम चल रहे हैं । जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, जो भी मिले, सब को ऋण ले, यह स्थिति बन गई है । हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ते-बढ़ते यह अपने आंकड़े में 11 हजार करोड़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आंकड़े की सच्चाई से बच नहीं सकते । फिजिकल डेफिशियेट जो 4107 करोड़ था, वह अनुमान वर्ष 2019-2020 में पांच गुना बढ़कर 21 हजार करोड़, फिर से दोबारा 21 हजार करोड़ रूपया, यह आपके किताब के आधार पर कह रहा हूँ, आपके आंकड़े पर कह रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने जो किताब जारी की है, उस किताब का जिक्र करते हुये मैं बताना चाहूंगा कि फार्म डी-1 चुनिंदा राजकोषीय संकेतक, वित्त विभाग के किताब से जिक्र कर रहा हूँ, जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू राजकोषीय घाटा यह कोड किया गया है, इसी किताब में है । क्या कहा गया है, पिछले वर्ष 2018-2019 का 2.73 और चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा 6.41 परशेंट है ? यह आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ, यहां पर 11 हजार करोड और 21 हजार करोड़ का जो खेल दिखाया गया है, इसके बारे में भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ । आपके ही किताब में वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमान पर वित्त सचिव का स्मृति पत्र है, इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है । यह बात साफ शब्दों में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रिंट किया हुआ है, यह सच्चाई है और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता । सच्चाई से बच नहीं सकता । राजकोषीय घाटा इसमें 2018-2019 का लेखा, वर्ष 2019-2020 का बजट अनुमान, वर्ष 2019-2020 का पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2020-2021 का बजट अनुमान, चार आंकड़े मैं बताना चाहूंगा । इससे स्थिति एकदम स्पष्ट हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय वित्तीय घाटा जो वर्ष 2018-2019 के लेखा में था, 8302 करोड़ । उसके बाद बजट अनुमान 10,880 करोड़ का । अभी जो कहा गया है कि 10,880 करोड़, यह वर्ष 2019-2020 और वर्ष 2020-2021 की तुलना करें, तो 11,518 करोड़ कहा जा रहा है, परंतु वर्ष 2019-2020 का पुनरीक्षित अनुमान 21,079 करोड़ है । यानी पुनरीक्षित अनुमान में राजकोषीय घाटा 21,000 करोड़ है जो 21,000 करोड़ को 11,000 करोड़ में बताया जा रहा है । यह सिर्फ 21,000 करोड़ तक ही सीमित नहीं होने वाला है, यह और बढ़ने वाला है । यह 11,000 करोड़ को दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है, मगर मूल जो राजकोषीय वित्तीय घाटा है, इसकी स्थिति मैंने विधान सभा के सामने रखने का प्रयास किया है और दूसरा मैं जो कह रहा था अध्यक्ष महोदय, कितना ऋण लेंगे, ऋण की कोई हमारी सीमा है, या कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ को लाद देंगे । अध्यक्ष महोदय, सरकार की देनदारी है, लगातार देनदारी बढ़ती जा रही है, यह देनदारी आज की तारीख में 66 हजार 749 करोड़ से बढ़कर 83,395 करोड़ हो गयी है । वर्ष 2018-2019 की तुलना में 16,674 करोड़ की देनदारी एक साल में बढ़ी है । अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे आंकड़े बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में आंकड़ा 17,749 करोड़ एक साल का है, 14 महीने का है । अध्यक्ष महोदय, हमने 15 साल सरकार चलाया है, 15 साल सरकार चलाने के बाद, 15 साल में प्रतिवर्ष एवरेज यदि आप लेंगे, 1800 करोड़ का कर्जा, प्रति 15 साल में हम लेते रहे, यह 15 साल के कर्ज का रहा, हम 2 हजार करोड़ क्रास नहीं किये, आज एक साल में स्थिति बन रही है, 17,000 करोड़ पहुंचने के साथ-साथ और इसमें बाजार से उधारी 2018-19 में 39 हजार 452 करोड़ से बढ़कर 49678 करोड़ रूपये बाजार से उधार है। केन्द्र से ऋण 2700 करोड़ रूपये से बढ़कर 3139 करोड़, विशेष प्रतिभूतियां 4886 करोड़ से बढ़कर 4226 करोड़, वित्तीय संस्थाओं से बैंक ऋण 4296 करोड़ से बढ़कर 4885 करोड़, अन्य देयताएं, अल्प बचत योजनाएं ये सब मिलाकर 66749 करोड़ से बढ़कर ये राशि 83349 करोड़ रूपये में हम पहुंचते हैं। ये हमारी वित्तीय स्थिति है इसे मैंने बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। यदि यही वित्तीय स्थिति रही और इसी रफ्तार से हम यदि 17 और 20 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लेते रहे, तो ऐसा लगता है कि आने वाले चार साल में 1 लाख हजार करोड़ पुराने कर्ज को छोड़कर अतिरिक्त बोझ छत्तीसगढ़ के जनता के सिर में पड़ने वाला है। ये वित्तीय प्रबंधन ठीक न होने का नतीजा है और इस नतीजे को भोगेगा कौन ? हम तो यहां निर्णय लेते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता कर्जदार हो जायेगी और कर्ज में डूब जायेगी और छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति ऐसी हो जायेगी की कोई कर्ज देने से इंकार करेगा। यदि ऐसा ही वित्तीय प्रबंधन हम बनाकर रखे तो छत्तीसगढ़ को बहुत दिक्कत होगी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व की भारी कमी। यदि किसानों को धान की अच्छी कीमत दी गई, मंडी अछूता नहीं रहा, राजस्व में हमारी वृद्धि हुई इस बात की हम देश विदेश में चर्चा करते हैं, संसाधन जुटाने की बात करते हैं मगर व्यय के संसाधन जुटाने में राज्य सफल नहीं रहा। वहीं राजस्व में प्रशासनिक व्यय बढ़ता जा रहा है। राज्य का स्वयं का व्यय 35370 करोड़ है जबकि वेतन, भत्ता, पेंशन, कार्यालय व्यय, व्यय अदायगी का कुल खर्च 38983 करोड़ है, ऐसे में विकास के लिए पैसा कहां से आयेगा? अलग-अलग विभागों में अलग-अलग विषय को लेकर बात होगी और उन विषयों की मैं चर्चा करूंगा कि इस बजट में और जब मैं इस बजट के प्रारूप और प्रावधानों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस बजट को जब देखना ही है तो इसका नजरिया यह रहे कि हम इनके लक्ष्य से उसको चिनहांकित करें। इन्होंने 36 लक्ष्य निर्धारित किए कि हम इन 36 कामों को टॉप प्रायारिटी से करेंगे और हमारा बजट इसकी दिशा को चिन्हांकित करेगा और इस बजट को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि सारे किसानों का सारे प्रकार का कर्ज माफ करेंगे। आज किसान इंतजार कर रहा है। हमने अपना बजट तो प्रस्तुत कर दिया, छत्तीसगढ़ का बजट तो प्रस्तुत हो गया चाहे घाटे का हो या फायदे का हो वह सब ठीक है पर किसान के बजट का क्या होगा? किसान के बजट की जब मैं बात करता हूं तो उस किसान की बात करता हूं जो ओला, बारिस से पीड़ित है, जो लगातार प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहा है और आर.बी.सी. 6(4) का इंतजार कर रहा है। मैं उस किसान की बात करता हूं जो लगातार परेशान होकर धान खरीदी के लिए परेशान होकर 15-15 दिन सोसायटी के सामने जाकर सोता रहा। मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जिस पर लाठी चलाया गया। मैं उस किसान की बात करता हूं जो लगातार 8-10 दिन तक धरना-प्रदर्शन में बैठा रहा। क्यों? किसान को अचानक 15-20साल बाद ये शौक कहां से आ गया कि वह अपने घर में नहीं सोकर सोसायटी में सोयेगा? किसान को आंदोलन करने के लिए मजबूर किसने किया?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धरना-प्रदर्शन के दौरान एक बात सामने आई थी कि एक व्यक्ति इच्छामृत्यु मांग रहा है। उसके धरना-प्रदर्शन में माननीय डॉक्टर साहब भी गये थे। जब रिकार्ड निकालकर देखा गया तो वह इच्छामृत्यु मांगने वाला व्यक्ति डॉक्टर साहब से दो गुना अधिक धान बेचा है। आपने 2.5 लाख का बेचा है उसने 5 लाख का बेचा है और उसके बाद इच्छामृत्यु मांग रहा था। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्न इस बात का नहीं है कि उसने कितना धान बेचा उसका पंजीयन कितने का था और वह पात्रता कितने की रखता था? प्रश्न इस बात का है।

डॉ. रमन सिंह :- मूल विषय यहीं पर है, अकबर भाई ने जो विषय उठाया। मैं भी उसको बड़ी सहजता से ले रहा हूं। बहुत अच्छी बात है कि उसने कितना खरीदा ? उत्पादन उसका ज्यादा हो रहा है। भाई, उत्पादन के लिये तो हम उसको तैयार कर रहे हैं। क्या हम इसमें भी सिलिंग लगा देंगे ? तुम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इससे ज्यादा उत्पादन नहीं करोगे। धान उत्पादन करिये, किसान आज गली-गली में भटक रहा है। किसान मारे-मारे फिर रहा है। किसान की स्थिति यह है कि जो दाने-दाने धान खरीदने का वादा आपने किया था वह किसान दाने-दाने धान बेचने के लिये तरस गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति कभी छत्तीसगढ़ में नहीं रही कि किसान...।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल में कितना धान लिये वह भी बताएं। हम लोग ज्यादा लिये कि आप ज्यादा लिये।

डॉ. रमन सिंह :- सवाल इस बात का नहीं है कि किसने ज्यादा धान खरीदा, किसने कम खरीदा। सवाल इस बात का है कि किसान उद्वेलित क्यों हो रहा है। मेरा प्रश्न दूसरा है, किसान आज सबसे ज्यादा आंदोलित क्यों है, सबसे ज्यादा परेशान क्यों है ? किसान को सबसे ज्यादा पीड़ा क्यों है ? इसलिए है कि धान का जो उत्पादन हुआ, किसान को आपने चोर समझा। पहली बार किसान के घर में छापा पड़ा। धान की खेती करना, किसान को ऐसा लगा कि वह अफीम, गांजा और भांग की खेती कर रहा है। पुलिस का एक ही काम बच गया था कि तीन महीने तक किसान के घर में छापा मारने के सिवाय और कोई काम नहीं कर रहे थे। किसान को लगने लगा कि इस छत्तीसगढ़ में धान का खेती करना भी अपराध हो गया है। इस प्रकार यदि उसको प्रताड़ित किया जायेगा और किसान के बजट गड़बड़ाने के काम के लिये मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी घोषणाएं हो गयी, बड़ी-बड़ी बातें हो गयी, बड़े विषय आ गये और एक विषय तय होना चाहिए कि जो किसान आज भी इंतजार कर रहा है कि उनके पूरी धान खरीदी की व्यवस्था न केवल टोकन दिये हैं उनकी खरीदी की व्यवस्था, बाकी जिनका 15 क्विंटल तक धान खरीदी का वादा किया था, एक-एक दाना यदि धान खरीदने की घोषणा हो जायेगी तो किसान चैन से सो पायेगा। यह विषय इसलिए मैं आज रख रहा हूं कि बजट के भाषण में यदि बजट की चर्चा होती है। 10, 20 करोड़ इधर से उधर हो सकता है। हम इतनी बड़ी-बड़ी कर्ज ले सकते हैं, तो किसान के लिये दो, चार, पांच हजार करोड़ की बात होगी तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान के लिये काम करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय हैं, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। संक्षिप्त में बोलूंगा। गन्ना खरीदी की न्यूनतम कीमत 355 देने की बात हुई थी। वादा याद नहीं रहा। मक्का के संबंध में, चना के संबंध में बात हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार, 10 लाख नवयुवक, ढाई हजार रूपया, इंतजार कर रहा है। बेचारा देख रहा है कि कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। दो साल, दूसरा बजट भी आ गया, तीसरा बजट आयेगा तब भी इंतजार करेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण विषय इसलिए है, इन विषयों की ओर आपने गंगा जल और गीता को हाथ में रखकर कसम खाया है । इसलिए जनता इसका इंतजार कर रही है। जनता की मांग नहीं है। उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया था। ये आपने वादा किया था। आठवें नंबर में, ग्रामीण एवं शहरी आवास का...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय डॉ. साहब, आपके समय भी बोले थे कि हर आदिवासी को नौकरी देंगे। अभी तक हुआ ही नहीं। लंदन से ना खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। वह भी नहीं मिला। यह कब मिलेगा ?

डॉ. रमन सिंह :- अब आयेंगे तब देखेंगे। अब क्या करेंगे ? अभी तो भगवान ने आपको अवसर दिया है। ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार, सरकार आने के एक वर्ष के भीतर। अध्यक्ष महोदय, आप भी सुन लीजिए तो कम से कम आप भी उस घोषणा पत्र को सुन लीजिए। सरकार आने के एक वर्ष के भीतर होम स्टैंड अधिनियम लाया जायेगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन पांच सदस्यीय परिवार को घर, बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जायेगी। 14 महीना हो गया, शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवार को दो कमरे का मकान प्रदान किया जायेगा। भमिहीन कब्जाधारी को पट्टा दिया जायेगा। ये सब आपने कहा है। यह आपकी घोषणा है। शासकीय कर्मचारियों को सम्मान, अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों का नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी। किसी की छटनी नहीं की जायेगी। अब वह 6 हजार कर्मचारी हैं, जिनको निकाल दिया गया है, वे आंदोलन कर रहे हैं। छटनी नहीं होनी चाहिए। आपने तो घोषणा की थी। शिक्षाकर्मियों के लिये मैं धन्यवाद दूंगा कि हमने 1 लाख 13 हजार को किया था, आपने भी बाकी बचे हुए को किया है। उसके लिये धन्यवाद देने में चिंता नहीं है, मगर महत्वपूर्ण विषय है। आपने सर्व वृद्धा पेंशन 60 वर्ष से अधिक के लिये एक हजार रूपये, 75 वर्ष की आयु के लिये 1500 रूपये, और सभी विधवा महिलाओं के लिये आपने 1 हजार रूपये पेंशन देने की घोषणा की। इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। महिला स्व सहायता की कर्ज को आप भूल गये। शराबबंदी में बड़ी बड़ी बातें हो गयी। शराबबंदी के लिये 14 महीना निकल गया। अध्यक्ष महोदय, अब तो नये दिशा में आ गये। छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ अतिरिक्त इनकम के लिये पक्का चखना दुकान की स्थापना की जायेगी। ये मैं नहीं समझा कि पक्का चखना दुकान की स्थापना की जायेगी, उससे 100 करोड़ रूपये आय होगी। यानी इसको आने वाले 50 सालों के लिए स्थायी कर रहे हैं। जब बिल्डिंग बन जाएगी तो चखना दुकान का बाद में क्या होगा? आप एक-दो साल के लिए बना रहे हो, उसमें 100 करोड़ का इंवेस्टमेंट कर रहे हो तो पक्का चखना दुकान बनाने की जरूरत क्या है? इस विषय को लेकर जनता के सामने इस बात की चिंता है कि आपका लोकपाल अधिनियम नहीं है। आऊट सोर्सिंग समाप्त नहीं किये, संपत्ति कर को शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत कम करने के लिए कहा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता था, बहुत सारी बातें नहीं बोलूंगा। मैं संक्षिप्त-संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छूना चाहता हूँ। आज एक पेपर ने बड़ा-बड़ा छापा कि 21 जिलों को स्वाद। मेरे यहां राजनांदगांव, कवर्धा से फोन आया, मैं पढ़ रहा था कि क्या मिल गया है ? कवर्धा में गढ़ कलेवा खुलेगा। राजनांदगांव से फोन आया कि बहुत बड़ी उपलब्धि है पेपर में बड़ा-बड़ा छपा है। क्या है ? राजनांदगांव में गढ़ कलेवा खुलेगा । ये 27 जिलों में मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देख रहा था, इसमें से आधे जिले में सिर्फ गढ़ कलेवा ही मिला है। ठेठरी खुरमी खाओ, हरि के गुण गाओ। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। ये बड़े-बड़े जिलों में राजनांदगांव 6 विधान सभा का जिला है और जब उसमें पेपर वाले उपलब्धि छांटकर निकाल रहे थे तो ये उपलब्धि निकली कि गढ़ कलेवा कबीरधाम, राजनांदगांव में अलग-अलग होगा एवं रायगढ़, बीजापुर जैसे जिले में देख रहा था कि एक ही उपलब्धि गढ़ कलेवा खुलेगा और उसके बाद कोई नये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज में काम हो। कुछ नहीं। गढ़ कलेवा 28 जगहों पर खोल देना, यह बजट की उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि होती, हम वहां के नये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। वर्ष 2028 तक यानी वर्ष 2020 से 2028 यानी 8 सालों में सिंचाई को 32 लाख हेक्टेयर तक करने के लिए घोषणा की है यानी आज जो सिंचाई की क्षमता है, उस सिंचाई की क्षमता को यदि आप वर्ष 2028 तक बढ़ाना चाहते हो तो 8 वर्षों में 13 लाख वास्तविक सिंचाई करने की जरूरत है। ये घोषणाएं की गई है और इनकी किताब में ही लिखा है कि वास्तविक सिंचाई 13 लाख हेक्टयर में हो रही है। जबकि निर्मित क्षमता 20 लाख की है। ठीक है। यदि आप बोल रहे हैं वास्तविक सिंचाई 13 लाख हेक्टयर में हो रही है, सरकार बोल रही है तो हम उससे एग्री है, मैं विश्वास करता हूँ, पर 20 लाख हेक्टेयर निर्मित क्षमता है तो यदि 13 लाख हेक्टेयर को बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर 8 सालों में करना चाहते हैं तो किस रफ्तार से सिंचाई को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ? इसका कोई कैल्कुलेशन, गणित आंकलन, अनुमान होगा। यदि इसको मैं देखूं तो कुल मिलाकर यदि 32 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है तो हमको 8 वर्षों में 15 लाख हेक्टेयर यानी कम से कम दो, सवा दो, तीन लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की क्षमता बढ़ाना चाहिए। आज सिंचाई 0.68 प्रतिशत पर ईयर के रेश्यो से पिछले 15 सालों में बढ़ा है और इसमें प्रोजेक्ट किसको-किसको ले रहे हैं ? कि हम ये प्रोजेक्ट बना देंगे जिस प्रोजेक्ट से काम हो जाएगा और हमारी क्षमता 13 लाख से बढ़कर 32 लाख हो जाएगी। आप सुनकर आश्चर्य भी करेंगे कि और मुझे लगता है कि आज तक छत्तीसगढ़ की विधान सभा में इससे बड़ा मजाक का विषय नहीं हुआ बोधघाट बहुउद्देशीय योजना से 2 लाख, 66 हजार हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा है। बस्तर वाले, बोधघाट वाले बैठे हैं । बोधघाट हाईडल प्रोजेक्ट है एक, बोधघाट तीन बार रिजेक्ट हो चुका है। वर्ष 1975, 1976, 1977 में अरविंद नेताम, बस्तर के लोगों ने उसका विरोध किया था। टोटल हाईडल प्रोजेक्ट है जिसका आज तक सर्वे नहीं हुआ, जब इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बुलाया भी होगा तो बोधघाट की साईड में कोई आदमी गया ही नहीं होगा, क्योंकि वह टोटली हाईडल प्रोजेक्ट है और उसका कोई डिटेल सर्वे आने वाले 8 सालों में नहीं कर सकते। उसका क्लियरेंस मिलने में 20 साल का समय लगेगा। यानी जो यहां पीढ़ी, बस्तर के लोग या हम लोग बैठे हुए है, इसको इनके बच्चे क्रियान्वित होते । यहां मैं जवाबदारी से इस विधानसभा में

असंशोधित/प्रेस/मीडिया के लिए नहीं

पूरे अनुभव को लेकर बोल रहा हूं। उनके बच्चे देखेंगे। उसका पत्थर ये नहीं देख सकते। उसका शिलान्यास भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी.डब्ल्यू.सी. से फारेस्ट क्लीयरेन्स होना चाहिए। फारेस्ट का इतना बड़ा हिस्सा है, सेन्टर वॉटर कमीशन से वह 3 बार रिजेक्ट हो चुका है और इतनी बड़ी डूब आ रही है, हाईडल प्रोजेक्ट है, उसके आधार पर यदि 8 साल में.. ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- डॉक्टर साहब, इसी डर में आप 15 साल में बोधघाट का पन्ना वापिस पलटे भी नहीं और आज आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सी.डब्ल्यू.सी. इसमें परमीशन ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ? पोलावरम, कालेश्वरम हो सकता है तो छत्तीसगढ़ की किसी योजना को हम सी.डब्ल्यू.सी. में भेजेंगे, आप भी केन्द्र सरकार से सहयोग करियेगा, परमीशन क्यों नहीं मिलेगी? (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विशुद्ध हाइपोथेटिकल विषय को प्रस्तुत करके 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर सिंचाई के लक्ष्य को सामने रखा गया है। मेरा कहने का मतलब यह है, बोधघाट बन जाये, मैं तो चाहूंगा कि बन जाये। पावर प्रोजेक्ट भी आयेगा, 500, 1000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट आयेगा, अध्यक्ष महोदय, मेरे को क्या चिंता है। पर हो नहीं सकता, अभी वहां पर इनको सर्वे करने में 10 साल लग जायेंगे। वह पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। मैं उस पूरे प्रोजेक्ट को अंदर से चलकर देखा है, गांव-गाव गया हूं, गांव वालों का विरोध भी झेला है। मेरा तर्क ये नहीं है, ये आपकी कल्पना बहुत अच्छी है, उड़ान अच्छी है, मगर ऐसी योजना बनाईये जो हमारे 4 साल के कार्यकाल में कम से कम पत्थर तो रख लें। मेरा यही कहना है कि उसका क्रियान्वयन यही होता है कि शिलान्यास का पत्थर रख दें, उसकी डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाये, उसकी क्लीयरेन्स की स्थिति बन जाये, उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाये। 1975 से चलते-चलते आज 50 साल निकल गये, कितना पानी इन्द्रावती नदी में बह गया, पता नहीं, उसके बाद भी हम उस प्रोजेक्ट से ये उम्मीद करें कि आने वाले 5 साल में हम सिंचाई कर देंगे, अध्यक्ष महोदय, वह फ्लो एरिगेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, वह बेसिकली हाईडल प्रोजेक्ट है। जिस हाईडल प्रोजेक्ट को 100 प्रतिशत विद्युत उतपादन के लिए लागू किया गया था। एक बार हिन्दुस्तान हाईडल पॉवर कार्पोरेशन ने अपनी सहमति दी थी। जब हिन्दुस्तान हाईडल पॉवर कार्पोरेशन ने सहमति दी थी, मेरे से आगे मिलने आये थे। उस समय चर्चा हुई थी कि आप ही बना बना दो, कम से कम पॉवर प्रोजेक्ट में काम होगा। उन्होंने कहा कि पर यूनिट पॉवर का कास्ट इस प्रोजेक्ट में इतना कॉस्टली हो जायेगा, थर्मल में यदि हमें 2 रुपया, 1 रुपया 40 पैसे या 1 रुपया 50 पैसे लगते हैं, इस बोधघाट परियोजना में यदि हम पानी से बिजली बनाने का काम करेंगे तो 8 से 9 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा होगी। अब 8 से 9 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा होगी, उसका उपयोग कौन करेगा, उसको कौन खरीदेगा, इसलिए उस प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्ट्रेस्ट दिखाना कम किया। आज नई सरकार है, नई तकनीक भी आ गई है, नये सिरे से प्रयास भी हो रहे हैं। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। मगर ऐसी योजना को धरातल में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाईये। चौबे जी मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि 60, 70 प्रतिशत तक जो कंपलीट योजनायें हैं यदि आपको इमीजियेट सिंचाई की क्षमता बढ़ानी है, प्रतिशत बढ़ाना है, 4 साल में ही रिजल्ट दिखाना है, उसका उपाय है कि जिन योजनाओं में 60, 70, 75 प्रतिशत तक हो चुका है, आप पूरा फंड का डायवर्सन उधर कर दो। आप क्यों बोधघाट के चक्कर में पड़ते हैं ? यदि आपने इस पैसे का उपयोग इस दिशा में किया और ये मध्यम स्कीम है, छोटी स्कीम है। स्प्रिंकलर, ड्रिप का उपयोग करें, जमीन के अंदर पानी है, उसका उपयोग करें, ऐसा नहीं है कि 32 लाख हेक्टेयर दिवास्वप्न है। मगर इसके लिए फंड की जरूरत होगी, इच्छाशक्ति की जरूरत होगी और ये छोटे प्रोजेक्टो में फोकस करने की जरूरत होगी। यदि हम ध्यान देंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं घड़ी देख रहा हूं, मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- 40 मिनट हो चुके हैं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म करूंगा, मैं अपने दल की तरफ से पहला वक्ता हूं। मेरे पास विषय बहुत ज्यादा भी नहीं हैं, अगली बार ले लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखरपुर परियोजना, डांडपानी परियोजना के लिए 20 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। इस योजना को जो हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल के पास जो पेन्डिंग है, इसके लिए कार्ययोजना बनाकर काम करना पड़ेगा।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- डॉ. साहब जी अच्छे से बोल रहे हैं लेकिन श्री बृजमोहन जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, इधर देखकर सुन रहे हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन का वह प्राब्लम, उड़ीसा के साथ डिस्प्यूट इस प्रोजेक्ट को क्लियर कराने के लिये मेरी शुभेच्छा है कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाये, जल्दी से जल्दी इसको क्लियरेंस मिल जाये लेकिन इस योजना में 4 साल में आप भूमिपूजन कर लेंगे तो मैं बधाई दूंगा क्योंकि अच्छा है, जशपुर के दो प्रोजेक्ट हैं, 2000 करोड़, 1000 करोड़ और इसमें बड़ी हमारी कल्पना लगी लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिये जब हम इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल के पास जो सेंटर वाटर कमीशन ने भेजा था उसको क्लियर कराने के लिये इच्छाशक्ति के साथ पूरी टीम को लगाने की जरूरत पड़ेगी और इस काम को हमको करने के लिये पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट निकलेगा और एक महत्वपूर्ण विषय चूंकि मैं केवल फ्लेक्सिप स्कीम पर बात कर रहा हूं, मैं आज स्कीम पर बहुत ज्यादा डेप्थ पर जा भी नहीं रहा हूं । मैंने तो वित्तीय स्थिति के बारे में थोड़ा सा बोल दिया, मैं दूसरा विषय बोल रहा हूं नरवा, गरूआ, घुरवा, बारी । पूरा बजट से कोई पैसे का योगदान दें तो हमको खुशी होगी, यह घोषणा सुनकर अच्छा लगा कि पर गोठान 10,000 रूपया, उस गोठान में 300 गाय हैं, 300 गाय को एक दिन में 1 रूपये का पैरा खिलाते हैं तो एक महीने में 10,000 रूपये हो गये तो 1 रूपये के पैरा से गाय का पेट भर जायेगा । हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 97 लाख पशुधन है और भैंसा-भैंसी, पाड़ा को मिला दें तो करीब-करीब 1 करोड़ 17

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाख हैं, 1 करोड़ 17 लाख 20,000 गांव, गोठान का निर्माण, पीने का पानी, 5000 रूपये में पानी ही पिला दें तो धन्य हो जायेंगे और पैरा खाकर गाय जिंदा रहती हैं । बेस शेल्टर बनाकर छोड़ देंगे या कुछ चिंता उसकी होगी, केवल मनरेगा के माध्यम से हम यह सारी योजनाओं को जीवित रखना चाहेंगे तो मनरेगा के आधार पर योजना सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि गाय को जिंदा भी रखना है, वहां पर जाने वाले को केवल शेल्टर नहीं बनाना है । आवारा पशुओं की उनके ईलाज से लेकर बाकी व्यवस्था भी करना है इस विषय पर आपने जो घोषणा की है । मैं बजट देख रहा था कि 3509 गोठान, 1661 गोठान संचालित, 309 प्रगति पर हैं । अब कितने साल लगेंगे, बनाने में कितने साल लगेंगे ? 20,000 गांव में 146 हमारे जनपद हैं उसमें आप एक आदर्श बना देंगे तो क्या बाकी गाय भी वहीं रहेंगे ? गोठान आदर्श बनाने की क्या स्थिति बनेगी और क्या स्थिति होगी ? मेरे 2-3 प्रिय विषय थे, मैं थोड़ा सा उसमें 5-7 मिनट लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको अधिकार है, आप अपने पक्ष का पूरा समय ले लीजिए । फिर बाकी लोगों को बोलने का समय नहीं मिलेगा ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम कर देता हूं । मैं ही कटौती कर लेता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट के डवलपमेंट का विजन और डवलपमेंट के लिये आने वाले 20 साल की कार्ययोजना । कार्ययोजना में इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, रेल्वे और पावर । रेल्वे हाथ की उंगलियां होती हैं जो जीवन बताता है, कौन सा राज्य कितना गतिशील है, कौन से राज्य में कितनी धड़कन है, कितने दिन जिंदा रहेगा यानी कितने दिन डवलप करेगा । हमने इस प्रोजेक्ट को पकड़ा था । रेल्वे के लिये स्पेशल पी.पी.पी. बनाया था और 1300 किलोमीटर, आाजादी के बाद आज तक जितने रेल्वे आजादी के पहले से बन रहे थे, छत्तीसगढ़ में 1290 किलोमीटर रेल्वे हमने 1300 किलोमीटर का लक्ष्य बनाकर काम शुरू किया था और यह 5 साल की कार्ययोजना बनायी थी, बड़ा कठिन था । लोग मजाक करते थे, दिल्ली में मजाक उड़ाते थे और यहां भी मजाक उड़ता था लेकिन आज खरसिया से धरमजयगढ़, गेवरा और पेण्ड्रा के रोड में काम चल रहा है, प्रगति पर है । दल्लीराजहरा, रावघाट, भानुप्रतापपुर तक पहुंच चुका है, केंवटी तक प्रगति पर है, छत्तीसगढ़ में यह चमत्कार हुआ है । सड़क ही नहीं, रेल्वे के निर्माण को हमने न केवल जमीन पर उतारकर दिखाया बल्कि स्टेट के फंडिंग के बने, स्टेट का केवल इक्विटी लगाकर काम किया, 04 नये रेल्वे लाईन के निर्माण का काम फाईनल शेप में आ गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, यह पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए शोध का विषय था । 800 करोड़ की इक्विटी में 20600 करोड़ रेल्वे के निर्माण का काम हम कर रहे थे । 800 करोड़ सरकार को लगाना था 20 हजार का काम हम पूरे छत्तीसगढ़ में इन चार नये रेल्वे लाईन के निर्माण का काम, इसका भूमि पूजन हो गया था, लेकिन इसके लिए कोई फंड नहीं रखा गया है । इसके लिए कोई सोच नहीं है, अध्यक्ष महोदय यह कोई बीजेपी सरकार का काम नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

विकास से जुड़ा हुआ है, इसके लिए विजन के साथ आना चाहिए, उसके लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के स्टेट पार्टनर्स के साथ बात करना चाहिए, यह जिंदा हो सकता है, वे तैयार भी रहते हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख हुआ जब मैंने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रावधानों को देखा । पहले बजट आता था तो सबको लगता था कि मुझे प्रायमरी मिल गया, मुझे मिडिल मिल गया, हाईस्कूल मिल गया, मुझे हायर सेकेंडरी मिल गया, मुझे कॉलेज मिल गया । आज जब बजट देखता हूं तो न तो किसी को हाईस्कूल मिला, न हायर सेकेंडरी मिला, न कॉलेज मिला । क्या मिला ? गढ़ कलेवा मिल गया । अरे भाई कोई विधायक अपने क्षेत्र में जाकर हिम्मत से बताने को तैयार नहीं है । हमारे समय में एक-एक विधायक के पास 100-100 स्कूलें जाया करती थीं ।

श्री कवासी लखमा :- डॉक्टर साहब के कार्यकाल में कितनी स्कूलें बंद हुईं, जगरगुंडा में कितनी स्कूलें बंद हुई ?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं इनका पड़ोसी विधायक हूं । शायद उन्होंने बजट पुस्तिका का अवलोकन नहीं किया है, उन्हीं के विधान सभा क्षेत्र में मॉडल स्कूल का उन्नयन हुआ है, हाई स्कूल को हायर सेकेडरी में उन्नयन हुआ है । शायद वे पढ़ लेंगे तो उनको ज्ञान हो जाएगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हम लोग डॉ. रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में हम लोगों को चिट्ठी मिली थी कि 3000 स्कूलें बंद कर दी गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, डॉक्टर साहब समाप्त कीजिए ।

डॉ. रमन सिंह :- समय मिला है तो कुछ आंकड़े बता दूं । स्कूलें कैसे खोली गई थीं और सड़कों का निर्माण किस रफ्तार से हुआ था । ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, सरकार के आंकड़े हैं । कुल सड़कें 1072 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की थीं, हमारी सरकार के रहते यह बढ़कर 22 हजार किलोमीटर सड़कें बनाकर हमने दिखाई हैं (मेजो की थपथपाहट) । कुल ग्रामीण एवं शहरी सड़कें पहले 30 हजार किलोमीटर थीं, हमने 15 साल के कार्यकाल में उसको बढ़ाकर 61 हजार किलोमीटर तक पहुंचा दिया (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ, यह भी बता दीजिए ।

डॉ. रमन सिंह :- यह बड़ी अजीब बात है । अध्यक्ष महोदय, ड्रॉप आउट रेट 11 परसेंट था, वह घटकर 1 परसेंट हो गया । महाविद्यालय 206 से बढ़ाकर 482 हो गए, दो मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज हो गए, 100 एमबीबीएस की सीट को बढ़ाकर 1100 कर दिया, आप क्या डेवलपमेंट की परिभाषा पूछ रहे हो । 15 साल के आंकड़े बताउंगा, डेंटल कॉलेज एक था, नर्सिंग कॉलेज एक था, 84 हो गया । पॉलिटेक्निक बढ़ गए, आईटीआई बढ़ गए । लेकिन मैं आज पुरानी बातें नहीं बताना चाहता था, मगर मुझसे पूछा गया कि कितनी स्कूलें खुलीं । मेरे भाई, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं । आपकी

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

तरफ से खड़ा हूं, मुझे क्या चिंता है, कितनी स्कूलें खुलीं, नहीं खुली, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं । मैं तो उन विधायकों की चिंता कर रहा हूं जो 68 की संख्या में इधर बैठ गए, कम से कम इनको तो मिले । अध्यक्ष महोदय पिछले वर्ष 25 स्कूलें थीं तो अच्छा लगा ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपका मौका चला गया भइया, अब आज की बात करो ।

डॉ. रमन सिंह :- आपका मौका है इसीलिए बोल रहा हूं आप खोल दो भाई साहब । आप तो शिक्षा मंत्री थी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब आपको 4 साल वहीं रहना है ।

डॉ. रमन सिंह :- इंडिया का सबसे बेहतर एज्युकेशन हब अगर कहीं बनाया है तो दंतेवाड़ा में, तो वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है । जिसको दुनिया के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर एज्युकेशन के रूप में माना जाता है । वहां पर आईटीआई, वहां पॉलिटेक्निक, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज । उस बहस को करने की जरूरत नहीं है । आज तो आप सत्ता में, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि करना चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, वे बात करते हैं कि उन्होंने बस्तर को अच्छा बनाया है, डॉक्टर साहब के समय में बस्तर के 700-800 गांव खाली हो गए, वे दूसरे प्रदेश में जाकर बस गए हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें आदिवासियों की जमीन को ले लिया गया, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला । कल वह विषय भी आया था सदन में ।

अध्यक्ष महोदय :- अगर वे उनकी बात सुनना नहीं चाहते तो वे बाध्य नहीं हैं बोलने के लिए ।

डॉ. रमन सिंह :- जवाब मुझे नहीं देना है, जवाब भूपेश जी को देना है । मुझसे काहे प्रश्न कर रहे हो । अध्यक्ष महोदय, चलिए स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं खुला अच्छी बात है। अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए लंबे समय तक विचाराधीन आश्रम, छात्रावास जो कम से कम आज जिनको 400-500 करोड़ रूपया तत्काल देने की जरूरत है। किसी के घर में, किसी के परछी में लड़के-लड़कियां रह रही हैं, उनके लिए तो कम से कम एक बड़ा बजट रखना चाहिए। हमने दो साल रखा था। उसके लिए भी एक रूपये भी नहीं रखे हैं। उस क्षेत्र में स्कूल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इन सारी बातों को तो मैं कह चुका है। मैं आपके भाव को समझ रहा हूं। मैं आपका और बहुत समय नहीं लूंगा। मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूं..।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो भैया।

डॉ. रमन सिंह :- आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और बाकी बातें मैं अगली बात रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लीजिए अब आपका ही नंबर लग गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- अब इनके पीछे मैं लगा हूं। आप अपनी जगह से लगे हो। आप तो इनके पीछे लगे हो, सही लगे हो। मैं भी अब इनके पीछे लगता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैया, नाम है सत्यनारायण शर्मा। असत्य कथन मत करना। नहीं तो नाम बदल जायेगा। असत्यनारायण शर्मा हो जायेगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अपनी चिंता करो। भाटापारा में क्या हो रहा है, उसे देखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में शुरूआत की है और शुरूआत में जिस शांति पाठ का जिक्र किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम दृष्टया बताया है :-

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय विधायक इसका अर्थ जानते हैं। सभी सुखी हों। सभी रोगमुक्त रहे। सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। 15 साल में लोगों को जितना दुख का भागीदार बनना पड़ा, वह मैं आपको बयां नहीं कर सकता। इसीलिए आप 15 से 14 हो गये। 15 थे, एक और कम हो गया। यही तो आपकी तरक्की का नतीजा है। आप एक घंटे तक भाषण दिये। आपने आंकड़ों की बात की, लेकिन नतीजा क्या निकला ? किसान क्या अनुभव कर रहा है, इसे महसूस करिए। किसान आज क्या सोच रहा है ? इसे महसूस करिए। माननीय रमन सिंह जी ने वित्तमंत्री की हैसियत से जो बजट भाषण दिये हैं, शायरी, कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किये हैं। उनके जीवित रहते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान नहीं दे सकें। आप अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए कितनी बार गये ? ये लिखते हैं। इन्होंने वर्ष 2013-14 में अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति को कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने मैथिलीशरण गुप्त की एक कविता को कहा था। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा। है चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चला रहे किस लोभ से इस आंच में, वे निज शरीर जला रहे। आपने किस किसान की चिंता की ? हमने 83 लाख मीट्रिक टन किसानों का धान खरीदा। हमने 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य दिया है। क्या आप कभी दे पाये ? आप कभी कर्ज माफी की बात कर पाये ? आप किस किसान की बात कर रहे हैं ? किसके शरीर के चलने की बात कर रहे हैं ? आपके पास केवल हवा-हवाई बात थी और कुछ काम नहीं कर पाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तो क्यों घूर कर देख रहे हो।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पी.एल.एम. तुम तो बैठो भैया। पी.एल.एम. डायरी में लिखा है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह आप ही के ऊपर में है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- समझे न। पी.एल.एम. जी कैसे थे, क्या थे, हमें सब मालूम है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह तो हमें भी मालूम है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अभी हम बोलना शुरू करेंगे तो आप बैठ जाओगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप वहां पर हैं, यह हमको भी मालूम है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पी.एल.एम. बाबा। ऊपर तक फंसे हैं। वो बच गये तो हम बच जायेंगे और वो बच गये तो आप बच जायेंगे, ऐसी आपकी कल्पना थी। फंसे आप भी थे, अब बचने की बात करो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप तो बुरे फंसे हो।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- डॉ. रमन सिंह जी ने वर्ष 2011-12 में भाषण पढ़ा । जो सफर इख्तियार करते हैं, वही मंजिल को पार करते हैं। मंजिल ऐसी पार की कि 15 से 14 रह गये। 14, कुछ तो सोचो। पुन्नूलाल जी आप तो इसी काम में लगे रहे। 14-14 पार-अपार करते रहे और आपने क्या किया है? इसके बाद भी ये नहीं माने । फिर आपने (डॉ.रमन सिंह) 2010-11 में कहा कि -

"मुमकिन सफर हो वह आसमां,
अब साथ में चलकर देखे।
कुछ तुम भी बदलकर देखो,
कुछ हम भी बदलकर देखें।"

जनता ने आपको बदलकर रख दिया। अब आपको समझ में आया कि जनता कैसे बदलती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने (डॉ.रमन सिंह) 2009-2010 में उसी बात को कहा कि

" भूखे पेट को राजनीति सिखाने वालो
पेट की भूख इंसान को बेजार बना देती है।"

आपने बहुत ठीक कहा। आपने भूखे पेट को राजनीति सिखाई। आपने किसानों को बोनस नहीं दिया। किसानों का धान नहीं खरीदा और किसानों को तड़फने को मजबूर किया। इसका नतीजा यह रहा कि ये सिमटकर रह गये। ये सिमटे तो कितने पर ? 14 पर। इससे अच्छा शुभ आकड़ा इनको समझ में नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2007-08 में डॉ. रमन सिंह जी ने बजट भाषण की शुरूआत की, तब इन्होंने कहा था-

"इबाबत है किसी भूखे को दो रोटी खिला देना
इबाबत है किसी नंगे को कुछ कपड़ा दिला देना।"

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, इनको किसान नंगे दिखाइ देते हैं ? यह इनकी सोच है। किसान को नंगा कहने पर उतारू हैं। इसके आगे देखिये,

"किसी बरबाद को आबाद कर देना, इबाबत,

किसी नाशाद को दिलशाद कर देना, इबाबत है।"

अध्यक्ष महोदय, यह इनकी सोच रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आपको एक गरीब की जगह रखकर कल्पना की और उसके अनुसार बजट भाषण कहना शुरू किया। इसमें मैंने पहले बताया कि सबके कल्याण के लिए मंगल कामना की। मैं उन्हें फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के द्वारा दूसरा आम बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में उन्होंने किसानों, आदिवासी क्षेत्रों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए हैं और 1,02,960 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए उन्हें फिर से बधाई देना चाहता हूं। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि -

"साथियों मरहम लगा सको तो किसी किसान के जख्मों में लगा देना,

हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के खातिर।"

आपको अमीरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आपको किसानों, गरीबों का पसीना दिखाई नहीं देता। किसान किस तरह से परेशान था, उसका नतीजा यह हुआ कि किसानों में खुशहाली आई और किसानों ने आज आपको उधर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आप मिशन 65 लेकर बैठे थे, हम मिशन 69 को पार कर गये। यह हमारी काबिलियत थी, यह हमारी उपलब्धि थी। जिसके कारण हमारी सरकार बनी और आपको विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी सरकार ने किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता की सूची में रखते हुए किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि ऋण की माफी जैसे महत्वपूर्ण योजना को लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे किसानों में आत्म विश्वास जगा। धान की फसल को और अधिक उत्पादित करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिला। केन्द्र सरकार से कोई छूट प्राप्त न होने हुई, इसलिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना का लाभ 2019-20 के लिए भी दिया जायेगा। इसके लिए 5,100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। क्या आप इस तरह की कार्ययोजना का श्रीगणेश कर पाये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रति सरकार की भावना परिलक्षित हो रही है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र में 3.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में 6.35 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। यह प्रदेश के लिए शुभचिंतक है तथा राष्ट्रीय स्तर की तुलना में काफी अधिक है। कृषि जीवन अमिट योजना के तहत पांच एच.पी तक के कृषि पंपों

Uncorrected and unedited/Not for Publication Wednesday, March 04, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के लिए नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने का प्रावधान करके किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, "नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी" योजना की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा गत वर्ष की गई थी। इस योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस योजना से कृषकों की आय, अतिरिक्त आय में, कृषि कार्यों में, यह योजना सहायक सिद्ध होगी, यह मैं आपको सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं। रमन सिंह जी गौठानों के संचालन की बात कर रहे थे। गौठान समितियों को प्रति माह 10 हजार रूपये का अनुदान तथा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, चौकोर बेलर क्रय करने के लिए नवीन मद में 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । प्रदेश में नालों के उपचार के लिए कार्य स्वीकृत किए गए हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्तू भईया, बेलन से क्या रोटी बनाओगे ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको बेलन डालेंगे (हंसी) आपको बेलन से मतलब है न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह बेलन नहीं, बेलर है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको सुनने में दिक्कत है, मैंने बेलर ही कहा था। अध्यक्ष महोदय, 1900 गोठानों का निर्माण कराया गया । घुरूवा से लाखों मेट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन हुआ । 1 लाख, 50 हजार बाड़ियों को पुनरीक्षित किया गया। इस योजना के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो आजतक इतिहास में कभी नहीं हुआ । यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बनेगा, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के 1392 छोटे-छोटे नाले, स्टापडेम, चैक डैम, मोल्डर डैम आदि का कार्य किया जायेगा । इस कार्य से नाला रिचार्ज होंगे और इसके अलावा निस्तारी की सुविधा मिलेगी, सिंचाई भी होगी । नवीन मद में बेमेतरा, जशपुर, धमतरी, अर्जुंदा में उद्यानिकी महाविद्यालय, लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इसके उन्नत और वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य की ओर प्रदेश उन्मुख होगा । किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा । बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय मछली पालन के लिए फिशरीज़ पॉलीटेक्निक तथा 12 नवीन पशु औषधालय, 5 विकासखण्ड में मोबाईल पशु चिकित्सा ईकाई के लिए राशि का प्रावधान, किसानों की दशा को सुधारने के लिए और आर्थिक विकास बढ़ाने का काम सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के उपज को सुरक्षित रखने और प्रशासन के लिए इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान् की स्थापना का एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है । इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा और कृषक अधिक कुशलता के साथ कृषि कार्य कर सकेंगे। कृषि कार्य और उनके विकास के लिए जितनी आवश्यकता खाद, बीज, उपकरण, नरवा-घुरूवा और बाड़ी की आवश्यकता है, उतनी सिंचाई क्षमता भी आपकी आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना कृषि कार्य संभव नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान भाइयों के परिवारों को

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खुशहाल देखने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप वर्तमान सिंचित क्षेत्र 13 लाख मेट्रिक टन को वर्ष 2028 तक 31 लाख मैट्रिक टन बढ़ाने का तय करने के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के इस बजट में वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए 383.45 करोड़ का प्रावधान किया है, जो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है ।

समय :
2:28 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य किये जा रहे हैं । आदिवासी क्षेत्र में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना की दिशा में किसानों के विकास के प्रयास किये जा रहे हैं, जो निश्चित ही सराहनीय कार्य है । 15 सालों में बोधघाट की योजना के बारे में एक शब्द भी इस सरकार ने नहीं कहा गया । यह इस सरकार का महत्वपूर्ण कदम है । मैं इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं । नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ठोस कार्य योजना के माध्यम से नक्सलवादी गतिविधियों पर ठोस नियंत्रण, उसके अनुनयन के लिए सरकार दृढ़ इच्छा के साथ प्रयास कर रही है । इसके लिए सरकार के प्रयासों के हर जगह भूरी-भूरी प्रशंसा हो रही है ।

माननीय सभापति जी, नक्सली क्षेत्रों में जनकल्याणकारी कार्यों के सफल क्रियान्वयन, कृषि तथा सिंचाई के विकास में नक्सलवाद में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरकार का उचित कदम है । नाबार्ड सहायता साहित्य योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि के प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं । एनीकट स्टापडेम निर्माण के लिए 173 करोड़ रूपए का प्रावधान तथा उस क्षेत्र में सिंचाई की प्रतिपूर्ति हेतु 116 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, यह राशि पूर्व की सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों से बहुत अधिक है । किसानों को इससे सीधा लाभ होगा । उद्योगों तथा पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप तथा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 185 करोड़ रूपए का प्रावधान तथा नलकूप खनन के लिए 70 करोड़ रूपए का प्रावधान करके सरकार ने पेयजल की समस्या को कम करने अथवा समाप्त करने का प्रयास किया है, यह भी सराहनीय कदम है । ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या होने से किसानों एवं पशुओं को दिक्कत आती है, उसकी ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है । माननीय सभापति जी, जहां तक शिक्षा की बात आती है, जो कहा गया है, वह सब किया है । हमारी सरकार ने जो काम किये थे, उसमें खरे उतरने का काम कर रहे हैं । चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात हो, चाहे शिक्षाकर्मियों के संविलियन की बात हो, राज्य के 1 लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन सरकार के जनघोषणा पत्र के वायदे को पूरा कर लिया है । सभापति महोदय, महान संत श्री गुरूघासीदास जी की जन्म स्थली गिरौदपुरी में गुरूकुल की स्थापना करने का निर्णय हमारी सरकार ने जो लिया है, वह एक सराहनीय कदम है, पूरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन के लोग इसका स्वागत करते हैं । दूरस्थ आदिवासी अंचलों में छात्रावासों की सुविधा, नवीन महाविद्यालयों की स्वीकृति, कन्या महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए बजट में प्रावधान किये गये हैं । सरकार शिक्षा के अधिकार के प्रति सजग रहते हुये, आदिवासी अंचलों में इसके लिए विशेष प्रावधान किये हैं । आदिवासी अंचल दंतेवाड़ा में मल्टीसिकेल सेंटर की स्थापनाके लिए 3 करोड़ 85 लाख का प्रावधान बजट में किया गया है । इससे अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र के बच्चों, युवाओं का बौद्धिक विकास होगा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होगा । माननीय सभापति जी, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए, 61 नये छात्रावास खोलने के लिए, छात्रावासों और आश्रम के संचालन के लिए 378 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है । बजट में अनुसूचित जनजाति, उपयोजना मद में 34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उपयोजना मद में ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भूपेश बघेल जी ने यह सब पढ़ दिया है, आप जितना पढ़ रहे हो ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मंत्री जी ने बजट भाषण में बताया है । आपके ध्यान में यह बात नहीं आती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी पढ़ चुके हैं । एकाध मन से बोलिये ।

श्री अरूण वोरा :- बृजमोहन जी, आपको कंठस्थ करा रहे हैं ।

श्री सत्यनारायणशर्मा :-आज आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हो रही है । आप अलग पार्टी के आदमी हो, तराजू लेकर निकलते हो, आपको तौलने से फुर्सत नहीं है, किसान को तौलते हो, बच्चो को तौलते हो । यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एकाध मन से बोल दो ।

श्री अरूण वोरा :- ताकि हर जगह आप यही भाषण दो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी ने उसको पढ़ने के लिए बोला है क्या ? वे उसको पढ़ चुके हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- बृजमोहन जी, आपको समझ नहीं आयेगा । आपके समय में क्या होता रहा एक झलक बताऊं, आपके समय में जो कभी नहीं होता रहा, वह हुआ । कृषि के क्षेत्र में कितनी शिकायतें आई है, एक का भी आपने निराकरण किया है । कृषि के क्षेत्र में इतने लोग कमाने के लिए लगे थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यही बोलो ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- प्रदेश की जनता को दोनों हाथों से लूट रहे थे । वह आपकी समझ में नहीं आ रहा था । माननीय सभापति जी, केन्द्र सरकार के सभी आर्थिक सूचकांक और मानकों के अवलोकन करने पर केन्द्र सरकार लगातार पिछड़ रही है । ऐसे में आपके कार्यो का भी जिक्र किया जाना जरूरी है । आपने कभी भी जनता की भावनाओं का आदर नहीं किया । आपने 3000 स्कूलों को बंद कर

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

दिया । आपने तीन हजार स्कूलों को बंद क्यों किया ? नये स्कूल खोले नहीं है, बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, विकास कामों से लेना-देना नहीं है । नीति आयोग की आड़ में आंकड़ों की कलाबाजी करके ये अपनी बात कहना चाहते हैं । अपने समय के पूरी बातें बताई । अपनी समय के उपलब्धियों के बारे में कौन पूछ रहा था ? माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपनी पीठ ठोकने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी हालत तो देखिये, इन लोग 15 से 14 रह गये हैं, इसके अलावा बढ़ेंगे नहीं, अगली बार 14 से भी कम हो जायेंगे तो आश्चर्य की बात नहीं है । माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है, उसकी हम सब लोगों ने सराहना की है । इन्होंने सरकार के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है । सबसे बड़ी बात हमारी प्राथमिकता किसानों की थी । किसानों की सारी बातों को हम लोगों ने पूरा किया है । 2500 रूपये मीट्रिक टन धान खरीदा और बजट में प्रावधान 5100 करोड़ का किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सर, आपकी मांग पूरी हो गयी है क्या ? बुढ़ापा आ गया, मार्गदर्शक मंडल के लायक आप हो गये । आपकी बात पूरी हो गयी है क्या ?

श्री सत्यनारायण शर्मा हमारे मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी मांग तो अपने आप पूरी करेंगे, आप अपनी मांग की चिंता करो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब आप आ गये मार्गदर्शक मंडल में। आप मार्गदर्शक मंडल के सम्मानित सदस्य हो, अब खाली सुनने का कार्य करो।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, गोल्लर को कोई रोक सकता है? ये उन गोल्लरों में हैं, गोल्लर हैं। कहीं किसी के भी खेत में चर देता है। किसी खेत में जाकर ये मुंह मारता है। ये उसकी पहचान है। अब कौन-कौन से खेतों में गया है आपको बताऊंगा। इस तरह से टोकाटाकी करके ये हमारे भाषण में व्यवधान डालने की कोशिश करते रहे। अब इन्होंने एक्सप्रेस-वे बना दिया। एक्सप्रेस-वे में कितने घपले और गड़बड़ियां हुई हैं? किसने स्काई-वॉक बनाने के लिए कहा था? जनता ने उसका कितना विरोध किया था?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप 15 साल का नहीं, 15 महीने का गाओ। 15 साल को भूलो। आपको 15 महीना गाने का दिन आ गया। आप 15 महीने का गाओगे तो सी.आर. कुछ सुधर जाए तो सुधर जाए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, आपने स्काई वॉक बनाकर सरकार के 50 करोड़ रूपये खर्च कर डाले, जनता की गाढ़ी कमाई को आप लोगों ने लूटा है और इसलिए जब मुख्यमंत्री जी अच्छा बजट भाषण पेश किए तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। आपको दर्द हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन 15 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए जनता ने इनको नतीजा बता दिया कि मिशन 65 की बात

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करने वाले लोग मिशन 14 पर आकर ठहर गये हैं। यही आपकी उपलब्धि है? अगर अच्छे काम किए होते तो कुछ दिन और चल जाते लेकिन आपने कोई अच्छा काम किया नही है। सारे मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी थे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मंत्रियों पर रोक लगा लें और उन पर नियंत्रण कर लें। केवल सीधे-साधे बने रहते थे, किसी को कुछ बोलना नहीं, चालना नहीं। बस, उनको चार-पांच आदमी दिखते थे, चार-पांच के अलावा कुछ काम नहीं। इसलिए इनकी बातों पर बात करना ही बेमानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में जो प्रावधान किया है उसकी हम सब प्रशंसा करते हैं, उनको बधाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा सत्य बोलूंगा, सत्तू भैय्या जैसा असत्य नहीं बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस सदन में रखे गये वित्तीय वर्ष 2020-21 में 102907 करोड़ के बजट का हम विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि बजट किसी सरकार का विजन डाक्यूमेंट होता है। इसमें उसकी दृष्टि परिलक्षित होती है कि सरकार प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है। इस बजट में सिवाय नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी के इस बजट में सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। इस बजट में सरकार की कोई ठोस दृष्टि कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे यहां की मूलभूत समस्या का समाधान होगा ऐसी कोई बात इस बजट में परिलक्षित नहीं होती है इसलिए इस बजट का हम लोग विरोध करते हैं। इस बजट में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है, अगर किसी प्रदेश को हमें आगे ले जाना है, हमारे प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, खेत पर आधारित है, किसान पर आधारित है और हम किसान को कैसे सहूलियत देंगे, उसकी आय को हम कैसे दुगुना करेंगे, खेती को कैसे लाभ का धंधा बनायेंगे ऐसा कोई विजन इस बजट में दिखाई नहीं देता। सरकार को चाहिए था कि इस बजट में यह रखे कि इस प्रदेश का जल, जंगल और जमीन कैसे बचे। इस प्रदेश के एक-एक बूंद पानी का हम सदुपयोग कैसे करें, यहां के जंगल को हम कैसे बचायें और जमीन को बचाने के बजाय यह सरकार सरकारी जमीनों को बेचने जा रही है। आने वाले कल में यहां का विकास अवरूद्ध हो जायेगा। इनका कोई विजन नहीं है और सरकार कंगाली के कगार पर है। सरकार बदहाली के कगार पर है। आज अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज 57 हजार करोड़ रूपये के कर्ज के बोझ तले ये सरकार कराह रही है। 57 हजार करोड़ रूपये के कर्ज के ब्याज को देने के लिये इस सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। यह इस सरकार की आर्थिक स्थिति है। व्यय बढ़ा है, आय कम हुआ है, पैसा कहां से आयेगा ? इस सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए इस बजट का हम विरोध करते हैं। आज हम धान खरीदी केन्द्रों को देख ले, सब सोसाईटियों को देख लें। किसानों की बड़ी-बड़ी बातें हो रही है। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, खुद बड़े किसान हैं।

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

समृद्ध किसान हैं। आप किसी भी सोसायटी में चले जाईये, किसानों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहां पर सेट की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। किसान कहां पर जाये ? यह कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों का प्रदेश है। माननीय कृषि मंत्री जी को हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हर समितियों में किसानों के बैठने की व्यवस्था हो, समुचित पीने के पानी की व्यवस्था हो। किसान का सम्मान होना चाहिए। जहां पर वह धान बेचने जा रहे हैं, वहां पर भी वह अपमानित हो रहा है। वहां पर भी उसको हय की दृष्टि से देखा जाता है। उसके साथ कर्मचारी अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं है। जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, जो हमारे भूमिपुत्र किसान हैं।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- नारायण भैया, 15 साल आपकी सरकार थी। उस समय किसानों की चिंता नहीं थी। उस समय आपने पानी की व्यवस्था क्यों नहीं किया। उस समय बोरिंग क्यों नहीं खुदाया ? आज हमारे बजट में हमारे सोसाईटियों को निर्देश दिया गया है कि वहां पानी की व्यवस्था रखिये, आपको पिछले 15 सालों में करना चाहिए था ?

श्री नारायण चंदेल :- उस समय किसानों को इतना देर लगता ही नहीं था। देखिये ऐसा है कि 15 साल में किसान कभी धान बेचने की अव्यवस्था से जूझा नहीं था। आज जूझ रहा है।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- आप अधिकतम 78 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे, हम 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। आपसे ज्यादा खरीद रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। किसान जब कराह रहा है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- भैया, आपके समय पिछले 15 सालों में कितने किसानों ने आत्महत्या की वह भी बताएं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, आज किसान इच्छा मृत्यु मांग रहा है। यह सरकार के लिये सबसे ज्यादा शर्मनाक है।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, सबसे ज्यादा तो आपके कार्यकाल में आत्महत्या किये हैं। माननीय, 1439 किसानों ने आत्महत्या किया है।

श्री नारायण चंदेल :- आंकड़ा बता देना।

श्री संतराम नेताम :- बिल्कुल आंकड़ा 1439 बता रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने पिछली बार माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन किया था कि किसानों के लिये हर जिले में किसान सदन बनाया जाये। जो बड़े जिले हैं, जैसा हमारा बड़ा जिला है, 6-6 विधानसभा का जिला है। 70,80,90 किलोमीटर दूर से किसान आते हैं। मान लो उनको रात में रूकना होता है, सब के लिये रेस्ट हाऊस, सर्किट हाऊस है। लेकिन किसान कहां पर रूके ? किसान कहां पर ठहरे ? यह हमने कृषि मंत्री जी को पिछली बार कहा था और जांजगीर के कृषि

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं।

मेले में उन्होंने घोषणा भी की थी। हमने कहा था कि जांजगीर से इसकी शुरूआत करे। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें बजट प्रावधान होना चाहिए। जब वे अपने विभाग की बात करेंगे तो इसमें घोषणा करे कि हर जिले में किसान सदन किसानों के लिये छत्तीसगढ़ प्रदेश में होना चाहिए। यहां की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, उसकी इस बजट में क्या स्थिति है ? सड़कों की नवीनीकरण करने की कोई योजना नहीं है। आज सरकार के पास में सड़क के गड्ढे पाटने के लिये पैसा नहीं है। मेंटनेस के लिये पैसा नहीं है। रख-रखाव के लिये पैसा नहीं है। सड़कों की स्थिति बद से बद्तर होती जा रही है। इस बरसात में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सड़कें जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो गयी। सड़क जर्जर हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है। जो आम राहगीर है, जो आम जनता है वह जर्जर सड़कों के कारण असमय काल के गाल में समा रहे हैं। इसलिए यहां की सड़कों के नवीनीकरण के लिये, सड़कों के मरम्मत के लिये, जो मूलभूत आवश्यकता है, इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में यह कहता हूं कि जब उनका रिप्लाई आये, तो इसका विशेष रूप से उल्लेख करें। माननीय सभापति महोदय, पीने के पानी की व्यवस्था, आज गांव-गांव में क्या स्थिति है ? प्रदूषित पानी से लोग बीमार हो रहे हैं, उल्टी, दस्त, डायरिया हो रहा है। लेकिन आज भी यह छत्तीसगढ़ प्रदेश अब बीस साल का हो गया है। 1 नवंबर, 2000 को इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता को आज के इस बजट भाषण में हम यह कहना चाहते हैं कि अनेक प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हुए लेकिन माननीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के सपने को साकार किया। इसलिए हम कहते हैं कि :-

" है समय नदी की धार, जिसमें सब बह जाया करते हैं।
और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं।"

माननीय सभापति महोदय, अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके, एक नये इतिहास की संरचना की है। 20 सालों का छत्तीसगढ़ हो गया और आज भी यहां पर बुनियादी समस्यों से ये छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। बुनियादी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। आज भी हमको सड़क, पानी मांगना पड़ रहा है। आज भी लोग बिजली के लिए आवेदन दे रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है और आज हम इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों का नवीनीकरण हो, सड़कों का रखरखाव हो। आज भी जहां पर पुल-पुलियों का अभाव है वहां पर पुल का निर्माण किया जाये। मेरे क्षेत्र के चांपा में हंसदेव नदी का निर्माण हुआ है उस हसदेव नदी में पुल के निर्माण को 40 साल हो गये और वह पुल जर्जर हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने उत्तर में चांपा के हंसदेव नदी में नये पुल का निर्माण करने की घोषणा करें। गांव-गांव में बिजली की समस्या है। जैसे हम मध्यप्रदेश में थे जब हम

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वर्ष 1998 में मध्यप्रदेश की विधान सभा में गये थे, उस समय जो बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे थे, फिर छत्तीसगढ़ करीब-करीब उस स्थिति में पहुँच रहा है। मैं एक गांव में गया तो वहां पर लोग बता रहे थे कि शाम को जब हम 6.00, साढ़े 6.00 बजे बिजली जलाते हैं तो लो वोल्टेज की इतनी समस्या है कि हम लालटेन लेकर देखते हैं कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है? ये स्थिति है। हम छत्तीसगढ़ को कहां ले जाना चाहते हैं? आज गांवों का आम किसान गांव में रहने वाला दुकालू, सुकालू, बैसाखू, समारू, पहारू, डहारू बिजली बिल ज्यादा आता है, जो बिजली बिल 400, 500, 600 रूपये आना चाहिए, वह 4 हजार, 5 हजार और 6 हजार रूपये आता है। जब वह नजदीक के बिजली बिल आफिस में जाता है तो वहां पर उससे बारगनिंग की जाती है कि आप 500 रूपये दे दीजिए, हम बिजली बिल कम कर देते हैं। वह बेचारा टेबल के नीचे से लिफाफा देता है। हम किस तरफ से छत्तीसगढ़ को ले जाना चाहते हैं? और इसलिये हम सरकार से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ऊर्जा मंत्री हैं, वह बिजली की व्यवस्था को सुधारे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय नारायण भईया, ये सुकालू, दुकालू क्या है? और इधर का पूरा दुकालू, दुकालू गायब है।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- दुकालू बचा है।

श्री नारायण चंदेल :- देखिए, ऐसा है कि सुकालू, दुकालू सब इधर है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सुकालू उधर और दुकालू इधर है।

श्री नारायण चंदेल :- हां। माननीय सभापति महोदय, अभी बात हो रही थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा। प्रायमरी स्कूल, मीडिल स्कूल मांगना पड़ रहा है। हाईस्कूल का उन्नयन करने के लिए आवेदन देना पड़ रहा है कि हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाये और इसलिये ये प्राथमिक आवश्यकता है, ते दारू वाला हस ते काबर स्कूल के बात करे बर जावत हस।

श्री कवासी लखमा :- आपका पूरा दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर और सुकमा में स्कूलों को बंद किया था। अभी हम लोग स्कूल खोल रहे हैं। आजादी के बाद 15 सालों तक बंद करने का काम किया, आप लोग उसको नहीं बतायेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, उनकी बात को हमको ध्यान नहीं देना है।

श्री कवासी लखमा :- क्यों भई?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपका दूध भात है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर चर्चा हो रही है इसलिए हम कवासी जी की बातों का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते।

माननीय सभापति महोदय, अभी ध्यानाकर्षण में सरस्वती साईकिल योजना, जो हमारी सरकार ने शुरू किया था। अभी स्कूल शिक्षा मंत्री जी का ध्यानार्षण में जवाब आया कि टेण्डर नहीं हुआ है। भईया,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

टेण्डर होने में कितने साल लगेंगे ? यह सरकार बता दे कि कब टेण्डर होगा ? हमारी बेटियों, छात्र, छात्राओं को कब साईकिल बटेगी ? और किसको टेण्डर दें इस बात पर झगड़ा है। ये सरकार की स्थिति है और इसलिये इस स्थिति को सुधारना जरूरी है और यह बहुत अहम प्रश्न है कि हम किसको साईकिल देते हैं ? हम गांव की हमारी बेटियों को साईकिल देते हैं। जो 2, 3, 5 किलोमीटर हाईस्कूल पढ़ने जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है ये अत्यंत ही लज्जाजनक स्थिति है कि हम टेण्डर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मेरा इस सरकार से निवेदन है कि हर शिक्षण सत्र में जुलाई, अगस्त महीने में साईकिलों का वितरण हो जाए ये सुनिश्चित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी बात आ रही थी कि अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। ये इस सरकार की स्थिति है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाईये। चाहे वह जिला चिकित्सालय में जाईये या रायपुर के मेकाहारा में जाईये या छोटे-छोटे गांव के विकासखंड स्तर पर जो अस्पताल हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 20 सालों के बाद भी इतनी बद से बदतर स्थिति है कि वहां पर कोई गरीब आदमी जाता है तो उसका प्रारंभिक ईलाज नहीं हो पाता। जो आवश्यक दवाईयॉ मिलती हैं, वह दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। सरकार का स्वास्थ्य में बजट आता है, वह पैसा कहां जाता है? क्यों गरीब को दवाई नहीं मिल पाती है ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय चंदेल जी, 15 साल में जो व्यवस्थायें बिगड़ी हैं, वह डेढ़ साल में कैसे सुधर जायेगी, यह तो आप भी समझते हैं। वह धीरे-धीरे करके तो सुधरेगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछिये कि स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश 20वें नंबर पर था, जबकि आज नंबर वन है।

श्री नारायण चंदेल :- उन्होंने सत्तू भैया का स्वास्थ्य अच्छा किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको कल सुबह-सुबह बोलूंगा, आज नींद आ रही है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा। मैंने उन्हें कल कहा था कि अभी रबी फसल के लिए हमने जो पानी दिया है, हमारे जांजगीर-चापा जिले, धमतरी जिले में पानी मिला है, लेकिन वह पानी कई जगह वेस्ट हो रहा है। कुछ एरिये में किसानों ने फसल लिया है। लेकिन वह जो बरबाद हो रहा पानी है, उसको हम किसान के खेत तक कैसे भेजें, उसको हम निस्तारी तालाब तक कैसे ले जायें, इस बजट में वास्तव में उसका उल्लेख होना चाहिए था। उसका कोई उल्लेख नहीं है। हम छोटे-छोटे पिलारी, नाली, नहर, बना दें, माइक्रोमाइनर बना दें। हम उस पानी को किसान के खेत तक भेजें, उसको हम टेल एरिया तक भेजें जहां पर किसान के खेत के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उसकी कार्ययोजना बननी चाहिए। जो पानी अभी बरबाद हो रहा है, गावों में जितने निस्तारी तालाब हैं, वहां पर हम उसको डायवर्ट करें। उसकी कोई कार्ययोजना बनायें। इसके लिए बजट में कोई प्रावधान रखें। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं। जो नहरें टूट-फूट गई हैं, जिन नहरों की मरम्मत नहीं हो पाई है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहरों की मरम्मत नही होने के कारण खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का इस बजट में कहीं किसी पृष्ठ में कोई उल्लेख नहीं है। डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इसको शुरू किया था। हमारे 60, 65, 70, 75 साल के जितने बुजुर्ग हैं, वह इस देश के धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाते थे और तीर्थ यात्रा से आकर के सरकार को आशीर्वाद देते थे, वह तृप्त होते थे। हमारी सरकार ने श्रवण कुमार का काम किया था, लेकिन इस बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं सरकार के यहां पर वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस योजना को चालू करें और उसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रेलवे के ओवरब्रिज की अभी बात हो रही थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे बहुत रेलवे स्टेशन, रेलवे के समपार, रेलवे फाटक हैं, जहां पर आज भी ओवरब्रिज, अंडरब्रिज की आवश्यकता है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके सरकार को उसकी कार्ययोजना बनानी चाहिए। आवागमन में दिक्कत होती है। मैं जिस जिले से आता हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन जांजगीर-चांपा जिले में हैं। इसलिए जो ओवरब्रिज बन भी रहे हैं, उनको बनते हुए 5-6 साल हो गये, लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वह जनता को समर्पित नहीं हुआ। बहुत ऐसे समपार फाटक हैं, जहां पर हमको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा रूकना पड़ता है। इसलिए इस प्रदेश में जितने भी ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है जहां पर ज्यादा आवागमन है, उसको प्राथमिकता से ले करके सरकार को इस पर बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है। ये मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत सुविधा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे भाई बस्तर से आते हैं। नक्सलवाद के निराकरण के लिए, नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बननी चाहिए। उसके लिए बजट प्रावधान होना चाहिए। जब से छत्तीसगढ़ बना है, हम नक्सलवाद की विभिषिका से जूझ रहे हैं और हमारा कितना फंड चला गया, लेकिन आज भी नक्सलवाद घटने के बजाय तेजी के साथ में बढ रहा है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उसके बारे में कोई कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर इतनी ही बात कहते हुए हमारे अन्य सदस्य बाकी सब विषयों को रखेंगे । लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी जो योजनायें हैं उनको एकतरफ रखकर यहां की जो मूलभूत समस्या है, समस्याओं की प्राथमिकता तय होनी चाहिए कि किसी समस्या का निदान हमको पहले करना है नरवा, गरूआ, घुरवा, बारी में आपका पैसा वेस्टेज हो रहा है, यह फेल्योर योजना है और इसलिये समस्या की प्राथमिकता तय होनी चाहिए

अशासकित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसके लिये बजट प्रावधान होना चाहिए, उसके निदान की दिशा में कार्ययोजना बननी चाहिए । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पर समर्थन के लिये अपनी बात रखना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के ग्रामीणजन किसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के तबकों को राजय के विकास के साथ जोड़ने में सफल हुए हैं । इसी तरह हमारी एक गौरवशाली परंपरा सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाये रखने की दिशा में माननीय भूपेश बघेल जी ने वर्ष 2020-21 के बजट में पर्याप्त राशि प्रावधानित कर एक समन्वय बनाने की उन्होंने कोशिश की है । मैं इस तारतम्य में यह कहना चाहूंगा, मैं अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था । राजनांदगांव जिले का पड़ौसी विधायक होने के नाते राजनांदगांव जिले में कुपोषण के शिकार का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, वे खुद अपने जिले, अपने विधानसभा के कुपोषण को वे 15 सालों में पोषण में नहीं बदल पाये और वे गंभीर बात कर रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था । आप देख लीजिये पूरा रिकॉर्ड है, आप पूरे जिलावाईस अगर कुपोषण की मात्रा को देखेंगे तो निश्चित रूप से राजनांदगांव जिला जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के ईलाके में रहा है, वे 15 सालों तक उसका निदान नहीं कर पाये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत् कुपोषण को मिटाने के लिये अतिरिक्त पोषण आहार की व्यवस्था, कुपोषण की बीमारी से बचने के लिये 60 करोड़ रूपये का नवीन मदों का प्रावधान रखा है । डॉ. खूबचंद बघेल सहायता योजना, पिछले समय संजीवनी कोष सहायता योजना चल रही थी उसका एक सरलीकरण करके हमारे ग्रामीण जनों के भाईजनों को कैसे राहत मिले करके पिछले संजीवनी कोष में कुछ बीमारियों की संख्या लिमिटेड थी, 40 या 42 लिमिटेड थी इसको बढ़ाकर लगभग 142 करके एक अंत्योदय राशनकॉडधारी को 5 लाख रूपये और सामान्य राशनकॉर्डधारी को 50,000 रूपये का प्रावधान किया है यह बहुत अद्भुत योजना है और हमारे किसानों के साथ संजीवनी कोष के तहत् जो परेशानी होती थी उसमें निश्चित रूप से सरलीकरण करके एक नया आयाम, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने किसानों के और ग्रामीणजनों के हित में पर्याप्त काम करने का प्रयास किया है ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा एक उसी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है । उसका एक बहुत छोटा सा फार्म है, पिछले समय के संजीवनी कोष के फॉर्म को देखेंगे तो कई पन्नों में यह करो, वह करो, आपके सी.एम.ओ. का दस्तखत कराओ तो ऐसे बहुत सारी जो पेचीदा फार्मेलिटी थी उसका सरलीकरण करके गंभीर बीमारी के उपचार में यदि मुख्यमंत्री जी 20 लाख रूपये तक की भी अनुशंसा करते हैं तो उनको एक विशेष सहायता योजना प्रदान होता है इसके लिये 50 करोड़ का प्रावधान । पता नहीं हमारे विपक्ष के साथी लोग इसे पढ़ पाये हैं कि नहीं पढ़ पाये हैं ? कया सोने में

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिए नहीं

ही रातभर बिता दिये ? ये बोलते हैं कि राजनांदगांव में केवल गढ़कलेवा के अलावा कुछ नहीं दिया है, मैं दावे के साथ बोलता हूं । अगर आपने थोड़ा सा भी अध्ययन किया होता, वे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बजटीय भाषण में इस तरह से गैरजिम्मेदाराना भाषण करना मैं सोचता हूं कि एक छोटापन है । निश्चित रूप से उन्हीं के विधानसभा में, जब कल स्कूल की बारी आयेगी, सिंचाई की बारी आयेगी और अन्य विषय की बारी आयेगी तो मैं एक-एक उनको गिनाकर बताउंगा कि आपके विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितने स्कूल उन्नयन किये हैं । उन्हीं के विधान सभा क्षेत्र में हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने सिंचाई के लिए कितना प्रावधान किया है । यह मैं एक-एक करके बताउंगा, मुझे उनके क्षेत्र के एक-एक गांव का नाम पता है, स्कूलों का नाम पता है । केवल गढ़कलेवा के नाम पर सभा को बाधित करने का प्रयास किया । मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, यह कितनी सार्थक योजना है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच यह है कि निचले स्तर पर ग्रामीणजनों को कैसे राहत दी जा सकती है । कैसे उन्हें वे सरलता से अपने जीवन को सुधारे, इस पर उन्होंने खर्च करने का प्रयास किया है । पिछले शासनकाल के इतिहास में विकास की बात करते हैं, वे केवल कहां कितना कमीशन मिलेगा, केवल इसी पर खर्च करते थे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दलेश्वर जी, अब तो कमीशन बंद हो गया ना ?

श्री दलेश्वर साहू :- बिल्कुल बंद होगा, क्यों नहीं होगा ? अगर सीधे ग्रामीणजनों को लाभ की योजनाएं बनेंगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा । दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इलाज कराने के लिए शहर जाना पड़ता था, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना में ऐसे आने वाले किसानों, वनवासी भाईयों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया है । राजीव युवा मितान क्लब योजना, यह बहुत बढ़िया योजना है, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के तहत इसको किया जाएगा । 15000 युवा मितान क्लब गठित करके 50 हजार करोड़ का प्रावधान किया है, इससे युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए, उन्हें जोड़ने का प्रयास, उनके द्वारा रचनात्मक कार्यों में भाग लेने का प्रयास, सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्हें जो परेशानियां होती हैं, उन्हें दूर करने के प्रावधान युवा मितान क्लब योजना में किया गया है ।

छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का गठन एक सार्थक पहल है । हमारे राज्य के युवा को राज्य में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय में भाग लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं । वे आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे खिलाड़ियों के लिए खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है । मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं । राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अभी माननीय सदस्य धान खरीदी के विषय में बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे । उनके समय में तो पटवारी, किसानों की कोठियों में जाते थे, कोठी का अवलोकन करते थे । इनके समय में तो एक नया किसान आंदोलन शुरू हुआ था । जबकि पहले किसान आंदोलन पेयजल और सिंचाई के लिए आंदोलन किया करते थे । उन्हीं के राजनांदगांव जिले में एक नये किसान आंदोलन का जन्म हुआ, अगर वे किसानों का हित सोचते और सही समय पर बोनस दे देते, समय पर उचित

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मूल्य पर धान खरीद लेते तो यह इस नये किसान गठन के जन्म की आवश्यकता नहीं होती । ये उन्हीं के किये गए कार्यों का ही परिणाम है । वे आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं । अगर पिछले राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी, बोनस वितरण किया जाता तो निश्चित रूप से हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लागू नहीं करना पड़ता । हमारे किसानों हित में इतना बड़ा निर्णय लेने और उन्हें 1500 और 2300 रूपए के अंतर की राशि 2019-20 के लिए 5000 करोड का एक अनुमानित बजट का प्रावधान किया है । प्रधान मंत्री फसल बीमा में, हमारे कृषि मंत्री जी जो कि यहां बैठे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा बजट मिला है । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 370 करोड़, बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन में 220 करोड़, वाटर शेड के लिए 200 करोड़, प्रधान मंत्री सिंचाई योजना में 110 करोड़, निश्चित रूप से हमारे राजनांदगांव जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसानों के हित में सारे प्रावधानों को एक योजनाबद्ध तरीके से किसानों की समृद्धि कैसे हो, किसानों की दुर्दशा कैसे ठीक हो, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर बजट में प्रावधान किया गया है । गौठान के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपये का अनुदान, उद्यानिकी महाविद्यालय का इतना बड़ा निर्णय हमारे कृषि ने लिया है। बेमेतरा, जशपुर, धमतरी, अर्जुंदा, बालोद जैसे जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय का खोलना। डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय तखतपुर बेमेतरा में खोलना। राजपुर धमधा में फिसरिज पॉलीटेक्निक की स्थापना, यह ऐतिहासिक निर्णय है। मैं प्रभारी कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप भी मेरे डोंगरगांव क्षेत्र में निश्चित रूप से उद्यानिकी खोलने का प्रयास करेंगे, यही मेरी आपसे आशय है। नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जेम देवरी पार्क की स्थापना के लिए आपने 1 करोड़ रूपये का प्रावधान आपने किया है। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राजस्व श्रम व्यवस्था, आदिवासी को मतलब नगरीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री मितान योजना जो क्रिटिकल योजना है कि गांव और शहर के लोग अपने स्वास्थ्य एवं राजस्व श्रम विभाग को सुचारू रूप से संचालन नहीं होने के कारण ऐसे मुख्यमंत्री मितान योजना को शामिल करके प्रावधान किया है। निश्चित रूप से हमारे नगरवासी, नगरपालिका में रहने वाले छोटे-छोटे स्लम एरिया में रहने वाले भाइयों के लिए हितकारी होगा। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ। पिछले समय खाली नगर-पालिका में प्रावधानित किया था। हम बार-बार बोलते थे कि आपकी योजना पूर्व में घोषणा है। पर इस समय बजट नहीं होने के कारण शायद नगर-पंचायत, नगर-पालिका और नगर-निगम जैसे पूरे जिले में जो कर नहीं पाये थे, इसलिए इसका प्रावधान किया गया है और निश्चित रूप से यह मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना कारगर साबित होगा। जो सड़क, नाली, साफ-सफाई मतलब एक ही कार्यालय होने के कारण अपनी बात को रखने में कर्मचारी कम होने से निश्चित रूप से जो समय में विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था तो मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में करीब 5 करोड़

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कुपोषण के मामले में बहुत बड़ा निर्णय आदिवासी एकीकृत परियोजना में फिर से और जब-जब अभिभाषण की बात आयेगी तो निश्चित रूप से कहूंगा। हमारे प्रमुख सचिव भी बैठे हुए हैं और मंत्री जी तो नहीं । आदिवासी एकीकृति परियोजना के लिए इतना करोड़ रूपया हमारे पास है जो कि पिछले 7-8 साल से पड़ा हुआ है। मैं अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किया रहता तो मैं एक्जेट भी बता देता कि उड़ीसा मॉडल पर डेयरी विकास, छोटे-छोटे लघु अंचल, माढ़ा क्षेत्र आदिवासी एकीकृत योजना में ऐसे विकास योजना में पैसे का यूटिलाइजेशन पिछली सरकार में नहीं हो पाया तो मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी योजनाओं का पैसा कम से कम समयबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि हम बात कर सकें। हम अगर बजट-बजट की बात करते हैं और हमारे पास बजट रहने के बाद भी हम अगर खर्च न किये तो शायद इससे दुर्भागयजनक इस सदन के लिए नहीं होगा। हमारे पैदल यात्रियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक डोंगरगढ़ पैदल यात्री जाने के लिए सुविधाजनक रोड बनाने का प्रयास किया। उसमें करोड़ों रूपया खर्च किया। आज भी मेरा उस रास्ते से जाना होता है और मैं जब देखता हूं तो उसमें सोलर लाइट के नाम से करोड़ों रूपये खर्च किया गया। पैदल यात्रियों को सुविधा हो करके घास बिछाया गया और लाइट की व्यवस्था को आप अगर देखेंगे तो इतने भ्रष्टाचारी का आलम नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर और जो क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, वह कहीं भी नहीं हुआ है। उनके जीवन-यापन में खतरे की घड़ी बजते रहती है। ऐसी स्थिति में एक सुधार की जरूरत है। पौनी पसारी योजना बहुत ही बढ़िया योजना है। शहर में पौनी पसारी योजना का जो कंसेप्ट है, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। इस योजना के अंतर्गत शहर में कहीं भी व्यवसाय करने वाले चाहे वह मरार हो, चाहे मोची हो, चाहे धोबी हो, चाहे लोहार हो, कहीं भी जाकर उनके लिए व्यवस्था करके एकजुट तैयार करने लिए उनको बसावट के रूप में एक नया बाजार का कंसेप्ट पौनी पसारी योजना में लागू किया है, उसके लिए भी मैं हृदय से आभार मानता हूं। मैं विपक्षी दलों के साथी लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर पूरे प्रदेश में और पूरे जिलों में पशु तस्कर के नाम से, मद-मदिरा से मरने वालों की संख्या की तुलना करेंगे तो राजनांदगांव जिला पिछले सरकार के 15 साल के कार्यकाल में हमारा राजनांदगांव जिला आगे रहा है। अगर पशु तस्करी की संख्या को देख लो तो हमारा राजनांदगांव जिला अग्रणी रहा है। मद्यपान के सेवन से मरने वालों की संख्या देखेंगे, आप पिछले 15 साल के आकड़ें देख लो, तो उसमें भी राजनांदगांव अग्रणी श्रेणी में आता है। माननीय सभापति महोदय, खनिज न्यास के मद का दुरूपयोग, बहुत ज्यादा दुरूपयोग हुआ है। मैं तो सोचता हूं कि कभी मौका लगे, कभी प्रश्न-उत्तरों की बात चले तो कहूंगा। हमारे पूर्व कलेक्टर ने एक एजेंट बैठाकर रखा था। वह ऐसी नई-नई योजना बनाता था, जो हमारी सोच के बाहर रहता था। ऐसी योजना को लाकर उस पर पैसा खर्च करते थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं। आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, बस, मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा। खनिज न्यास के पैसे का हमारी सरकार ने काफी सरलीकरण किया है। जो दूराचंल में पैसे का निचले तबके के लोगों पर कैसे सदुपयोग होना चाहिए, इस पर कार्य किया। चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उसका सरलीकरण करके पैसे भिजवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, हले प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसे एक विधायक को देकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरलता दिखाकर विधायकों का मनोबल उठाने का प्रयास किया है। यह बजट, सर्वहारा बजट, एक समन्वय बजट है। गरीब तबकों के हित को, किसानों के हित को समन्वय बजट बनाकर सारे प्रावधान किए हैं। मैं इसके लिए पूरे मंत्रिमण्डल और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण हुआ, जिसमें शिक्षाकर्मी के संविलियन और 2500 रूपये क्विंटल की दर से किसान के धान खरीदी को छोड़कर मैं समझता हूं कि बजट में आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं है। एक झुनझुना पकड़ाने वाला काम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, तिल्दा और सुहेला क्षेत्र के लगभग 56 गांव में कुम्हारी जलाशय से एक सिंचाई की महत्वाकांक्षी परियोजना...।

श्री मोहन मरकाम :- आपकी गाड़ी के लिए 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, उसको आप झुनझुना बोल रहे हो साहब।

श्री सौरभ सिंह :- मोहन भैय्या, वह पहली बार बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्री केशव चन्द्रा :- वही तो झुनझुना है। झुनझुना का आशय क्या है ?

श्री सौरभ सिंह :- मोहन भैय्या, वे पहली बार बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिये। वह टोका-टाकी हम लोगों के साथ कर लीजियेगा।

श्री मोहन मरकाम :- वह बार-बार ब्राण्ड वाली बात कह रहे थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वह भी नहीं मिलता है। सभापति महोदय, वह ब्राण्ड भी अच्छे से नहीं मिलता। जिसमें कमीशन ज्यादा मिलता है, वही ब्राण्ड चलाया जाता है। जिसमें 60 से 70 प्रतिशत कमीशन होगा, यहां उसी ब्राण्ड का शराब बिकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बोलना चाहूंगा कि तिल्दा और सुहेला क्षेत्र के लगभग 56 गांव की बहु उपेक्षित मांग लगभग 8-10 वर्षों से मांग करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कुम्हारी जलाशय से उस क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था करने की बात थी। करीब एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब नये-नये मुख्यमंत्री बने थे, तो सकलोर के एक कार्यक्रम में उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि इस बजट में इसको जोड़कर वहां के किसानों को इसकी सुविधा दी जायेगी। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एकदम हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। यदि हम विपक्षी दल के हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां के जनता के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जनता के भी मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी हैं और सरकार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के साथ कम से कम भेदभाव न करें। जैसे मुख्यमंत्री समग्र योजना, इस योजना में माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा सभी विधायकों को वहां विकास कार्य के लिए कुछ न कुछ राशि विकास कार्यों के लिए दी गई है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं पहला विधायक होऊंगा कि प्रभारी मंत्री माननीय टी. एस. सिंहदेव जी ने मुख्यमंत्री समग्र योजना में हमारे क्षेत्र में एक पैसे सेंशन नहीं किया ।

माननीय सभापति महोदय, खपराडीह सिंचाई परियोजना भी उस क्षेत्र के किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग है । वहां के किसान 10-12 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के पास सिर्फ नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी छोड़कर कोई योजना नहीं है और न ही इसके लिए कोई फंड है । यह योजना भी पूर्ण रूप से असफल और फेल है । पूरे छत्तीसगढ़ आप कहीं भी जाईए, नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना में एक भी गाय या मवेशी देखने को नहीं मिलेगा । जब इस योजना का उद्घाटन करना होता है तो मवेशी को दूर से पकड़कर वहां लाते हैं, पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और उसके बाद फिर मवेशी को बाहर भेज दिया जाता है । ऐसी योजना का क्या औचित्य है ? यह एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जो कभी सफल नहीं हो सकेगी । सिर्फ एक दिखावा है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं । इसके कहने से छत्तीसगढ़ के लोगों का भला नहीं होगा । मजदूरों के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है, जिसमें युवा बेरोजगारों को फायदा हो । छत्तीसगढ़ में 10 लाख युवा बेरोजगार हैं । इस बजट में बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, न तो बेरोजगारी भत्ता के लिए प्रावधान किया गया है, न युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में कोई उल्लेख है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह सरकार कहती है कि हम शराब दुकान बंद करेंगे । मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर सबसे ज्यादा राजस्व का घाटा कहीं हो रहा है तो शराब में हो रहा है, अन्य प्रदेशों से शराब लाकर बिना स्केनिंग के माल को हर भट्टी में बेचा जा रहा है । इसमें सीधा राजस्व का नुकसान है । इसमें बिना स्केनिंग के अन्य प्रदेशों से शराब आ रहा है, यहां के शराब माफियाओं के द्वारा पूरे पैसे को दो नम्बर में हड़प लिया जाता है । मैं नहीं जानता कि इसमें किसका संरक्षण प्राप्त है, इसमें शासन का हाथ है या नहीं है, लेकिन हर जगह, हर किसी को मालूम है, अगर यहां पर 90 विधायक बैठे हुए हैं तो सबको यह बात मालूम है कि इस प्रदेश में शराब का गोरख धंधा चल रहा है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- शर्मा जी, मंत्रियों को मालूम है या नहीं है, यह बताईए न ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सबको मालूम है, लेकिन बोल नहीं पाएंगे । सभी को मालूम है कि यह गोरख धंधा चल रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रमोद जी, मुख्यमंत्री जी ने उस दिन एक किस्सा सुनाया था कि भीष्म पितामह के आंख में परदा इसलिए पड़ा था कि वे दुर्योधन का अन्न खा रहे थे । वैसे ही मोहन मरकाम जी के आंखों में पर्दा पड़ गया है कि वे वहां पर जा रहे हैं । (मुख्यमंत्री जी की सीट की ओर इशारा करते हुए) उनका अन्न खा रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में ऐसा ब्राण्ड चल रहा है, जो आजतक छत्तीसगढ़ में कभी देखने को नहीं मिला था । मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि जिस ब्राण्ड में 50 से 60 प्रतिशत कमीशन होगा, उसी ब्राण्ड को बेचा जाएगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसका नाम क्या-क्या है, वह भी बता दीजिए न ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वह आप लोग समझेंगे पिस्टल और दुनिया भर का क्या-क्या ब्राण्ड आता है, आये दिन नये तरह का ब्राण्ड यहां आता है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप कौन सी ब्राण्ड पसंद करते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जैसे ही किसान के कर्जमाफी वाली बात हो, चाहे 25 सौ रूपए में किसान के धान की खरीदी की बात हो, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि कुछ त्रुटि के कारण किसानों का धान नहीं खरीदा गया, इसमें प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है, किसानों की भी कोई गलती नहीं है, सिर्फ साफ्टवेयर की गलती है । ऐसे कुछ किसान हैं, जिनका प्रतिशत बहुत कम है, जहां पर बलौदाबाजार जिले में 8-10 ऐसे किसान हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक गलती है कि कम्प्यूटर की त्रुटि है, साफ्टवेयर की त्रुटि है, जिसके कारण ऐसे लोगों का धान नहीं खरीदा गया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे किसानों का धान खरीदा जाए । उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि सोहेला क्षेत्र में रहने वाले अशोक धृतलहरे की कोई गलती नहीं है,

Uncorrected and unedited/Not for Publication Wednesday, March 04, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सिर्फ कम्प्यूटर की गलती है । प्रशासन इस बात को मान रहा है, वहां के कलेक्टर साहब मान रहे हैं, वहां के तहसीलदार साहब मान रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, कम्प्यूटर की त्रुटि है । मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस किसान की क्या गलती है? 12 एकड़ का किसान है, कम्प्यूटर की त्रुटि है, उसका धान नहीं खरीदा गया, वह किसान आत्महत्या करने की स्थिति में है, उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे त्रुटि को सुधारकर किसानों के हित में यह सरकार फैसला ले।

श्री वृहस्पत सिंह :- कम्प्यूटर पहले वाली सरकार ने खरीदा है ना, इसलिए गड़बड़ी हो रही है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं, तो आप सुधारिये । यही होता है यहां ? माननीय सभापति महोदय, मेरे को आज बोलने का मौका मिला है, इसलिए बोल रहा हूँ । उधर पक्ष के लोग यही बोलते हैं कि 15 सालों तक आपने यह किया तो आप लोग भी 15 साल तक ऐसे ही करेंगे ? इधर 15 साल तक गलती किये तो आप लोग भी 15 साल गलती करेंगे ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- 15 साल के पहले किसकी सरकार थी ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल रखने के लिए थैंक्यू ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप लोगों का यह तर्क बिल्कुल गलत है, 15 साल तक आप लोगों ने गलत किये हैं तो हम लोग करेंगे । आप लोग भी वही राह में चल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, अपनी बात बोलिये ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- टोक देते हैं तो क्या करूं सभापति महोदय ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको खाद्य विभाग में जो घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में बताना चाहूंगा । खाद्य विभाग के ऐसे अधिकारी को यहां संरक्षण प्राप्त है, जिनका 8 महीने पहले ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन आज तक रिलीव नहीं किया गया है । ऐसा शासन क्या काम का है, ऐसा प्रशासन क्या काम का है, जिनका ट्रांसफर होने के बाद रिलीव नहीं किया गया है ? उनको अधिकारियों द्वारा बचाया जा रहा है । माननीय सभापति महोदय, उस अधिकारी का नाम लेकर मैं बताता हूँ । सहायक खाद्य अधिकारी अनिल जोशी, जिनके नाम से फर्जी नौकरी करने का यहां पर केस दायर है । वहां पर शिकायत प्राप्त है । हर राईसमिलर को तंग करके पैसे की वसूली करना उसका अभियान है । उस अधिकारी के पास तीन-तीन खुद की राईस मिल है । 8 महीना पहले ट्रांसफर होने के बाद इस विभाग के द्वारा वहां से स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- उस अधिकारी का नाम क्या बताये ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- [XX][8] सहायक खाद्य अधिकारी ।

श्री वृहस्पत सिंह :- उसको वसूली करते 15 साल हो गये हैं ।

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

सभापति महोदय :- जो आप नाम ले रहे हैं, वह नाम विलोपित किया जाये।

श्री वृहस्पत सिंह :- यदि वहआरोपी है और माननीय सदस्य ने नाम रखा है... । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, नाम विलोपित हो गया है,..(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आपसे निवेदन है कि कौन अधिकारी है, उसको दण्ड दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिसके बारे में बताया है कि उनका तीन-तीन राईस मिल है । तुरंत अभी तो नहीं खुल गया होगा, पिछले सरकार में खोला है । उसको समेटने में टाईम तो लगेगा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानकर चलूं कि पिछले सरकार संरक्षण दे रही थी तो आप भी देंगे ?

सभापति महोदय :- 10 मिनट हो गये हैं, कृपया समाप्त करें ।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें तो हम ट्रांसफर कर दिये हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री महोदय, उनको रिलीव ही नहीं कर रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आप आश्वासन दे दीजिए, उनको अर्थदण्ड देंगे ?

श्री ननकीराम कंवर :- हो चुका है ।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- ननकीराम दादा कम से कम आप तो मत बोलिये, सब बोलें तो समझ में आता है । पिछले सरकार में भले ही आपका काम नहीं होता था, आपकी सुनाई नहीं होती थी, इस सरकार में तो आप जैसे चाहते हैं, वैसा काम हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बलौदाबाजार जिले की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में 10 सीमेंट प्लाण्ट है, जिसमें से 6 सीमेंट प्लाण्ट बलौदाबाजार विधान सभा में है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- देश में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करने वाला बलौदाबाजार जिला है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पूरे देश के 25 परशेंट क्लिंकर का उत्पादन बलौदाबाजार से होता है । मैं बार-बार इस बात को बोला हूँ, राजस्व को बढ़ाना है तो इस जिले के क्लिंकर को रोकना होगा । पूर्व सरकार से यदि गलती हुई है, कम से कम नई सरकार न करे । इससे हर साल 2000 करोड़ के राजस्व का फायदा होगा । अगर छत्तीसगढ़ का क्लिंकर छत्तीसगढ़ में रहे...।

श्री वृहस्पत सिंह :- एग्रीमेंट करके रखा होगा, तो कैसे करोगे ?

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि क्लिंकर को यहीं रोका जाये । ग्राइंडिंग यूनिट लगाया जाये, ताकि युवा बेरोजगार लोगों को उसमें नौकरी मिले और हमारे छत्तीसगढ़ का राजस्व लाभ हो । माननीय मंत्री जी का जवाब आता है कि जी.एस.टी. हमारा नहीं होता है लेकिन जी.एस.टी. का कुछ अंशदान तो छत्तीसगढ़ को मिलता है वह बढ़ेगा। इससे टैक्स में बेनिफिट तथा युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बलौदाबाजार क्षेत्र में पर्यावरण की बहुत समस्या है। उद्योग वाले सिर्फ पर्यावरण के नाम से सिर्फ कागजों में प्रदर्शित करते हैं कि हम इतने पौधे लगाये। उसके लिए भी प्रशासन गंभीर हो और कड़ाई करके पर्यावरण के नियम का पालन कराये और उद्योग नीति का पालन कराये। माननीय श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे मजदूर श्रमिकों के लिए विशेष रूप से ध्यान देवें और वहां पर अच्छे से उनका ध्यान रखें। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेष पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पाण्डे जी, सरकार उच्च शिक्षा को कैसे बेहतर बना सकती है, इस पर निश्चित रूप से बोलिए। बिना प्राध्यापक इनका कालेज चल रहा है। अब बच्चे वहां पढ़कर आई.ए.एस., आई.पी.एस. थोड़ी बनेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- महत्व तो इनके खास को ही मिलना है, आपका अंक बढ़ने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, पाण्डे जी को मत धमकाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- धमका नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2020-21 का अनुमानित बजट सदन में रखा। इसकी चर्चा पर मैं आज रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट किसी भी सरकार के दिल और दिमाग का एक आईना होता है। ये वह प्रपत्र होता है जो एक सरकार का विजन डाक्यूमेंट होता है जिसको सरकार, सत्ता एक मिशन की तरह कंप्लीट करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रिगण, सभी विधायको ने जो इस प्रदेश की आवश्यकता है, जो सरकार की घोषणा है और जो प्राथमिकता है उनके आधार पर इस बजट को बनाया है। मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे भवन्तु सुखिन: से बजट की जो शुरूआत की है ये उनके भावों को प्रदर्शित करता है कि वह प्रदेश की जनता के लिए किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक ऐसे पूंजीवाद का शासन था जिसमें छत्तीसगढ़ के गरीबों, मजदूरों, किसानों को कोई राहत नहीं मिलती थी। मैं इसमें दो लाईनें कहना चाहता हूं कि -

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मरहम लगा सको किसी गरीब के जख्मों पर, तो लगा देना,

हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों की इलाज के खातिर।

माननीय सभापति महोदय, कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वह बिल्कुल साफ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे राज्य का जो बजट है उसमें कुल आय 96 हजार करोड़ रूपये के आसपास अनुमानित है, इसमें राजस्व की आय 83831.30 करोड़ है और लोक ऋण 10859.99 करोड़ है और अग्रिम और लोक लेखा को मिलाकर 91.23 करोड़ रूपये होता है। जो अनुमानित व्यय है वह कुल व्यय 95649.71 करोड़ है और पूंजीगत व्यय 13814.11 करोड़ है तथा राजस्व व्यय 81399.95 करोड़ है। इसमें ऋण अग्रिम 435 और 441 करोड़ रूपये है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि सबसे महतवपूर्ण है और जिसके लिए हमारे विपक्ष के साथी इसमें कई बार अपनी बात रखते हैं, अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे आय और व्यय पर जो कर है, टोटल अगर हम बात करते हैं, करों एवं शंको के राजस्व की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो हमको राजस्व प्राप्त होता है, उसमें 63 प्रतिशत जो हमारा राजस्व है, वह कर और शुल्क टैक्स से आता है। जिसमें आय व्यय का 19 प्रतिशत, संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन कर 3 प्रतिशत है, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर 10 प्रतिशत है, राज्य वस्तु सेवा कर 13 प्रतिशत है, राज्य उत्पाद कर 6 प्रतिशत है, बिक्री व्यापार 5 प्रतिशत है, बिजली का कर शुल्क अन्य 2, 5 प्रतिशत है। यह हमारे करों के शुल्कों का राजस्व 63 प्रतिशत मिलता है। यानी की हमारी टोटल इनकम का 63 प्रतिशत हमको यहीं से आता है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इसमें अगर और थोड़ा सा खंड करते है तो वस्तु और सेवाओं पर जो कर और शुल्क है, जिसमें केन्द्रीय वस्तु सेवा है, यह टोटल 41 प्रतिशत है। यह 63 प्रतिशत में जुड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त कर भिन्न जो राजस्व है, वह हमारा 11 प्रतिशत है। जो हमारी आय में आता है और केन्द्रीय सहायता अनुदान हमको 26 प्रतिशत मिलता है। यह अनुमानित किया गया है। अब आपका ध्यान उस विशेष बात पर ले जाना चाहता हूं जो हमारे व्यय की बातें हैं। जो खर्चे की बातें हैं, यानी की जो सरकार का उद्देश्य है, वह क्या है ? हमारा उद्देश्य कैसा है ? हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के लिये क्या सोचती है ? छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिये क्या सोचती है ? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो सामान्य सेवाएं हैं, जैसे कि प्रशासनिक सेवाएं, ब्याज संग्रहण ऋण, हम लोग इस पर 24 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं, हमारी सरकार इस साल से कर रही है। दूसरा, सामाजिक सेवाएं हैं जो कि 38 प्रतिशत है, हम उस पर खर्च कर रहे हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो पहले कभी नहीं हुआ है, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में इस बार का जो बजट है, हमारी सरकार 21 प्रतिशत व्यय कर रही है। इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ है। यह छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, इस संस्कृति और परंपराओं को धरोहरों को एक वाकई में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसको संरक्षित करने के लिये जो 21 प्रतिशत का बजट रखा गया है, वह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सामाजिक सेवाओं में ही चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण 6 प्रतिशत है, जल आपूर्ति सफाई 1 प्रतिशत है, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पोषाहार आवास इसमें 4 प्रतिशत है। इसके अलावा तीसरी बात है। जो आर्थिक सेवाएं हैं, इन आर्थिक सेवाओं में यदि हम बात करते हैं, तो हम 34 प्रतिशत जो है, वह खर्च कर रहे हैं। बहुत बडी राशि होती है। इसमें हम कृषि सम्बद्ध क्रियाकलाप हैं। ग्रामीण विकास, उद्योग खनिज, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, परिवहन है। यह मिलाकर 34 प्रतिशत होता है। यानी की जो हम खर्च कर रहे हैं, वह खर्च भी हम सही दिशा में कर रहे हैं। जहां-जहां महतवपूर्ण है, वहां-वहां कर रहे हैं। थोड़ा अपना-अपना परिवर्तन है। देखिये, सरकार उनके पास भी थी, सरकार उन्होंने भी 15 साल रन की है, सरकार कांग्रेस पार्टी की भी है। दोनों की प्राथमिकताएं जनता की सेवा है, जनता की बेहतरी है और प्रदेश का विकास है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास राजस्व 52,958 करोड़ रूपये का है। अगर हम 2018-19 की बात करते हैं, मैं इसकी आडिटेड आपको बताना चाहता हूं, जो आडिटेड हमारे पास राजस्व का आया था, वह 44,885 करोड़ रूपये था। यह इतना राजस्व आडिटेड है। हमारा अभी का अनुमानित 52,958 करोड़ है। बढ़ा है, दो साल के कंपेरिजन में राजस्व बढ़ रहा है। हम बताना चाहते हैं कि उसका खर्च भी सही दिशा में किया जा रहा है। दूसरी बात, जो कर भिन्न राजस्व है, वह भी बढ़ रहा है और केन्द्र सरकार की सहायता का अनुदान वह पहले आडिटेड में 12,505 करोड़ था, अभी 21,658 करोड़ है। माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी बातें हैं। कल मैं एक भाषण हमारे पूर्व मंत्री जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका भाषण सुन रहा था। वे कह रहे थे कि सरकार ने राजस्व व्यय बढ़ा दिया है, पूंजी व्यय कम कर दिया है। जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था।

श्री सौरभ सिंह :- महराज जी, अब आप विधायक बन गये हैं, पूर्व मंत्री जी को छोड़ दीजिए। घर में रात को क्यों सपना देख रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, जो प्रजेंट में हैं, उनका भाषण पढ़ो।

श्री शैलेश पाण्डे :- अगर हम पहले की बात करते हैं..।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उनको तो खतरा उन्हीं से है ना। यहां के किसी मंत्री से थोड़ी खतरा है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :-नहीं-नहीं। उनको खतरा उनसे कम है। उनको खतरा यहां से ज्यादा है कि अगली बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ? इस बार तो राजा साहब ने दिला दिया, अगले साल क्या होगा ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शैलेष पाण्डे :- देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने ज्ञान का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो सही बात है उसको बोलना चाहिए मीडिया में हो या चाहे कहीं भी हो। जो सच्चाई है, आप ठीक है कि विपक्ष के हैं, आप विरोध करेंगे, लेकिन..।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय पाण्डे जी वह क्या है कि भाषा बदल जाती है। सीट का दोष है इस सीट में क्या गुण है उधर जाते हैं तो भाषा बदल जाती है और इधर आते हैं तो भाषा बदल जाती है। मंत्री जी की भी भाषा बदल गई। आपकी भी भाषा बदल गई।

श्री संतराम नेताम :- आप भी थोड़ा इधर आ जाईये तो आपकी भी भाषा बदल जाएगी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :-हमारे मरकाम जी, पीसी.सी. चीफ को पूछ लीजिए, उनकी कितनी भाषा बदली है? (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय पाण्डे जी आप समाप्त करें।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी शुरू ही किया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात जो व्यय की बातें हैं क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण व्यय है आय अपनी जगह पर है, लेकिन व्यय को ध्यान रखना जरूरी है कि पहले सामान्य सेवाओं में जो हमारी ऑडिटेड था उसमें व्यय वर्ष 2018-19 में 568 करोड़ रूपये किया गया। अभी 677 करोड़ रूपये हमारा राजस्व व्यय किया जा रहा है। दूसरा राजकोषीय सेवाओं के लिए पहले 705 करोड़ रूपये था, आज 1247 करोड़ रूपये व्यय है। यदि हम इसी प्रकार से बात करते हैं तो हमारी सरकार जो बहुत सारे व्यय कर रही है वह सभी सही जगह पर कर रही है और यह बात सही है कि हमारा पूंजीगत व्यय 13 हजार करोड़ के आसपास है, लेकिन पहले इनकी सरकार के कार्यकाल में 2 साल पहले की बात करें तो और भी कम हुआ करता था जो आज बाहर ये बात कही जा रही है कि ..।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, तब बजट का साईज भी कम था।

श्री शैलेष पाण्डे :- पहले ये लोग पूंजीगत व्यय ज्यादा करते थे। राजस्व व्यय कम रहता था, ऐसा नहीं है। पूंजीगत व्यय इनकी सरकार में कम ही रहता था। आज जो बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसमें पूंजीगत व्यय पहले दो सालों से तुलना करे या पिछले साल की तुलना करते हैं तो उसके आधार पर देखते हैं तो उसमें काफी अच्छा है और उससे बेहतर किया गया है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय शैलेष जी, आप ध्यान से देखिए कि अमर अग्रवाल टाईप के दिखते हैं या नहीं दिखते हैं ? ये उनसे कम नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- ये दिखते हैं तो इनको भी आबकारी मंत्री बना देंगे क्या?

श्री सौरभ सिंह :- आप इनको आबकारी मंत्री बना दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि ये बजट आधुनिकता और परम्परा का साम्य है यानी जो आधुनिकता की चीजें हैं जैसे कि उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए, खातों में अपडेट करने के लिए जीयो रिफ्रेशिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ उनहोंने यह भी कहा कि परम्परा के बीच में साम्य करेंगे यानी कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर होते हैं जो हमारे नदी, नाले, धरती जंगल, तीज त्यौहार इसको महत्व दिया है।

माननीय सभापति महोदय, कल उन्होंने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है विकास का मॉडल समावेशी है उन्होंने कल समावेशी शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो योजनाएं हैं वह कमजोर लोगों को लाभ दिलाना है, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं जो कर्ज में डूबे हुए किसान हैं जो कुपोषित लोग हैं उनको सहायता करना, ये हमारा लक्ष्य है। आज राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचलों को लेकर शहरी स्लम परिवारों को कुपोषण बीमारियों से प्रतिदिन लड़ते देखा है और उनके लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रीगण, उन्होंने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ क्यों बोला जा रहा है? देखिए, माननीय सभापति महोदय, अपनी-अपनी सोच की बात है मैं यह नहीं कहता हूँ कि आपने जो काम किया, वह गलत था, वह ऐसा अलग था। हमारी सरकार जो काम कर रही है वह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जनता, परम्पराओं को यहां के किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों को हम लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसमें हमारी सरकार बहुत सारा काम आने वाले वर्षों में करने वाली है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है, वह बहुत ही अच्छे प्रावधान है। उन्होंने सार्वजनिक भौम जो प्रणाली है, उसमें अंतर्गत सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो लगभग-लगभग राज्य के 65 लाख, 22 हजार राशनकार्डधारी हैं जिसमें लगभग दो करोड़, 43 लाख जनता रहती है। यानी की उतने लोग हैं 65 लाख परिवार जरूर होंगे, उसके लिए चावल जो प्रदान करने के लिए 3 हजार, 410 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है ये बहुत बड़ी बात है। पहले इतना नहीं देते हैं । आप भी जानते हैं हम सब लोग जानते हैं पहले केवल बी.पी.एल. कार्डधारियों को ही मिलता था आज हम लोग सभी को चावल दे रहे हैं। यह हमारी सोच है। अभी पिछले सत्र में माननीय चन्द्राकर जी ने इस बात को भी कहा था। अगर हेल्थ की बात करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम क्या होती है, कई बार इस प्रकार की बातें सदन में होती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की जो सोच थी, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम केवल एक विचारधारा थी कि हमारे राज्य में हर व्यक्ति का ईलाज अच्छे से होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास ईलाज की सुविधा होनी चाहिए। सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधायें जैसे प्राथमिक उपचार या दवाईयॉ मिलनी हैं, वह हर व्यक्ति को सुगमता से मुफ्त में मिले, यह सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अनुसूचित जाति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बाहुल्य इलाकों में प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण के लिए 171 करोड़ का बजट में प्रावधान है। बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ वितरण क लिए 50 करोड़ का प्रावधान है, हमारे अध्यक्ष मोहन मरकाम जी इस बात को जरूर रखेंगे। इस पर प्रसन्नता जाहिर करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय पाण्डेय जी, 15 मिनट हो गये हैं, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अभी प्रारंभिक में ही हैं, उच्च शिक्षा तरफ आये ही नहीं हैं, जबकि उनको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं। उच्च शिक्षा की तरफ आईये न।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, मैं बडी बाते ले लेता हूं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपये एवं सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, हम कहीं भी जाते हैं, हर व्यक्ति फोन करता है, मैं न जाने कितनी चिट्ठियां बिलासपुर से भेजता हूं और आस-पास क्षेत्र के ग्रामीण लोग भी आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से संजीवनी कोष या अन्य योजनाओं से सहायता लेने के लिए आते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यकत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं, हर बीमारी का इलाज 50 हजार 5 लाख तक में नहीं हो पाता है, कई बीमारियों के इलाज का खर्च 20 लाख से लेकर 50 लाख, 1 करोड़ तक भी पहुंच जाता है, पहली बार ऐसे गंभीर बीमारियों उपचार के लिए 20 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है, इसके लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए बजट में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत सारे शिविर लगाये जा रहे थे तो वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं, अपना ईलाज कराते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर में 17 लाख लोगों का इलाज किया गया है।

सभापति महोदय:- कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, आई.आई.टी., आई.आई.एम. एवं एम्स जैसे संस्थानों में छत्तीसगढ़ के जो बच्चे पढ़ेगे, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने उनके शिक्षण शुल्क को मुफ्त किया है, ऐसे संस्थानों में प्रवेश पाने वाले युवाओं को राहत दी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभायें हैं, यह जरूरी नहीं है कि पैसे वाले घरों की ही प्रतिभायें हों, हो सकता है कि वह गरीब घरों से हों, इसलिए उनको इस प्रकार की सहायता देने से हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

क्षेत्र की प्रतिभाओं को बहुत लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, तीसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय, फिशरीज महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया है, छत्तीसगढ़ में यही चीजें सबसे ज्यादा हैं। इन्हीं चीजों को लेकर रोजगार भी बाजार में उपलब्ध है। इसलिए इन पाठ्यक्रमों में जो हमारे छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्रायें पढ़ेंगे तो नि:संदेह आने वाले समय में इनको रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे और बडे-बड़े इनवेस्टर्स हमारे छत्तीसगढ़ में आयेंगे। अगर हमारे यहां प्रतिभायें होंगी तो वह इस प्रकार के प्लाण्ट लगायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं एक विशेष बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय प्रारंभ की है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात किसानों को किये वादे को पूरा करने की थी। आज कांग्रेस की सरकार है, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को आये हुए लगभग 15 महीने हुए हैं। इसी प्रकार का जनादेश प्रदेश की जनता ने लगभग-लगभग हमको नगरीय निकाय चुनाव, ग्रामीण निकाय चुनाव में भी मिला तो अब हमारी सरकार की जवाबदारी और भी बढ़ जाती है कि जब पूरे प्रदेश की जनता चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहर की हो, उन्होंने हमको चयन किया। इसके लिए सबसे बड़ा रोल छत्तीसगढ़ में किसानों का है, उसमें हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत न्याय करने का निर्णय लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आयेगी और सरकार के प्रति विश्वास जागृत होगा। माननननीय सभापति महोदय, बातें बहुत सारी हैं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जो व्यवस्था की गयी है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय शर्मा जी, मैं श्री मोहन मरकाम जी को एक बात कहना चाहता हूं । माननीय मरकाम जी, ये विरोध क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है कि चूंकि 15 सालों तक आप लोगों ने विरोध किया इसलिये वे आप लोगों का विरोध कर रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- नहीं-नहीं । विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें जो व्यवस्था की गयी है 35 हजार 370 करोड़ रूपये प्रदेश शासन अपने माध्यम से संसाधन जुटायेगी और केंद्र से 48,461 करोड़ रूपये मिलेंगे । माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकार जब संसाधन जुटाती है तो उसका सबसे पहला प्रयास राजस्व

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की चोरी को रोकना होता है । छत्तीसगढ़ में भी एक घटना घटी कि 27 फरवरी को केंद्र के आयकर विभाग ने प्रदेश के 3 अधिकारियों के यहां छापा डाला । एक पूर्व अधिकारी के यहां डाला, एक राजनेता के यहां डाला, कुछ उद्योगपतियों के यहां डाला और जिस दिन यह छापे की कार्यवाही हुई उस दिन आदरणीय मोहन मरकाम जी का सार्वजनिक स्टेटमेंट आया कि हम इस कार्यवाही का स्वागत करते हैं और साथ में यह भी कहा कि इन्होंने 15 सालों में जो कमाया है इस छापे के माध्यम से वह राशि निकलेगी और दूसरे दिन श्री मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में आयकर विभाग के ऑफिस का घेराव करने के लिये कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल गये । मैं आपके माध्यम से चूंकि माननीय मोहन मरकाम जी उपस्थित हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले दिन स्वागत और दूसरे दिन विरोध इसके पीछे क्या कारण है ? माननीय भूपेश बघेल जी ने महाभारत की जो एक कहानी सुनायी थी और महाभारत की कहानी में उन्होंने भीष्म पितामह और द्रौपदी का उल्लेख किया था । जब भीष्म पितामह बाणशैय्या पर पड़े थे और वे पांडवों को उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी के मुख पर मुस्कुराहट थी और जब अर्जुन ने डांटकर पूछा कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो तो उन्होंने कहा कि जब चीरहरण हुआ तब ये मौन बैठे थे तो भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मेरे ऊपर दुर्योधन के अन्न का परदा था । श्री मोहन मरकाम जी के चेहरे पर माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा दिये गये पद का परदा है, उनके द्वारा टिकट दी गयी क्या उसका परदा है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पहले इसी को स्पष्ट करेंगे ।

समय :
3:47 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश सरकार के तीन बड़े नेताओं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया कि इस छापे के माध्यम से केंद्र की सरकार प्रदेश सरकार को अस्थिर करना चाहती है । माननीय रविन्द्र चौबे जी का स्टेटमेंट आया कि यह पूरी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह बजट का सेशन चल रहा है तो बजट पर ही पूरा भाषण केंद्रित रहे । यह कहां, इधर-उधर की बात कर रहे हैं । आप महाभारत में कहां से पहुंच गये ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाभारत का किस्सा सुनाया था उस दिन आप नहीं थे ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- दरअसल श्री शिवरतन जी की मुंह मारने की आदत है जब तक इधर-उधर मुंह नहीं मारेंगे तब तक होता नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का सार्वजनिक बयान आया कि यह कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक है । प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय टी.एस.सिंहदेव जी का स्टेटमेंट आया कि यह कार्यवाही अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने वाली है । मैं आपके माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी से यह पूछना चाहता हूं कि आयकर विभाग ने कार्यवाही की तो यह सरकार अस्थिर कैसे हो जायेगी, वे इसका जवाब दे दें । माननीय टी.एस.सिंहदेव जी यह बता दें कि अधिकारियों का इससे मनोबल कैसे टूटेगा ? और माननीय मोहन मरकाम जी एक दिन स्वागत और दूसरे दिन विरोध, आप सबके सामने कारण जरूर बतायें । दोनों सार्वजनिक स्टेटमेंट आये हैं । माननीय सभापति महोदय, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनते ही स्टेटमेंट आया कि हम सी.बी.आई. को बेन करेंगे । क्या अभी आयकर विभाग को भी बेन करेंगे ? केंद्र सरकार से सहयोग चाहते हैं और आपने जो 2020-21 का जो बजट प्रस्तुत किया है । आपने इसमें 37 हजार करोड़ स्वयं के संसाधन से जुटाए हैं और केन्द्र सरकार आपको 48 हजार करोड़ दे रही है, इसके बाद भी आप केन्द्र का विरोध करते हो । विरोध करने के पहले सोचो तो कि किसके भरोसे आपकी सरकार चल रही है ?

श्री अमरजीत भगत :- आप जो केन्द्रांश की बात कर रहे हैं, यह कोई नई चीज है क्या ? हम जो टैक्स देते हैं उसमें हमारा हिस्सा है । इसमें कोई नई चीज आ रही हो तो उस पर बात करें ।

श्री सौरभ सिंह :- यह जो इंकम टैक्स इकट्ठा होता है उसका हिस्सा भी राज्य में आता है ।

श्री अमरजीत भगत :- जो केन्द्र से आने वाला आवंटन है वह कोई नया काम तो नहीं हो रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अमरजीत जी वरिष्ठ सदस्य हैं वे पान खाकर बोल रहे हैं, पहले वे पान बाहर थूककर आएं अन्यथा मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको प्रताड़ित करें ।

सभापति महोदय :- चलिए, आप अपनी बात जारी रखिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, यह सरकार बार-बार एक ही बात बोलती है कि हमने किसानों के लिए यह किया, हमने किसानों के लिए वह किया । किसानों का 82 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा जो अब तक की रिकार्ड खरीदी है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उस दिन तो माननीय अमरजीत जी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाये थे । सरकार ने 85 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया और इन्होंने स्वयं अपने उत्तर में कहा कि छत्तीसगढ़ में 25 लाख 80 हजार हेक्टेयर रकबे का पंजीयन हुआ है । उस हिसाब से सरकार को 100 लाख मेट्रिक टन धान खरीदना था । इसके बजाय आप 85 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, जिस दिन आपने स्थगन लगाया था, आपको जवाब सुनना था तो आप भाग गए ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको लक्ष्य निर्धारित करना था 100 लाख मेट्रिक टन का लेकिन आपने लक्ष्य निर्धारित किया 85 लाख मेट्रिक टन का । आपके लक्ष्य निर्धारित करने का आधार क्या था ? आपकी नीयत ही नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के सारे किसानों का धान खरीदा जाए ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति जी, धान खरीदी में ऐसा होता है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं । जितना पंजीयन हुआ है, पिछले 15 सालों में ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, यह सरकार बजट की चर्चा में कितनी गंभीर है, सामने पूरा मैदान साफ है ।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तीन हो, ठीक है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- भोजन-पानी चल रहा है लोग भोजन कर रहे हैं, अब खाना खाने और पानी पीने से तो नहीं रोका जा सकता ।

श्री धर्मजीत सिंह :- भोजन सब लोग कर रहे हैं । लेकिन आप देखिए, दो मंत्री थे, अभी एक आ गए, पूरा मंत्रिमंडल गायब है ।

श्री उमेश पटेल :- आप भी जानते हैं पिछली सरकार के कार्यकाल में भी जितना पंजीयन हुआ था उतनी धान खरीदी कभी नहीं हुई । आप भी जानते हैं । जितने रकबे का पंजीयन हुआ है उससे कहीं न कहीं कम धान खरीदी पहले की सरकारों में भी हुई है, अभी भी अगर 100 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य रखते तो 85 इसीलिए रखा गया, क्योंकि ऐसा पिछला रिकार्ड रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, जब 25 लाख 80 हजार रकबे का पंजीयन हुआ तो सरकार जो अपना लक्ष्य निर्धारित करना था, वह किसान के 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित करना था ।

श्री उमेश पटेल :- आप पिछले 15 सालों का रिकार्ड निकालिए, कितना पंजीयन हुआ और कितनी खरीदी हुई है, उसके बाद बात करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, किसानों ने जितना धान लाया, हमने खरीदा ।

सभापति महोदय :- चलिए, आपस में वाद विवाद करने की बात नहीं है । (व्यवधान) कृपया सदस्यों से निवेदन है कि टोकाटाकी न करें । आप अपना भाषण जारी रखिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो फिर इनको बैठाइए आप ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने बोनस देने का कहा था, 300 रूपया बोनस दिया क्या । 2100 समर्थन मूल्य देने से किसने रोका था ? क्या आपको 2500 रूपया दिये जाने पर आपत्ति है । आपने 2500 रूपए में कितना धान बेचा ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- शर्मा जी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन केवल बोलने के लिए ही बोल रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 2 सालों का बोनस देने की घोषणा आप लोगों ने की है, कब देंगे यह बता दीजिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मेरे बोलने के पीछे भाव यह है कि इस सरकार की कभी यह नीयत रही नहीं कि किसान का पूरा धान खरीदना है । ये किसानों के नाम पर केवल बाहर राजनीति करते रहे और किसान को धोखा देने काम किया है, जिसका उदाहरण यह है कि पूरे प्रदेश का किसान धान बेचने के नाम पर भटकता रहा, कभी टोकन के नाम पर, कभी रकबा कम करने के नाम पर तो कभी पात्रता से कम धान खरीदे जाने के कारण । सभापति जी, इनके जनघोषणा पत्र में यह था कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार दो वर्ष का बोनस नहीं दे पाई है, उस बोनस को हम देंगे । इस सरकार का दूसरा बजट आ गया । अभी खूब बोल रहे हैं, राजीव न्याय योजना, राजीव न्याय योजना, अरे भइया, 42 सौ करोड़ वह भी तो आपको देना है । आप उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते और आपने सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से वायदा किया है, वह दो साल की बोनस देने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए तीसरी बड़ी बात आयी। राज्यपाल के अभिभाषण में आया कि हम 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के रकबे को डबल करेंगे। हम 13 लाख हेक्टेयर से 26 लाख हेक्टेयर करेंगे अभी बजट भाषण में आया कि हम वर्ष 2028 तक 13 लाख हेक्टेयर के सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर करेंगे और योजना के बारे में डॉ. साहब ने बहुत विस्तार से रखा है। सिंचाई विभाग का बजट प्रावधान कितना है ? कुल मिलाकर 483 करोड़ रूपये और 483 करोड़ रूपये में ये कितने सिंचाई का रकबा बढ़ा लेंगे? बोधघाट परियोजना के बारे में डॉ. साहब ने बहुत विस्तार से बात रखी है। 483 करोड़ रूपये में कोई नया काम करना तो दूर की बात है, जो वर्तमान में संचालित है, उसे चलाकर देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। किसानों को खाली धोखा और धोखा देने का काम यह सरकार कर रही है। इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। हमारे अजय चन्द्राकर जी कहते हैं नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी पी के रहो मस्त संगवारी। वास्तव में यह पी के रहो मस्त संगवारी की की प्रवृत्ति इसमें चल रही है। बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 19 सौ गौठान का निर्माण कर चुके हैं। 19 सौ गौठान निर्माण के पश्चात् हम गौठान समितियां बनायेंगे और उन गौठान समितियों को 10 हजार रूपये प्रति समिति देंगे और पैरे के व्यवस्था के लिए हम अलग व्यवस्था करेंगे। चौका और बेलन क्रय करने के लिए हम गौठान के लिए व्यवस्था करेंगे और इनका बजट प्रावधान कितना है? 6 करोड़ है। 19 सौ गौठान और 19 गौठान में अगर गौठान समितियां बनती हैं और प्रत्येक गौठान समिति को 10 हजार रूपये प्रतिमाह देने की बात

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

आती है तो खर्च कितना आयेगा ? इन्होंने बजट प्रावधान कितना किया है? आखिर लोगों को धोखा देने का काम यह सरकार क्यों कर रही है? यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- दरअसल क्या है शिवरतन जी, सब बजट को आप कमाने-धमाने के हिसाब से देखते हैं। यह सेवा भाव है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है बिल्कुल सेवा के क्षेत्र में इस बजट का 43 प्रतिशत जा रहा है और वह सेवा के लिए ही जा रहा है। उसमें पी.सी.एम. भी है और उसमें आर.जी.डी. भी है। इसी प्रकार की सेवा है उस 43 प्रतिशत में। आप बोलेंगे तो बहुत ही स्पष्ट नाम लेकर बोल सकता हूं कि कहां कैसे वसूली हो रही है? छत्तीसगढ़ की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और जहां 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है, वहां ग्रामीण विकास का इन्होंने बजट घटा दिया। पहले 6 प्रतिशत था, उसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। मुख्यमंत्री सड़क योजना पिछले बजट में आयी थी, उसमें एक भी काम शुरू नहीं हुआ। ग्राम गौरवपथ ऊंट के मुंह में जीरा की तरह था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री सड़क के टेंडर में देश में पहली बार लगा है कि जो टेंडर भरेगा तो पैसा आने पर भुगतान किया जायेगा। यह टेंडर के नार्म्स में था। ऐसा टेंडर हिन्दुस्तान में आज तक कहीं नहीं लगा है।

श्री अमरजीत भगत :- पैसा आयेगा, तभी तो मिलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री सड़क योजना लगभग बंद सी स्थिति में है। ग्राम गौरवपथ लगभग बंद सी स्थिति में है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की जरूर उपलब्धि बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा आ कहां से रहा है? पूरी फंडिंग केन्द्र सरकार की है। आवास एवं शहरी विकास के लिए इनका बजट 5 प्रतिशत का है। आज आपकी स्थिति यह हो गई है कि चाहे शहर में प्रधानमंत्री आवास बनाना हो, चाहे गांवों में प्रधानमंत्री आवास बनाने के काम की बात हो, उसमें आप राज्यांश भी देने की स्थिति में नहीं हो, जिस मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर था, उसमें हम इस सरकार की लापरवाही के चलते घोर वित्तीय कुप्रबंधन के चलते हम पिछड़ चुके हैं और यह नुकसान पूरे छत्तीसगढ़ का है और उसके लिए यदि कोई जवाबदार है तो आपकी सरकार है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। माननीय सभापति जी, सबसे बड़ी राशि इस बजट में कहीं प्रावधानित की गई है, तो वह प्रावधान है कि हमने जो ऋण लिया है, उसका ब्याज और ऋण अदायगी के लिए है। वह लगभग 7 प्रतिशत है। उधार लो, उधार लेकर घी पीओ। यह काम आपकी सरकार कर रही है। आप छत्तीसगढ़ को दिवालियां की स्थिति में पहुंचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, इस देश में छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है, जो 2500 रूपये धान की कीमत दे रहा है। तो उधारी तो लेना पड़ेगा ही।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि उधार लेकर घी पीओ और उधार के पैसे में कमीशन खाओ। माननीय सभापति जी, यह इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है।

श्री उमेश पटेल :- शिव भैय्या, मैं कमीशन वाली बात पर एक ही चीज कहूंगा कि आपके सामने डॉ. रमन सिंह जी बैठे हैं, रायगढ़ में इन्होंने क्या कहा था उसका भी एक बार उल्लेख कर दीजये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, नये स्कूल खोलने, स्कूल के उन्नयन की बात आदरणीय डॉक्टर साहब ने रखी। ये स्कूल में अहाता निर्माण का काम नहीं करेंगे। ये नये स्कूल उन्नयन का काम नहीं करेंगे। पर शराब भट्ठी में अहाता खोलने का काम जरूर करेंगे। इनके जन घोषणा-पत्र में था कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। जो पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाले लोग थे, वे शराब के व्यवसाय से कैसे इनकम बढ़े, इसका टारगेट फिक्स करने में लगे हुए हैं।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, हमने घोषणा-पत्र के 26 बिन्दुओं में कार्य क्रियान्वित कर दिया है। अभी चार साल बचा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- शराब के व्यवसाय की स्थिति यह हो गई है कि आप किसी भी शराब की दुकान में चले जायें या किसी को भेज दें, क्वाटर में 10 रूपये रेट ज्यादा लिया जा रहा है। हर शराब की दुकान में ..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- शर्मा जी, आप कौन-कौन सी दुकान में जाते हैं, आप कौन सी दुकान में लाईन लगाते हो ?

सभापति महोदय :- शर्मा जी, चलिये आप अपनी बात पर आ जाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्वाटर में 10 रूपया रेट ज्यादा लिया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब की इतनी अधिक डुप्लीकेट आ रही है कि पीने वाला गाली देते हुए आता है कि झुनझुनी घलो नहीं आवत हे। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, भाटापारा क्षेत्र में कोई विशेष टैक्स लगता होगा, उसका ले रहे होंगे, इधर नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इस सदन में चर्चा हुई। मैं पहले भी विधान सभा में चर्चा में बोल चुका हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि शराब चढ़ नहीं रही है तो इसकी जांच करवानी चाहिए।

सभापति महोदय :- अभी स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो जनता के साथ अन्याय है, पीने वाले के साथ अन्याय है। वे असंगठित क्षेत्र में आते हैं।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, जल्दी समाप्त करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- बस 5 मिनट में। माननीय सभापति जी, अभी दो दिन पहले मेरा भी विधान सभा में प्रश्न था और सदस्यों का भी विधान सभा में प्रश्न था। विधान सभा प्रश्न के जवाब में आया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शराब की बिक्री कम हो गई है। अभी 2 चुनाव निपटे हैं। नगर पालिक और पंचायत का चुनाव निपटा है। सारे लोग जानते हैं कि नगर पालिक और पंचायत के चुनाव में कितनी शराब बिकी है और उसके बाद आन रिकार्ड शराब की बिक्री कम हो गई है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी की चोरी हो रही है। एक परमिट में दो बार, तीन बार शराब, शराब की दुकान में पहुंच रही है। शराब के दुकानों में दो कैश बाक्स रखे जा रहे हैं। एक कैश बाक्स में एक नंबर का हिसाब रखा जाता है और दूसरे कैश बाक्स में, शराब दुकानों में एक कोर्ड वर्ड चलता है पी.सी.एम., जो अवैध शराब का पैसा होता है, उस कैश बाक्स में जमा होता है। रोज शाम को इनके अधिकारी, इनके लोग जाकर कलेक्शन करते हैं। शराब की बिक्री कम हुई है, यह इस बात को सिद्ध करती है कि आप दो नंबर की शराब बेच रहे हैं। माननीय सभापति जी, शराब के ऊपर इन लोगों ने कार्रवाई भी की। बहुत सी जगह अवैध शराब पकड़ी भी गई और क्या बोला गया कि मध्यप्रदेश से अवैध शराब आई है, उसको हमने पकड़ी।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, अगर सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ रही है, शराब दुकान बंद हो रही है, खपत कम हो रहा है तो इनको खुश होना चाहिए, जो पहले मांग कर रहे थे । वैसे भी विधान सभा अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यहां पर शराब पर ज्यादा चर्चा न करें, पर इनके भाषण का आधे से ज्यादा हिस्सा शराब पर रहता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अवैध शराब पकड़ते हैं, कोचिए पर कार्यवाही होती है, पर कभी कोचिये को दबाव डालकर नहीं पूछा गया कि उसको शराब देने वाला कौन है, ऐसा कौन शराब उत्पादक है, जो इनको शराब सप्लाई कर रहा है । उसके खिलाफ यह सरकार कार्यवाही नहीं करती क्योंकि उन शराब उत्पादकों से इनका कमीशन बंधा हुआ है, जो डिस्टलरी के मालिक हैं । इसलिए ये उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते ।

माननीय सभापति जी, सरकार के जन-घोषणा पत्र में एक बड़ा विषय था कि हम दैनिक वेतन भोगियों और संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे । बड़ी जोरदार घोषणा किए कि हम 16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर रहे हैं, जिन्होंने दो साल पूरा कर लिया है । उसके पहले 1 लाख, 31 हजार शिक्षाकर्मियों को हमारी सरकार, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार नियमित कर चुकी है। आप तो उसका 5 परसेंट भी नहीं कर पा रहे हो, उनको नियमित करने की बात कर रहे हैं । आपके जन घोषणा-पत्र में दैनिक वेतन भोगियों को, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात थी, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप मौन क्यों बैठे हो, उसके लिए बजट भाषण में या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने कोई उल्लेख क्यों नहीं किया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके कार्यकाल के समय में शिक्षाकर्मियों को मार पड़ी थी, डंडे से मारा गया था ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, 23 सालों के संघर्ष के बाद उनको न्याय मिला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मियों को धोखा देने वाली कोई सरकार है तो यह भूपेश बघेल की सरकार है । आपने कहा था कि प्रत्येक ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेंगे । आपकी सरकार को बने हुए 15 महीने हो गए हैं और कोण्डागांव में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हुई है । उसकी स्थापना के लिए आपने प्रावधान किया है । 15 महीने में एक हुआ तो 146 ब्लॉक में स्थापित करने में कितना समय लगेगा, यह बताईए अमरजीत जी ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, शिवरतन जी, आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । आपने इतना लंबा-लंबा फेंककर आपने 15 साल राज किया और क्या-क्या है, सुन लीजिए । आप बोलते थे कि डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल निकलेगा बाड़ी से । एक बूंद तो नहीं निकला और जब हम लोग कुछ कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में एक तरफा कांग्रेस आ गई, पंचायत चुनाव में एक तरफा कांग्रेस आ गई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, यही तो दुर्भाग्यजनक है । ये सरकार कर कुछ नहीं रही है, गा ज्यादा रही है । कुछ करने के बाद गाते तो समझ में आता ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, समाप्त करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गाने का काम कर रहे हैं । इनकी बड़ी जोरदार घोषणा थी, वह घोषणा पेंशनधारियों के लिए थी कि हम पेंशन की राशि बढ़ाएंगे । उस पेंशन की राशि का क्या हुआ, जरा बता दें । आपने पेंशन की कितनी राशि बढ़ा दी ? आपने बजट में 450 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, पर जन घोषणा-पत्र में आपने 1000 और 1500 रूपए देने की बात की थी तो क्या आने वाले 1 अप्रैल से आप देंगे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति जी, अभी साढ़े तीन साल है, 14 महीने के लिए घोषणा नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, उसके लिए आपने व्यवस्था की है? खाली किसानों को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है । मैं आपके जन-घोषणा पत्र को साथ लेकर आया हूं । आप लोगों के पास नहीं है, पर मुझे यह पूरा याद हो गया है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति जी, आप को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, आप उस घोषणा-पत्र को बढ़िया से पढ़िए, कभी-कभी आप उस घोषणा-पत्र को पलट लिए होते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय उमेश जी बैठे हैं । 10 लाख बेरोजगार युवकों को 2500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी । उमेश जी, पंजीकृत बेरोजगार तो लगभग 28

लाख हैं, पर आपकी घोषणा 10 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की है । आप 10 हजार बेरोजगार युवकों को दे पाए क्या, जरा बता दीजिए । क्या प्रावधान हुआ, यह बता दीजिए या उनको भी गुरूवा में गोबर सेतने के लिए लगाओगे, यह बता दो ।

माननीय सभापति जी, गढ़ कलेवा की बात हो चुकी है । हमारे मुख्यमंत्री जी भौंरा, गेड़ी, सोटा, सोटा खाने को ही छत्तीसगढ़ का विकास समझते हैं और उनको लगता है कि सही मायने में मैं गेड़ी चढ़ लेता हूं, भौंरा चला लेता हूं, सोटा खा लेता हूं तो मैं ही छत्तीसगढ़िया हूं । मैं तो इस सदन में चुनौती देता हूं, इन सारे मामले में वे मेरे से ही प्रतियोगिता कर लें चाहे गेड़ी चढ़ने में हो, चाहे सोटा खाने में हो, चाहे भौंरा चलाने में हो...।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, अब बात समाप्त करिये ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आर्शीवाद तो आपको मिला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ की भावनाओं के साथ यह सरकार ...।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, अब अपनी बात समाप्त करिये । मोहन मरकाम जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, विकास के लिए इस सरकार ने 1 लाख 2 हजार करोड़ के बजट में आप पूंजीगत व्यय के लिए 13,814 करोड़ रूपये की व्यवस्था कर रहे हो यानी कुल 14 प्रतिशत की व्यस्था है । छत्तीसगढ़ को आप विकास की दृष्टि से पूरे देश में पीछे करना चाहते हो । आपका फालतू खर्च बंद होना चाहिये । आपका पूरा ध्यान प्रदेश के विकास के लिए केन्द्रित होना चाहिये । माननीय सभापति जी, दुर्भाग्य से दो वर्ष का बजट हो गया है । विकास की दृष्टि से यह बजट पूरी तरह से शून्य रहा है ।

सभापति महोदय :- कृपया आप समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, महिला स्व-सहायता समूह, का पूरा ऋण माफ करेंगे । मोहन मरकाम जी, जरा अपने भाषण में बता देना, कितने का ऋण माफ किये हैं, जरा बता देना ? चिटफंड में डूबे पैसे को वापस करेंगे ? कितने का पैसा वापस किये, जरा बता देना । माननीय सभापति जी, यह सरकार ऐसी सरकार है, जिसके वर्ष 2019 में मार्च के महीने में सारे ट्रेजरी का सर्वर डाऊन हो गया और लगातार 20 दिन सर्वर डाऊन रहा । अब फिर मार्च का महीना आ गया है । संसदीय कार्य मंत्री जी बता देना, कब सर्वर डाऊन होने वाला है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र चौबे) :- सभापति जी, आपने उनको आखिरी एक मिनट कहा, चुनाव घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जन घोषणा पत्र में अपनी बात कह रहे हैं, अब आधा मिनट में बजट में भी आ जाये, बोल दीजिए ना ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, चलिये आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इस सरकार की स्थिति यह नहीं है कि सरकार ठेकेदारों का बिल पेमेंट कर सके । इस सरकार की स्थिति यह नहीं है कि अपनी देनदारियों को चुका सके । इसके लिए पिछले बार भी सर्वर डाउन का नाटक कर चुके हैं । इस वर्ष भी सर्वर डाऊन करेंगे । जहां तक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बता दूं, मैंने अपना पूरा भाषण बजट पर ही केन्द्रित रखा है । आपके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, आपके सरकार के कुर्कमों को उजागर कर रहा हूँ । आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- मोहन मरकाम जी ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मरकाम जी, आपका भाषण ...(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-2021 के बजट को सभी वर्गों ने सराहा है और कैट सी.जी. चैप्टर में भी बजट को संतुलित बताया है । माननीय सभापति जी, अधोसंरचना और ग्रामीण विकास से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा । हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आधार पर चल रही है । छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की गाढ़ी कमाई का राजस्व इकट्ठा हुआ है, एक-एक पैसे का उपयोग, इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता की भलाई के लिए विभिन्न कार्यों में किया जायेगा । माननीय सभापति जी, आज हमारी सरकार ने जो योजना बनाई है, विकास का मॉडल, समावेशी विकास बनाया है । हमारे छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता का कैसे विकास हो, उसके लिए योजनायें बनाई है, हमारी सरकार की योजनाओं का मॉडल, योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के कमजोर व्यक्ति तक मिले, यह हमारी सरकार की योजना है । सभापति महोदय, हमारी सरकार की जो योजना है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 20 वर्षों बाद जो विकास नहीं हो पाया है, जो विकास से छूटे हैं, उनका विकास करना है । तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, 15 साल के शासनकाल में 12 वर्ष तक वित्त मंत्री के रूप में रहे हैं । उन्होंने दो-तीन बातों का विशेष ख्याल किया । एफ.आर.बी.एम. की बात की गई, 3 प्रतिशत फिजिकल डिफिशियेट यानी की फिजिकल रिसपांसिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट जिसे एफ.आर.बी.एम. कहते हैं, जब वर्ष 2003 तक हमारी सरकार रही है, छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी खजाने में लगभग 600 करोड़ रूपये हुआ करते थे । 15 साल बाद जब हम सरकार में आये, लगभग 45 हजार करोड़ रूपये इस सरकार ने कर्ज में डूबो दिया । माननीय शिवरतन शर्मा जी, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि 45 हजार करोड कर्ज चढ़ाकर, आप लोग उधार लेकर जो घी पी रहे थे, मलाई खा रहे थे उसी का परिणाम है आज 14 सीटों में सिमट गए। आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी रायगढ़ में क्या कहते थे कि एक साल कमीशन खाना छोड़ दो 20 साल तक राज करो मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको बख्शा नहीं और आप 14 सीटों में आकर सिमट गए। ये है कर्ज लेकर मलाई खाने वाले। आज रिस्पांसिबिलिटी की बात होती है, जो 15 साल सरकार में रहे, उनके ऊपर

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

क्या रिस्पांसिबिलिटी थी जो 45 हजार करोड़ रूपये इस छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर कर्ज के बोझ तले दबा दिया? हमको तो सरकार में आने के बाद 45 हजार करोड़ कर्ज से राज शुरू करना पड़ा और आज हमारी सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। आज हमारी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति के लिए कार्य कर रही है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारी सरकार ग्राम स्वराज योजना के तहत योजनाएं बना रही है और लगातार उसके लिए काम कर रही है। आप लोग नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की लगातार खिल्ली उड़ाते हैं। कल तक आप लोगों की जो योजनाएं बनती थीं कि लंदन से न खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। आपने 15 साल राज किया और लगभग 400 करोड़ रूपये खर्च किया लेकिन शिवरतन शर्मा जी, अजय चन्द्राकर जी कहां डीजल मिल रहा है? आपकी योजनाएं कहां गईं? आज धरातल में कहीं दिखती हैं? हमारी सरकार की योजनाओं की नीति आयोग तारीफ कर रहा है। हमारी सरकार की योजनाओं की सात समंदर पार संयुक्त राष्ट्र संघ तारीफ कर रहा है। हमारी सरकार की योजनाओं की हावर्ड युनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं तारीफ कर रहे हैं। आज विश्व में जो हाहाकार मचा है, चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, प्राकृतिक संतुलन की बात होती है, हमारी सरकार की योजनाएं आज ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संतुलन को बनाने में बहुत ही कारगत साबित होगी और हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। रिजर्व बैंक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 78 प्रतिशत खर्च करने वाला देश का प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। यह कहीं न कहीं हम सब छत्तीसगढ़वासियों के लिए गर्व की बात है। वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.08 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया था परंतु अद्यतन प्रस्तुत त्वरित अनुमान के अनुसार 7.06 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। आज पूरे देश में मंदी का दौर है मगर छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां, योजनाएं आम जनता को कैसे मिले इस दिशा में होने के कारण आज परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। हम देखते थे कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब जी.एस.डी.पी. की बात होती है तो वर्ष 2012-13 में 5 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में 1.177 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में 2.69 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 7.95 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 5.2 प्रतिशत है। हमारी सरकार जो कि ह 14 महीने की सरकार है वह लगातार योजनाओं के कारण आम जनता को कैसे लाभ मिले उसके लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2018-19 में प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 4 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 3 लाख 29 हजार करोड़ रूपये होने का अनुमानित है। विगत वर्ष में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 96887 की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 98281 रूपये होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष की तुलना में 6.35 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय बजट में राज्य के लिए अनुमानित केन्द्रीय करों में कमी आई है। माननीय सभापति जी, जो जी.एस.टी. की बात करते हैं, जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति लगभग 14 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को मिलना था, वह भी नहीं मिला है। लगभग एक हजार करोड़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रूपये जो जी.एस.टी. केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिलना था, वह भी हमें नहीं मिला है। जो बात आती है, छत्तीसगढ़ को जो राज्यांश मिलता है, वह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, केन्द्र सरकार कोई हमको मुफ्त में या गिफ्ट नहीं दे रही है। हमारा अधिकार है। राज्यांश को जो हिस्सा केन्द्र से मिलना है, वह हमको मिलना है। आज राज्य सरकार की नीतियों एवं प्रयासों से राज्य के स्वयं के संसाधन हमारे छत्तीसगढ़ के संसाधनों से 11 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के बजट में जो 15 सालों तक मलाई खाये, आज छत्तीसगढ़ में लगभग 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण है और लगभग 41 प्रतिशत एनीमिक माताएं हैं। मगर जो 15 साल तक मलाई खाये, जो बजट को दुरूपयोग किये हैं, हमारी सरकार ने कोई व्यक्ति नहीं, समावेशी विकास कैसी हो, सभी लोगों का विकास कैसे हो, उसके लिये छत्तीसगढ़ के संसाधन का, छत्तीसगढ़ के बजट का लगातार प्रयास कर रही है। लगातार प्रयास कर रही है, एक नई परिकल्पना के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। माननीय सभापति जी, नई पीढ़ी का निर्माण कैसे हो ? छत्तीसगढ़ की दो करोड़ 80 लाख जनता की भलाई कैसे हो ? विकास कैसे हो, उसके लिये सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, इसलिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। योजनाओं के माध्यम से 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कैसे दूर हों, उसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उसके साथ-साथ सार्वभौम पी.डी.एस. का वितरण प्रणाली राज्य में लगभग 65 लाख 22 हजार राशन कार्डधारियों को 3,410 करोड़ रूपये उसके लिये प्रावधान किया गया है। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलो चना के लिये 171 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उसके साथ-साथ दो किलो गुड़ के लिये 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति जी, आज जो बातें आ रही है, कहीं न कहीं आज हमारी सरकार की नीतियां लगातार काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे जिले में कोण्डागांव में आयरन एवं विटामिन युक्त फर्टिफाइड चावल वितरण के लिये 5 करोड़ 80 लाख रूपये प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अभियान के लिये अब तक लगभग 4 लाख हितग्राही इस अभियान से लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की गयी है। इसके लिये नवीन मद में 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति जी, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, लगभग 37 प्रतिशत गरीबी थी। जब 15 साल तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज 2019 में जो गरीबी के आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 44 प्रतिशत आज गरीबी है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष जी, कुछ नया चीज बताओ न ये तो पढ़ लिये हैं। इसको पढ़ लिये हैं, कुछ नया चीज बताओ ना।

श्री मोहन मरकाम :- कहीं ना कहीं पंद्रह साल जिस ढंग से इन्होंने बजट का बंदरबाट किया। कंबल दाह के घी खा रहे थे। आज उसी का परिणाम है। नगरीय निकाय में हमने 10 के 10 नगर

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

निगम जीते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 146 जनपद पंचायतों में हमने 111 में जीते हैं और 27 जिला पंचायतों में 20 से अधिक जिला पंचायतों में जीता है। आज 15 साल राज करने के बाद किस मुंह से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की योजनाओं का विरोध कर रही है। माननीय सभापति जी, कल तक ये भगवान राम के नाम से राजनीति करते थे, राम नाम जपना, पराया माल अपना। मगर हमारी सरकार आने के बाद भगवान राम के पदचिन्हों पर भी चलने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य पूज्य गुरू घासीदास की पुण्यभूमि है। जो इस छत्तीसगढ़ की जनता को मइनखे-मइनखे एक समान, सबको एक समान चलने की दिशा दी। आज छत्तीसगढ़ राज्य पूज्य संत कबीर की भूमि है। जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने सीखाया। छत्तीसगढ़ में भगवान रामचंद जी लगभग 12 वर्षों तक वनवास काटे। कल तक भगवान राम के नाम से राजनीति करते थे हमारी सरकार ने भगवान रामचन्द्र जी जिस रास्ते से गुजरे थे, इस बजट में राम वन गमन पर्यटन परिपथ में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है आज जो बातें आ रही है स्वास्थ्य के मामले में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है जितने भी राशनकार्डधारी हैं उनको भी जो बी.पी.एल., ए.पी.एल. परिवार के हैं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में उनको 5 लाख रूपये तक राशन कार्ड से फ्री में इलाज करने की व्यवस्था की है जो अमीर व्यक्ति हैं, उनको 50 हजार तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जायेगी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जो गंभीर बीमारियों के उपचार पर 20 लाख रूपये तक के व्यय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे छत्तीसगढ़ के होनहार बच्चे जो लगातार पढ़ना चाहते हैं आई.आई.टी., आई.आई.एम. एवं एम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं के शिक्षण शुल्क का भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। हमारी सरकार ने उनके खर्च को वहन करने का निर्णय लिया है। 12 वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी नि:शुल्क शिक्षा देने में शिक्षण शुल्क का भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। कहीं न कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की नीतियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। सत्ता का विकेन्द्रीयकरण। हमारी सरकार सत्ता का विकेन्द्रीयकरण कैसे हो, गांवों तक हमारी शासन की योजना का लाभ मूलभूत सुविधाएं कैसे मिले, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों की मांग पर विचार करते हुए राज्य में 704 नई पंचायतों का गठन हमारी सरकार ने किया है। राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत राशि देने संबंधी तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा मान्य की गई है पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा सरकार से पैसा कैसे मिले ? उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है।

असंशोधित/मुद्रणार्थ के लिए नहीं

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी, कृपया संक्षेप करेंगे। बहुत सारे वक्ताओं के नाम बाकी हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय :- आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन मरकाम जी 10 मिनट में बता देंगे कि आप दो सालों का बोनस कब देंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज जो नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी की बात है। आज जो नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिए 20 हजार, 810 काम स्वीकृत किये गये हैं। 1 हजार, 900 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और घुरूवा का उपयोग कर 3 लाख, 16 हजार मैट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन किया गया है। आदरणीय शर्मा जी, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आप पिछली बार हमेशा कहते थे कि उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट में इस योजना के तहत 1 हजार, 603 करोड़ का प्रावधान किया गया है रही बात नरवा और तीनों योजनाएं हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के लिए लगातार हमारी योजनाएं बन रही हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप उसे ठीक से पढ़ लीजिए।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात कहिए।

श्री मोहन मरकाम :- आदरणीय वरिष्ठ सदस्य शिवरतन शर्मा जी आयकर छापे के बारे में कह रहे थे। मैं उसका भी जवाब देता हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष जहां लगभग 36 हजार करोड़ के नान घोटाले होते हैं और जब सरकार एस.आई.टी. जांच करती है जो आपने छोटी मछलियों को तो पकड़ा है, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए एस.आई.टी. गठित होती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- 15 महीने में एस.आई.टी. का क्या हुआ, पहले ये बताईये। 15 महीने में आपकी एस.आई.टी. क्या कर रही है, केवल एस.आई.टी. गठित कर रहे हो। कुछ परिणाम आया हो तो आप बता दीजिए। केवल एस.आई.टी. गठित करने में एक्सपर्ट बन गये हो।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- ये बड़ी मछली को खोज रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार एस.आई.टी. का गठन करती है और नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट में एस.आई.टी. की जांच को रोकने के लिए याचिका दायर करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 15 सालों तक जो सुपर सी.एम. रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार जांच करना चाहती है जो बड़े-बड़े लोग थे, जो करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार किये थे उनके ऊपर जांच करना चाहती है जांच को प्रभावित करने के लिए जो केन्द्र सरकार माननीय मोदी साहब उस सी.बी.आई. और इनकम टैक्स तोता को छोड़ देते हैं ताकि यहां की सरकार को डरा सकें। यहां की सरकार डरने वाली नहीं

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

है। यहां की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। जिस तोता को आपने छोड़ा था, वह तोता यहां चार दिन तक जांच किया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चुहिया भी नहीं निकली, आप लोग कह रहे थे कि एक हजार करोड़ निकलेगा, 100 करोड़ नगद निकलेगा, कितना निकला? पांच दिन बाद भी इनकम टैक्स अधिकारी यह नहीं बता पाये कि किसके यहां से कितना माल जब्ती हुआ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- मोहन भैया, पेपर में आया है कि सवा करोड़ खर्च हो गया और ढाई करोड़ मिला है।

श्री मोहन मरकाम :- हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आप जांच करिये न। जो 36 हजार करोड़ रुपये का नान घोटाला किये, उनके यहां छापे क्यों नहीं पड़े?

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले दिन स्वागत और दूसरे दिन विरोध क्यों किया?

श्री मोहन मरकाम :- हमारे अंतागढ़ के प्रत्याशी को 7 करोड़ में खरीदते हैं, उस तत्कालीन मंत्री के घर में छापा क्यों नहीं पड़ता है? जो 15 साल मलाई खाये, उनके घर में छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? हम तो चाहते हैं, मैंने तो शुरू दिन से वही कहा है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वह तो मलाई पच गई।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मेरा तो शुरू दिन से ही वही कहना है कि जो 15 साल मलाई, खीर खाये हैं, उनके घरों में छापा क्यों नहीं पड़ रहा है ? हम भी तो वही मांग कर रहे हैं न। हमें 14 महीना जुम्मा-जुम्मा सरकार में आये हुए हैं।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- बदलापुर की राजनीति।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार को 14 महीने में बदनाम करने की आपकी कुत्सित नीयत कभी साफ नहीं होती। 2018 से चुनाव देख लीजिए, कल तक कहते थे कि माननीय मोदी जी की पूरे देश में लहर है, आज वह लहर कहॉ गई ? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र सब जगह तो हार गये। क्या स्थिति है, आज देख लीजिए।

सभापति महोदय :- मोहन मरकाम जी, कृपया समाप्त करेंगे। माननीय केशव प्रसाद चन्द्रा जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। शासकीय विभागों को स्वसहायता समूह के द्वारा उत्पादित सामग्री क्रय करने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा मजदूरी, पेंशन एवं अन्य बैंकिंग सुविधा ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए बीसी सखी की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 400 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण, शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे मिले, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। 100 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर तक मितान के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना हेतु बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आम जनता

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

को सीधे-सीधे शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। माननीय सभापति महोदय, आज जो बातें होती हैं, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारी सरकार योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रही है, यह उसी का परिणाम है। जो घोषणा पत्र की बात कर रहे थे। आपने जर्सी गाय देने की बात कही थी, आपने कितने लोगों को जर्सी गाय दी ? आउटसोर्सिंग के माध्यम ये आपने यहां के युवाओं का अधिकार छीना, 3 हजार स्कूलों को बंद किया, आदर्श विद्यालयों को डी.ए.व्ही. को दे दिया। मोबाईल वितरण किया, यह आपका अंतिम अस्त्र भी काम नहीं आया। लोगों को ठगने काम किया।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मरकाम जी, 2 साल के बोनस के बारे में बता दीजिए, बाकी बजट पढ़ लिये हैं।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, यह उसी का परिणाम है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी को दूसरे प्रदेशों के लोग यहां सुनने आते हैं, हावर्ड के लोग यहां की सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल सरकार की विभिन्न नीतियॉ, योजनाओं का जो बजट में प्रावधान किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। यह बजट छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तमंत्री की हैसियत से वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय सभापति महोदय, जब हम लोग छोटे-छोटे बच्चे थे तो गांव में डमरू लेकर तमाशा दिखाने वाले आते थे और डम-डम डमरू बजाते थे और हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, डमरू बजाकर तमाशा दिखाते थे ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अभी भी दिखाते हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- श्री चंद्रा साहब इसीलिये डर के मारे हाथी में चढ़कर आये हैं । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, तमाशा दिखाते थे और 10 पैसे का डमरू 10 रूपये में बेचकर चले जाते थे । माननीय सभापति महोदय, यह सरकार का जो बजट है यह भी केवल वह डमरू बजाने वाले, तमाशा दिखाने वाले जैसा ही है । केवल एक कागज का पुलिंदा है, इस बजट में केवल रूपयों का आंकड़ा भर है।

श्री कवासी लखमा :- क्या आपको बोनस नहीं लेना है ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मैं बोनस का आपसे पूछ रहा हूं कि आपने 2 साल के बोनस की घोषणा की वह कब देंगे, उसे आप बता दीजिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- पहले वालों से भी पूछ लीजिये कि बोनस क्यों नहीं दिये थे ।

सभापति महोदय :- आप उनके विभागों के बारे में बोल लीजिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, यह तो केवल एक कागज का पुलिंदा है । माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बार आया हूं । सरकार चाहे पहले इनकी रही हो या इनकी रही हो । बजट जो यहां प्रस्तुत होता है, एक अनुमान लगाते हैं कि हमारी इतनी आय होगी, इतना व्यय होगा लेकिन जब साल के अंत होते तक जाते हैं तो बजट कहीं भी शत-प्रतिशत लागू नहीं होता । सरकार ने कुछ चीजों पर निश्चित रूप से बजट में अच्छा प्रावधान किया है । चाहे किसानों के लिये जो घोषणा की थी कि हम राशि देंगे, वह राजीव गांधी न्याय योजना के तहत् जो प्रावधान किये हैं अंतर की राशि किसानों को देने की घोषणा किये हैं । मरकाम जी मैं इसके लिये आपकी सरकार को धन्यवाद दे देता हूं, आप बाद में मत बोलिएगा कि धन्यवाद नहीं दिया है । मैं छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की ओर से आपको धन्यवाद दे देता हूं । आपने शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया । एक बहुप्रतीक्षित मांग थी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है । 500 रूपये की तन्ख्वाह से शुरूआत की और आज संघर्ष की बदौलत इस छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उसको न्याय मिला इसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है । निश्चित रूप से सरकार का बजट थोड़ा सा किसानों की तरफ गया है । चाहे सिंचाई की बात करें, किसान को कैसे राहत मिल सके लेकिन उसके साथ ही साथ किसान का जो उत्पादन है उसका उससे उसे कैसे सही मूल्य मिले इस पर भी सरकार की चिंता होनी चाहिए । आज पूरे प्रदेश का मुद्दा धान बन गया है । अगर हम समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं तो हमको 2500 रूपये मिल रहे हैं लेकिन अगर हम बाजार में बेच रहे हैं तो हमको केवल 1200 रूपये क्विंटल मिल रहा है और ले-देकर टोटल आंकलन करें तो पहले जो बेचते थे उससे हम नुकसान पर हैं । माननीय सभापति महोदय, बाकी फसलों की भी यही हालत है। अगर धान छोड़कर हम दलहन-तिलहन की ओर जा रहे हैं तो किसानों के पास उसका बाजार नहीं है । अगर धान छोड़कर हम बागवानी की ओर जा रहे हैं तो किसानों के लिये उसका भी बाजार नहीं है । अगर धान छोड़कर हम उद्यानों की ओर जा रहे हैं तो किसानों के लिये उसका भी बाजार नहीं है । अगर धान छोड़कर हम उद्यान की ओर जा रहे हैं तो वहां भी किसानों के लिये बाजार नहीं है तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आप विपुल उत्पादन की बात कर रहे हैं, हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, उनको समृद्ध बना रहे हैं । किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो इसके लिये चाहे सरकार इनकी हो, चाहे सरकार आपकी हो । निश्चित रूप से हर समय प्रयास हुआ है लेकिन इसके साथ ही साथ उनके उत्पादन का सही दाम मिले, सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, आप भी एक किसान हैं और किसानों की पीड़ा केवल किसान ही समझ सकता है । जब वे फसल तैयार करके अपनी सब्जी को बाजार में बेचने के लिये जाता है और लागत कीमत भी नहीं मिलती है और सड़क में फेंककर आता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाथी छाप, यहां केवल 3 ही किसान बैठते हैं, 2 बैठे हैं और 1 चले गए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सड़क पर फेंकने की पीड़ा किसानों को ही मालूम है । इस बजट के बारे में हमारे सभी सम्मानित साथियों ने कहा है । सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने कर्ज माफ किया । लेकिन कर्ज माफी की क्या स्थिति है, आपने केवल यहां पर आंकड़ा रख दिया कि हमने इतने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, सेवा सहकारी समितियों के कर्जदारों का कर्ज आपने माफ किया लेकिन क्या आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिए गए कर्ज को माफ किया ? ग्रामीण बैंको में आज भी किसानों की 20 प्रतिशत राशि नहीं पहुंची है । किसानों के पास वसूली की नोटिस आ रही है । मैं हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि पुरानी कहावत है, सांप ला मरहा मत छोड़, पूरा मार दे, नइ तो खतरा होही । आप 80 परसेंट दे देंगे और 20 परसेंट नहीं देंगे, वही आपके लिए सिरदर्द हो जाएगा । आप किसान की राहत की बात करते हैं । 19 लाख 50 हजार किसानों का पंजीयन किया और धान कितने किसानों का खरीदा ? यदि आपकी नीयत साफ है तो बाकी किसानों का धान आपने क्यों नहीं खरीदा ? आपने 83 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने की बात की, क्या हो जाता अगर आप पूरे 100 लाख मेट्रिक टन धान खरीद लेते । पैसा आप धान बेचकर तो नहीं दे रहे हो, अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हो । किसान का ही पैसा है, छत्तीसगढ़ की जनता का ही पैसा है, उन्हीं के टैक्स का पैसा है । आपके घर का पैसा नहीं है । लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है । नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, आपने तो शुरू से ही कोशिश की कि हम किसानों को परेशान करें और पहली बार किसान के घर पर आपके अधिकारियों का छापा पड़ा । मैं आपकी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, पहले भी सरकारें चलती थीं तो नौकरशाहों के भरोसे चलती थी और आज भी सरकार उन्हीं के भरोसे चल रही है । माननीय चन्द्राकर जी बीच-बीच में सही बोलते हैं कि आप उनसे चिट्ठा-विट्ठा मत लो । किसान के प्रति यदि आपकी सहानुभूति है तो सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में आपका बजट किसानों पर होना चाहिए । आप ही ने तो घोषणा की थी कि यह सरकार आपको 2 साल का बोनस नहीं दे रही है, हम आपको दो साल का बोनस भी देंगे, 2500 के पहले तो आपको 2-3 साल के रूके हुए बोनस का प्रावधान करना चाहिए था । लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है और कितनी घोषणाएं, यहां आंदोलन करने वाले तमाम व्यक्तियों, चाहे शिक्षा कर्मी हों, चाहे विद्या मितान हों, चाहे कोटवार हों, चाहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हों, अनियमित कर्मचारी हों, संविदा कर्मचारी हों, सभी के पास पूर्व के नेता प्रतिपक्ष की एक चिट्ठी गई है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे । सभी चिट्ठियों को वे फोटो कॉपी करके बांट रहे हैं, अपनी फाइल में सजाकर रखे हैं, लेकिन आप उनका समाधान नहीं कर रहे हैं, आप

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं । उनके लिए बजट प्रावधान करना चाहिए, वे गरीब पेंशनधारी, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं ऐसे लोगों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी, बजट में लेते तो कितना खर्च आ जाता । लेकिन आपने ऐसे लोगों का काम भी नहीं किया । सभापति महोदय, संतराम नेताम जी मुझे निर्देश दे रहे हैं कि रसोइयों के बारे में भी बोल दीजिए । क्योंकि वे बोल नहीं पाएंगे, उनकी भाषा बदल गई है । ये कुर्सी का खेल है ।

सभापति महोदय :- चलिए, उनकी बात आप बोल दीजिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपने रसोइयों के बारे में भी घोषणा की थी । उनका भी घर परिवार है, एक रसोइया को आप कितना देते हैं । ऐसे तमाम लोगों की चिंता सरकार को करना चाहिए । सभापति महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों के जाल में नहीं जाउंगा । केवल व्यवहारिक चीजों के विषय में बोलूंगा । योजनाएं सभी सरकारों की अच्छी हैं, पहले की भी सरकार ने योजनाएं बनाई थीं, उन योजनाओं में कोई कमी नहीं थी, आज आप आए हैं सरकार में, आपकी योजनाएं भी बढ़िया हैं, लेकिन आप लागू कितने शत-प्रतिशत कर रहे हैं? कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं? कितने भ्रष्टाचार से दूर होकर कर रहे हैं ? आपके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी आपके निर्देश का कितना पालन कर रहे हैं ? इस पर निर्भर है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मजदूर, गरीब, किसान को आपकी योजना का कितना लाभ मिलेगा?

सभापति महोदय :- चन्द्रा जी संक्षिप्त में करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- 5 मिनट में।

सभापति महोदय :- 2 मिनट बाद समाप्त करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कृषि मंत्री जी को एक उदाहरण भी बताया था। ये ड्रीप पर अनुदान दे रहे हैं और ड्रीप पर जो अनुदान दे रहे हैं जितना सरकार से अनुदान मिलता है और जितना किसान अपने हिस्से की राशि लगाता है, अगर उसी पैसे को लेकर हम बाजार में जायें तो उससे बेहतर कंपनी का ड्रीप हमें मिल जाता है तो सरकार का अनुदान कहां जाता है?सरकार का अनुदान उस किसान को तो नहीं मिलता। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है। वे अनुदान दे रहे हैं अच्छी चीज है। किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन यह केवल भ्रष्टाचार में मत रहे, बल्कि यह शत-प्रतिशत किसान तक पहुंचे, ऐसी योजना आपको बनानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इधर के सभी सदस्यों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल के लिए आप कमीशनखोरी बंद कर दो तो क्या 14 महीने में आपने कमीशनखोरी बंद कर दी?

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- चालू ही नहीं है तो बंद कहां से होगा?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आपके प्रशासन के अधिकारी बिना लेन-देन करके गरीब आदमी किसान का काम रहे हैं? एक गरीब आदमी का बिजली बिल भी गलत आता है तो बिजली ऑफिस जाता है तो बिना खर्चे के उसका बिजली बिल भी नहीं सुधरता। एक किसान अपने जमीन के नक्शा, खसरा, बी-1 के

असम्पादित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए तहसील कार्यालय जाता है, पटवारी के पास जाता है तो बिना लेन-देन के उसे नक्शा, खसरा, बी-1 नहीं मिलता। यह स्थिति आज प्रदेश की है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- और जब भी कोई बात आये तो 15 साल की बात। 15 साल तक आपने क्या किया? उसे भूल जाइए। देश की आजादी के बाद से तो 15 साल के पहले तक केवल आपकी सरकार थी। जरा 15 साल के पहले की भी आप अपनी स्थिति बता दें। आजादी के बाद इस देश में और अगर इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर सत्ता में कोई काबिज रहा तो केवल आपका दल रहा। इसलिए आप केवल 15 साल को बहाना बनाकर या 15 साल की बुराई करके आप अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर आज भ्रष्टाचार का यह जड़ इस प्रदेश में फैल रहा है तो मैं तो यह कहूंगा कि यह आपकी देन है। मैं अंतिम दो मिनट बोलकर बंद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि शराब के बारे में आप ज्यादा मत बोलें, लेकिन सभापति महोदय, आदमी सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह अपनी प्रवृत्ति नहीं भूल सकता है तो यह हमारी प्रवृत्ति हैं। हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं। जब से इस सदन में आये हैं तो सदन में भी विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले कि आप चखना दुकान खोल रहे हैं। चखना दुकान के लिए मकान बना रहे हो। अब उन्होंने शराब बेचने के लिए मकान बनाया। रातों-रात मकान खड़ी हो गई। अगर कोई गांव वाले विरोध किये तो पूरा पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, पूरी ताकत लगाकर वहां पर खड़े होकर डण्डा मार-मारकर रातों-रात मकान खड़ा कर दिये। अब इनके पदचिन्हों पर ये चल रहे हैं। अब शराब मुफ्त में क्यों बेचे? बगल में एक और मकान बना दो। चखना दुकान खोल दो। किसान को बोनस दे रहे हैं तो ये अपने बच्चों को मत पढ़ा सकें।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अपने घर के लिए उपयोग मत कर सकें और शराब के साथ चखना दुकान में भी खर्च कर दें। माननीय सभापति महोदय, यह सामाजिक बुराई है। शराब से आय क्या हो रही है? शराब से नुकसान क्या हो रहा है? यह तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज समाज की जो व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। यह बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सरकार ने जो घोषणा की और शराबबंदी के नाम पर इन्होंने जो सरकार बनायी, उस पर इन्हें अमल करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय :- बहुत सारे नये माननीय सदस्यों के इसमें नाम है। मैं नये सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बजट भाषण में इस बात का प्रयास जरूर करें कि जिन बातों को वरिष्ठ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लोगों ने पहले कह दिया, उसकी पुनरावृत्ति न हो और अपने विधान सभा क्षेत्र की उपलब्धियों को जरूर इसमें बतायें। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह राज्य के लिए एक संजीवनी बजट है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने एक व्यवस्था दी है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कोई भी मंत्री सुनकर घोषणा तैयार करने की स्थिति में नहीं है। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री ने हाऊस में घोषणा कर दे तो उनका अता-पता नहीं है। चूंकि बात करना है इसलिए लोग तो इधर-उधर की ही बात करेंगे।

सभापति महोदय :- मैंने निवेदन यह किया कि नये सदस्य अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपलब्धियां आई हैं, यहां उन बातों की चर्चा जरूर करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, जिनके विधानसभा क्षेत्रों में कोई उपलब्धि न हो तो ...(हंसी)

सभापति महोदय :- जो कमियां हैं, उनका चर्चा के माध्यम से उजागर करें। मगर मूल बात यह है कि शब्दों की पुनरावृत्ति न हो। जो बातें सदन में कही जा चुकी है, उन्हें रिपीट न करें।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह वह राज्य के लिए संजीवनी है। क्योंकि संविधान के भाग-4 राज्य में इस मार्ग पर चलने के लिए बताया गया है। यह बजट उसी के अनुरूप चल रहा है। क्योंकि बजट में परम्परा के साथ आधुनिकता का समावेश किया गया है। जल, जंगल, जमीन, महिलाएं, कृषि सभी के हितों का ख्याल रखा गया है। मैं बजट के समर्थन में अपनी विचार रखूंगी।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले राज्य को स्वस्थ्य मानव संसाधन की आवश्यकता है। चाहे जितना भी विकास कर लें, यदि मानव संसाधन स्वस्थ नहीं है, तन और मन स्वस्थ नहीं है, तब तक उसकी क्षमता का पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में इसका पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए दूरदराज जंगलों तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक हाट बाजार योजना, शहरी स्लम योजना और सुपोषण योजना के माध्यम से इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। मैं अपने क्षेत्र में देखती हूं तो दूरदराज के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज वे लोग इस योजना से बहुत खुश हैं। मेरे पास बड़ी-बड़ी गंभीर बीमारियां लेकर आते हैं। लेकिन अभी महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 5 स्वास्थ्य योजनाएं चालू की हैं। वह राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना थी कि मानव संसाधन स्वस्थ रहे, मानव संसाधन अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके, यह बिलकुल सार्थक साबित हो रहा है, एकदम यर्थाथ है। दूसरी ओर आर्थिक विकास का दर भी 6 प्रतिशत के आगे है। गरीबी दूर करने के लिए जो योजनाएं

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लागू की गई है। किसानों का ऋण माफ किया गया, भले ही विपक्षी दल के लोग चिल्लाते हैं कि माफ नहीं किया गया, माफ नहीं किया गया, लेकिन जो मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, उसके अनुसार सभी का ऋण माफ किया गया है और मेरे क्षेत्र की पूरी जनता खुश है कि उनका कर्ज माफ हुआ है। उनको धान का कीमत भी मिला है। न्याय योजना के तहत भी उनको पैसा मिलेगा। इसलिए काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री जी के बजट से चुनाव में जो परिणाम आया, वह परिणाम भी बिलकुल हमारी मंशा के अनुरूप है। तो ये जो योजनाएं हैं, वह बहुत सार्थक साबित हो रही है। आर्थिक मजबूती के लिए गन्ने के रस एवं चावल से इथेनाल का जो प्लान बनाया गया है, वह भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि हमारे राज्य में गन्ने का उत्पादन है। चावल का बहुत ज्यादा उत्पादन है। यदि इस ओर केन्द्र सरकार अनुमति देती है और कार्य इस ओर क्रियान्वित होता है तो निश्चित रूप से किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों के घर की गरीबी दूर होगी। वे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, उन्होंने जो सपना अपने बच्चों के बारे में देखा है, वे उसको पूरा कर सकेंगे।

समय :
4:55 बजे **(अध्यक्ष महोय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

मानननीय सभापति महोदय, युवाओं के विकास के लिए भी जो राजीव मितान योजना लागू की गई है, वह भी बहुत यथार्थ है क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है । बच्चों को, युवाओं को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए संसाधन की बहुत जरूरत है । जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हर युवा समिति मांग करती है कि हमें क्रिकेट के लिए, कबड्डी के लिए सहायता दो और बड़ी स्वस्थ्य परम्परा के साथ यह कार्य चलता है । ऐसी स्थिति में यदि उनके व्यक्तित्व विकास के लिए राजीव मितान योजना के तहत काम होता है तो हमारे युवा वर्ग के मन में सकारात्मक विचार आएंगे और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कृषि और पशु पालन योजना के तहत देखेंगे तो नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना एकदम यथार्थ है । मैं यह कहना चाहती हूं कि नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी का विकास अभी नहीं किया जाएगा तो क्या 50 साल बाद किया जायेगा ? ग्रामीण अर्थव्यवथा के लिए बहुत जरूरी है, किसानों की मजबूती इसी में है क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए जैविक खाद होना भी बहुत जरूरी है । उसी तरह से गायें शहरों में आकर घूमती थीं, सड़क में आकर घूमती थीं, उसको नियंत्रित करना जरूरी था, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार गोठान में जाकर देखिए, गोठान में कितनी सारी समस्याएं हैं । अगर उसको सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करेंगे और उसके लिए प्रतिमाह 10 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जा रहा है, वह बहुत ही अच्छी बात है । उसी तरह सिंचाई योजना के लिए नरवा योजना के तहत मेरा क्षेत्र बांध, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ विधान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभा क्षेत्र है और सोंढूर जो बहुत अस्त-व्यस्त हो गया था, पानी ज्यादा दूर तक जा नहीं पा रहा था, उसको मुख्यमंत्री जी ने आदेश देकर जो बजट प्रावधानित किया, उसके अनुसार उसकी क्षमता बढ़ायी गई है । उसी तरह सिंचाई का रकबा बढ़ना चाहिए क्योंकि 15 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे नाले-नरवे टूटे हुए थे। मैं जिधर भी जाती हूं, सब टूटा-फूटा दिखता है । स्टामडेम भी टूटा-फूटा दिखता है, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की जो सिंचाई योजना है, उसको यदि दूरूस्त किया जा रहा है तो इसमें आलोचना करने की बात नहीं होनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी तरह सिकलीन के लिए जो बजट दिया गया है, मैं समझती हूं कि यह बहुत मानवीयता का काम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे समाज में सिकलीन की समस्या है । बेचारे जीवन भर दवाई खाते हैं और यदि उनके ईलाज के लिए कार्य किया जा रहा है, वह भी बहुत ही सराहनीय है। उसी तरह से आदिवासियों के लिए नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें देश विदेश के लोग भाग लिए थे, यह संस्कृति का आदान-प्रदान बहुत बड़ी मिशाल है, जिसके कारण जन जातीय वर्ग एक दूसरे को समझें । मैं बहुत सारी बातें कहना चाहती हूं, लेकिन जो भी प्रावधान है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, वह बहुत ही सार्थक है, बहुत ही उपयोगी है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आवश्यक है क्योंकि चुनाव के पहले जिस तरह से हर वर्ग के लोग आन्दोलन कर रहे थे, कर वर्ग के लोग हताश थे, निराश थे, उदास थे कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको रेग्युलर करेगी या नहीं, उनकी मांगू पूरी होगी या नहीं, यह अविश्वास का वातावरण था, उसको विश्वास में बदलने का काम और छत्तीसगढ़ के लोगों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वह बहुत ही अकल्पनीय है, बहुत ही यथार्थ ढंग से छत्तीसगढ़ के लोगों के मन की बात को समझा है और उनके मन के अनुरूप काम कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ की जनता खुश है और बजट एक संजीवनी का काम कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

डॉ. रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-21 के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके पक्ष में भी और विरोध में भी बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । जैसा कि मेरा नाम है-जोगी तो हिन्दी में एक कहावत है कि "मांगे मिले न मोती, मांगे मिले न भीख"।

अध्यक्ष महोदय :- "और घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध भी" तो है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुन: एक बार इस सदन में अपनी ओर से धन्यवाद दूंगी क्योंकि उन्होंने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाया है, उसमें गौरेला और पेंड्रा मेरे विधान सभा क्षेत्र का अंग है। तीसरा, आपके और जोगी जी के क्षेत्र का । इसके साथ ही विधायकों से भी यह कहना चाहूंगी कि यद्यपि 14 वर्षों से यहीं बैठी हूँ, मतलब विपक्ष में ही, भगवान की भी कृपा होती है । एक कहावत हिन्दी की और है कि "सौ सुनार की, एक लोहार की" । मैं इस पूरे बजट में धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा सब को मिला ही होगा,

असंशोधित/प्रेक्षण के लिए नहीं

सत्ता पक्ष वाले हैं, पर जो मुझे जिले की सौगात मिली है, वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैंने जीवनकाल में कभी कल्पना नहीं की थी, यह मुझे प्राप्त होगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है भाभी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाटापारा और मनेन्द्रगढ़ को भी जिला बनाने की बात की थी । इसमें कोई षडयंत्र थोड़ी है ?

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, बधाई दिये हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी को वह बधाई दे रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाटापारा को जिला बनाने की बात कर चुके हैं । मैं पूछ रहा हूँ कि आपको निपटाने के लिए षड़यंत्र थोड़ी है ? उस पर आप विचार करो ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- देखिये, जो षड़यंत्र जो होना था, हो गया ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाभी जी ने आज सच्चाई स्वीकार कर ली । जो षड़यंत्र होना था, वह हो गया । यह इनके चक्कर में वहां रह गये, नहीं तो वह यहां होते । इनका षड़यंत्र सब गड़बड़ हो गया ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- अब यहां पर अन्य विभाग के माननीय मंत्रीगण बैठे हैं । अपने क्षेत्र की बातें जो अधूरी रह गई है, संक्षेप में मांग रखना चाहूंगी। जैसा कि मेरा नाम है जोगी, काम है मांगना । माननीय रवीन्द्र चौबे जी बैठे हैं, ईश्वर की कृपा से मेरे क्षेत्र में पानी पर्याप्त है । मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, "नरवा, गरूवा घुरवा, बाड़ी" पानी की यदि कहीं प्रचण्ड बाहुल्य है, अरपा नदी से लेकर, नर्मदा, सोन, टीपान नदी और अन्य नदियों के बहुत से उद्‌गम स्थल हैं, ढ़ेरों नाले हैं, दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरपा भैंसाझार परियोजना, जो प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, यह 11 अरब 40 लाख की परियोजना है, वह विगत 8 सालों से बन ही रही है, पता नहीं कितने वर्ष और लगेंगे ? कृपया आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, अरपा भैंसाझार के अलावा, केंदा डायवर्सन, सोनकछार बांध, रेनकोटा जलाशय, औरापानी बांध, सौरा बांध आदि, अन्य भी सारे काम विगत पांच से सात वर्ष से अधूरे पड़े हैं। कृषि भी आपका विभाग है, लालपुर और पदगंवा में आपके विभाग की दो अच्छी नर्सरी है, मरवाही उतनी अच्छी नहीं है, उसे कृपया विकसित कीजिए, ताकि जामवन्त योजना जो पुरानी सरकार के द्वारा स्वीकृत हुई थी, ईश्वर की कृपा से भालुओं का आतंक मेरे क्षेत्र में तो नहीं है, पर मरवाही में बहुत ज्यादा है, हाथियों का भी प्रकोप शुरू हुआ है, फलदार वृक्ष अधिक से अधिक मात्रा में लगायें । वहां से कटहल, जामुन, मुनगा, आदि चीजें ट्रेन के द्वारा दिल्ली तक जाती है । किसानों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो, इस विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का वहां पर पकरिया में 2000 एकड़ में पशु प्रजनन केन्द्र है, गाय हैं, उन्नत किस्म की बकरियां हैं, मेरा आपसे निवेदन है और जानकारी भी सदन को देना चाहूंगी कि पूरे देश में जयपुर में प्रायवेट वेटेनरी कॉलेज खुला उसके बाद अभी माननीय कमलनाथ जी ने इंदौर में करीब 50 एकड़ जमीन 10-11 लाख

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रूपये में दी है कि वहां पर भी एक प्रायवेट वेटनरी कॉलेज खोला जाए। मैंने हर बार निवेदन किया कि पकरिया में भी प्रेक्टिकल करने के लिए पूरे राज्य से लोग वहां प्रशिक्षण लेने आते हैं क्योंकि वह प्रजनन केन्द्र है तो वहां के लोग एक प्रायवेट वेटनरी कालेज खोलने के लिए इच्छुक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। जब राज्य बना तो डॉक्टरों की खासकर बस्तर और सरगुजा अंचल में बहुत कमी थी और वहीं से डॉक्टरों के लिए पहला त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उसकी पूरी योजना कांग्रेस सरकार में ही शुरू हुई और मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़ते हुए चूंकि इसे प्रायवेट संस्थाएं चलायेंगी, तो पुन: उस कोर्स को प्रारंभ किया जाए ताकि हमारे यहां बस्तर, सरगुजा और अन्य आदिवासी अंचलों में कुपोषण और स्वास्थ्य की अन्य जो समस्यायें हैं उसका निदान हो सके। इससे न केवल हमारे युवकों को रोजगार का एक अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या का भी निदान होगा क्योंकि जीवनभर मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में ही कार्य किया है इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक समझती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रतनपुर, अमरकंटक एक धार्मिक स्थल हैं। यदि रतनपुर, अमरकंटक और अचानकमार टाईगर रिजर्व जो कि मेरे सामने बैठे हमारे विधायक दल के नेता माननीय धर्मजीत सिंह जी का इलाका है उसे एक सर्किट बना लिया जाए तो जो पर्यटक आते हैं वह रतनपुर में दर्शन करते हैं या अमरकंटक आते हैं तो वहां दो-तीन दिन का एक अच्छा सर्किट बन सकता है। यह शासन के साथ प्रायवेट पार्टनरशिप में यदि माननीय मंत्री जी प्रारंभ करें तो अच्छा होगा। हमारे क्षेत्र की राजस्व सीमा का मेरे क्षेत्र में बड़ा विवाद है। यह विशेषकर अमरकंटक क्षेत्र में है और केंवची तक मेरा क्षेत्र है, अतरिया तक माननीय धर्मजीत सिंह जी का क्षेत्र है और बीच के 4-5 किलोमीटर नो मैन्स लैंड के समान है। राजस्व मंत्री तो नहीं दिख रहे हैं पर वहां व्यापक अराजकता का माहौल रहता है क्योंकि वह न तो मुंगेली में आता है और न ही बिलासपुर में आता है। यानि वह 5 किलोमीटर वन का जो क्षेत्र है तो वहां कोई लकड़ी काट रहा है तो कोई शिकार कर रहा है और उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने कोटा जो कि बड़ा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र का नाम भी है उसकी दो-तीन मांगों के संबंध में कहना चाहूंगी। ए.डी.बी. की रोड विगत दो-तीन साल से बन रही है, अच्छी भी बन रही है पर कोटा शहर के बीच से जो रोड बना रहे हैं कुछ विवाद के कारण ठेकेदार ने लगभग छ: महीने से काम बंद कर दिया। पूरी रोड खुदी हुई है और वहां पर लोगों को धूल और पूरा उबड़खाबड़ खुदा होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है तो कृपया उसे पूर्ण करा दें। कोटा के पास कई जलाशय हैं, घोंघा जलाशय है, अरपा भैंसाझार है पर वहां जल आवर्धन योजना नहीं है। मेरे चार नगर पंचायत क्षेत्रों में से अन्य नगर पंचायत क्षेत्र पेंड्रा, गौरेला, रतनपुर वहां स्वीकृत है पर कोटा ही एक नगर पंचायत है, जिस नाम से मेरी विधानसभा है वहां जल आवर्धन योजना का शुभारंभ यदि अगले बजट में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। रतनपुर धार्मिक स्थल है और किन्हीं कारणों से महामाया देवी के दर्शन के लिए तो लोग आते ही हैं पर वहां की मछली बहुत स्वादिस्ट है क्योंकि वहां 159 तालाब हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मछली।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- मछली स्वादिष्ट है।

अध्यक्ष महोदय :- पाबदा, मछली वहां ज्यादा फेमस है।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- जी-जी। सब तरह की मछलियां हैं और स्वादिष्ट भी है। तो लोग उसे कहीं की भी मछली हो, रतनपुर की मछली है, कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी, वहां की सब पाबदा मछली खत्म कर दिये हैं। (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- अच्छा, पर 6 सालों से उन तालाबों का किसी कारणवश मत्स्य विभाग के...।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं तो कल मंगवा दूंगा, पर मेरे को यह पता तो चले कि कई आने के बाद बोलते हैं कि नहीं खायेंगे। अध्यक्ष जी, पाबदा मछली खुड़िया में बेहतरीन होती है। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, मुख्यमंत्री जी नहीं खायेंगे, मैं नहीं खाऊंगा। बाकी लोगों को देख लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- पंडित जी तो विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्जित करा दिये हैं। अध्यक्ष जी, तो आखिर अब लायें तो लायें किसके लिये ? बाकी हम खाने के लिये बाहर तो अपना इंतजाम खुद ही कर लेते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- बाकी हम लोगों ने क्या कभी मना किया है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, आपसे तो इंतजाम हो ही जायेगा न। अभी-अभी थोड़ी देर पहले ही इंतजाम की चर्चा हुई है।

श्री देवेन्द्र यादव :- अमरजीत भैया के दफ्तर में बैठकर खा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- रतनपुर में 159 तालाब हैं। मत्स्य विभाग के निरीक्षक और वहां के नगरपालिका अध्यक्ष या अन्य सी.एम.ओ. किन्हीं कारणवश, मैं कारण में नहीं जाना चाहूंगी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो वहां की मछुआरा सोसायटी है, उसका आबंटन हो ताकि वह अपना जीविकोपार्जन भी कर सके और वहां की मछलिया भी लोगों तक पहुंच सके। यह भी कहना चाहूंगी कि रतनपुर इतना प्रसिद्ध है, नगरीय प्रशासन मंत्री जी हैं, वहां मुक्तिधाम नहीं बना है। लोग मंदिर के पीछे खुले जगह में पांच छै एकड़ आबंटित है, मुक्तिधाम के लिये वहां एक रूपये की राशि आज तक नहीं दी गयी है। संस्कृति मंत्री भी उनके बगल में है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- रतनपुर में मुक्तिधाम के लिये बोल रही है। रतनपुर में मुक्तिधाम नहीं है, मंदिर के किनारे खुले में जलाया जाता है, तो उसके लिये आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- धर्मजीत भैया, वैसे भी रतनपुर जाबे त तुरंत मुक्ति मिल जथे । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- जो जलाने वाले मुक्तिधाम हैं, उसको बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, भाभी जी जब मांगेंगी मिल जायेगी, उसके लिये क्या दिक्कत है ?

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- आप तो वहां भी थे। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। महिला होने के नाते बहुत चर्चा होती है कि हमारे स्कूल, कॉलेजों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाने वाली है, लगाई गयी है, पर वस्तुस्थिति क्या है। मैं समझती हूं, मेरे क्षेत्र में तो मुझे कहीं पर नहीं दिखती है। उससे स्व सहायता समूह वालों को भी एक रोजगार का अवसर मिलेगा। चर्चा बहुत होती है, पर पूरे प्रदेश में उसकी आवश्यकता भी है। मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा है, शायद दंतेवाड़ा में उस पर काम किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वे चाहें तो पूरे सब जगह दे सकती हैं।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- जी, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अंत में यह बताते हुए कि जो हमारे राज्य में पेंशन मिल रही है, वह पूरे प्रदेश में सबसे कम है। इस बजट में अगर प्रावधान नहीं हुआ है, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन या निराश्रृत पेंशन, क्योंकि अगले सत्र में कम से कम जो 350 रूपये की राशि है, उसे कम से कम एक हजार रूपये कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू। सौरभ सिंह जी। अधिकतम 10 मिनट।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाये गये अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। 5.32 प्रतिशत का सकल घेरलू उत्पाद बताया गया है। पिछले आठ साल का जो एवरेज है, वह 5.58 प्रतिशत है। माने हम एवरेज से नीचे हैं। जब हम एवरेज से नीचे चल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आयी, इस सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिये हमारे पास नुख्स हैं। आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिये वे क्या नुख्स हैं ? ये जो एवरेज ग्रोथ रेट, यह भारत की एवरेज ग्रोथ रेट है। पूरा देश इसी ग्रोथ रेट में ग्रो कर रहा है तो कहां से आप आर्थिक मंदी से बाहर आ रहे हैं? अगर आर्थिक मंदी है तो उसके लिए क्या नुस्खे हैं ? इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष की तुलना में 6.35 प्रतिशत अधिक है उसमें अगर 5.32 प्रतिशत का जो जी.डी.पी. का नेचुरल ग्रोथ है, उसको घटा दें तो एक्स्ट्रा ऑडिनरी ग्रोथ

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

कितने प्रतिशत है ? एक प्रतिशत है। क्या आय बढ़ गई? नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी के मॉडल का क्या हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सकल घरेलू उत्पाद का कैल्कुलेशन किया गया है वह वर्ष 2011-12 के रेटों पर कैल्कुलेशन किया गया है और केन्द्र सरकार जो कैल्कुलेशन करती है वह वर्ष 2014-15 के रेट पर कैल्कुलेशन कर रही है तो अगर हम वर्ष 2014-15 के रेट पर कैल्कुलेशन करेंगे तो आपकी जी.डी.पी. की ग्रोथ और नीचे आ जाएगी। इस कैल्कुलेशन को देखने की बात है। ये आंकड़े की बाजीगरी है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- कभी आप मोदी जी को ये बात नहीं समझाते हो।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अमरजीत जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझिये। वर्ष 2014-15 के हिसाब से केन्द्र सरकार अपने ग्रोथ को कैल्कुलेट करती है, आपने वर्ष 2011-12 के रेट पर कैल्कुलेट किया है। उस समय रेट कम था। वर्ष वर्ष 2014-15 में..।

श्री अमरजीत भगत :- यही बात दिल्ली वालों को समझाईये।

श्री सौरभ सिंह :- मुझे दिल्ली वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। आपको समझाने की जरूरत है। आप सेक्रेटरी साहब से पूछ लीजिएगा कि क्या है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पीछे का रेट बढ़ेगा। आपने समय कम किया है तो मैं समय के हिसाब से चलना चाहता हूँ तो ये कैल्कुलेशन गड़बड़ है और इस कैल्कुलेशन को सुधारने की आवश्यकता है अगर ये कैल्कुलेशन सुधरेगा तो उसके बाद जो रेट के कैल्कुलेशन है जो आर्थिक ग्रोथ के कैल्कुलेशन है वह कैल्कुलेशन सुधरेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमने सेक्टर के ग्रोथ की बात की है तो पिछले साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 18.10 थी, वह इस साल 16.81 आ रही है तो हम एग्रीकल्चर में पीछे आ रहे हैं तो नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी कहां गया ? जब एग्रीकल्चर का शेयर कम होते जा रहा है सर्विसेस सेक्टर का शेयर बढ़ा है ये पूरे भारत में हो रहा है तो कोई हम अलग सिस्टम में नहीं चल रहे हैं। पूरे भारत में सर्विसेस सेक्टर बढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर पीछे हट रहे हैं तो हम कोई नयी चीज नहीं कर रहे हैं तो इस योजना का क्या हुआ ? हम विकास दर की बात कर रहे थे। हम ग्रोथ की बात कर रहे थे। मैं पिछले साल यही से भाषण दिया था और इसी मांग पर मैंने भाषण दिया था और मैंने कहा था कि जिस तरह का बजटीय एलोकेशन है इसमें ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है। वह आ रहा है। हमारे साथ झारखण्ड राज्य बना, उनका ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत है। उत्तराखंड 6.87, पश्चिम बंगाल का ग्रोथ रेट 12 प्रतिशत है आंध्रप्रदेश 11 प्रतिशत, बिहार 10 प्रतिशत में है और तेलांगाना 10 प्रतिशत में है उड़ीसा साढ़े 8 प्रतिशत में है हम कहां है ? मध्यप्रदेश भी साढ़े 7 प्रतिशत में है। हम कहां की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं ? और जब ग्रोथ नहीं आएगा तो जब ग्रोथ का कैल्कुलेशन नहीं होगा तो फिर पैसा नहीं आएगा और जब पैसा नहीं आएगा तो

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

फिर कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जा लेकर उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। जब कर्जा लेंगे तो कर्जा लेने के लिए फिर कर्जा की पूर्ति करनी पड़ेगी।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो पूरा आंकड़ा आया है। जितना सरकार का राजस्व है लगभग सरकार उतना खर्चा कर देती है और उस खर्चे के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजीकृत व्यय लगभग साढ़े 14 प्रतिशत है। उस साढ़े 14 प्रतिशत के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, जो अतिरिक्त खर्च हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर्जा लेकर खर्च कर रहे हैं तो क्या होता है जो राजस्व का पैसा है जो सैलरी, पेंशन देनी है, वह तो देनी है। वह तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते और उसके बाद जब पैसा राजस्व में नहीं आता। जब जनवरी, फरवरी, मार्च होता है तो फिर कटौती कहां होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कटौती होती है। चलिये, इस योजना को अगले साल देखेंगे। इसके विकास को अगले साल देखेंगे। इस सड़क की स्वीकृति न दी जाये। इस काम को रोका जाये तो अंत में कैपिटल एक्सपेंडिचर मार खाता है। वित्त सचिव जी के परिपत्र में आया है कि वर्ष 2030-31 तक जो सिर्फ पेंशन है हमको इस प्रदेश में वह लगभग साढ़े 29 हजार करोड़ रूपये बांटना पड़ेगा। पिछले 5 सालों में हर साल वेतन और पेंशन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सारा पैसा तो वेतन और पेंशन में जा रहा है तो रोड़, सड़क, बिजली, स्कूल, कॉलेज के लिए कहां से पैसा आएगा? 38.28 प्रतिशत पेंशन और सैलेरी का राजस्व व्यय है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सौरभ जी, ये जो आप पिछला बता रहे हैं, ये बात सही है। ये सब उसमें चला गया। वह पिछला है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में मत जोड़ियेगा, मेरे को बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, आप ही को बोलने के लिए समय दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सकल घरेलू उत्पादन में राजकोषीय घाटे की बात हो रही है, हमने 3.31 प्रतिशत अनुमानित किया था, ये बजट का अनुमान था और जो संधोधित अनुमान है वह 6.41 प्रतिशत का है, दोगुने चले गये। एफ.आर.बी.एम. एक्ट जिसकी बात माननीय मोहन मरकाम जी कर रहे थे, वह 3 प्रतिशत बोलता है। हम कहॉ चले? हम उससे दोगुने पर चले गये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बजट पेश हुआ है, वह अगले यह 9 प्रतिशत पर जायेगा। यह फिजिकल डेसिसिट है। हम जब फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, केन्द्र सरकार जब 4 प्रतिशत के नीचे में फिजिकल डेफिसिट चलती है तो वहां बहुत शोर मचता है। हम किस फिजिकल डेफिसिट पर जा रहे हैं, यह चिंता का बिन्दु है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में 10,682 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज और कर्ज की जो किस्त है, उसको देने के लिए है, यह 38 प्रतिशत ब्याज का ऊपर है। राजस्व प्राप्ति का 7 प्रतिशत पैसा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगभग ब्याज पर खर्च कर रहे हैं। जो हमारा इंट्रेस्ट पेमेन्ट था, वह इंट्रेस्ट पेमेन्ट में करीब-करीब 1 हजार रुपया हमने इसमें एक्स्ट्रा पेमेन्ट किया है जो पुनरीक्षित था और उसके इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जो पैसा हमारे पास आयेगा, जो आयेगा, उसी को खर्चा करेंगे और जो बीच का बचेगा, उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा, सीधा गणित है। 42 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का राजस्व है और 58 प्रतिशत केन्द्र सरकार से आ रहा है। सेन्ट्रल से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे के ऊपर हमारी जबरदस्त निर्भरता है।

श्री अमरजीत भगत :- रमन सिंह जी जो भाषण पढ़ रहे थे, क्या यह वही वाली प्रति है?

अध्यक्ष महोदय :- वही है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बोल रहा हूं। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बोलेंगे। हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू में हम 83 हजार करोड़ रुपये में रूके हुए हैं। वह हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए माईनिंग, एक्साईज, स्टाम्प ड्यूटी इन सब चीजों पर क्या व्यवस्था की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज और बताना चाहूंगा कि 18 हजार करोड़ रुपये इस राज्य सरकार के बजट का पी.एस.यू. में इनवेस्टेड है और उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 14वें वित्त आयोग से राज्य को जो पैसा आ रहा था, वह पूरे भारत के जो कर थे उसमें से 1.29 प्रतिशत आता था। 15वें वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ को जो रिकमन्डेशन दिया, वह 1.40 प्रतिशत किया है, बढ़ गया है, 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो हमको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, उसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि है। 15वें वित्त आयोग ने बहुत सारे राज्यों का काटा है और हमारा बढ़ाया है। इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा कि 14वें वित्त आयोग में राज्य के शेयर का जो पैसा था, पहले 42 प्रतिशत पैसा आता था, अब उसको घटाकर 15वें वित्त आयोग ने 41 प्रतिशत कर दिया है । 41 प्रतिशत करने के बाद हमारा 9 प्रतिशत बढ़ गया था। केन्द्र सरकार कहां भेदभाव कर रही है? केन्द्र सरकार कहां गड़बड़ काम कर रही है। इस बजट में राजस्व का जो पूरा प्रावधान किया गया है, हमारी आमदनी का जो प्रावधान किया गया है, उसमें लगभग 3 हजार करोड़ रुपये जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति से किया गया है जो राजस्व प्राप्ति का 3.53 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन जी.एस.टी. का बिल साईन हुआ था, उस दिन जो हमारे जैसे प्रोड्यूसिंग स्टेट थे, उनको 5 साल के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था दी गई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने जवाब में जानना चाहूंगा कि 5 साल बाद क्या होगा? ये और पैसा कहां जायेगा, ये पैसा खत्म हो जायेगा। इससे प्राप्ति नहीं होगी, हमने एग्रीमेन्ट किया है। ये बात तय है कि हमको जी.एस.टी. की कोई क्षतिपूर्ति 5 साल बाद नहीं मिलेगी। उस पर क्या होगा, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- छत्तीसगढ़ के लिए नुकसानदायक है, जी.एस.टी के समझौते में दस्तखत आपकी पार्टी के मंत्री ने किया है। उस समय उनको इस बात को सोचना चाहिए था कि 5 साल बाद क्या होगा। छत्तीसगढ़ का अधिकांश पैसा जो यहां पहले रूकता था, वह केन्द्र में जी.एस.टी. में चला जा रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- सर्वसम्मति से तय था। कांग्रेस की सरकार ने भी दस्तखत किया था, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। जी.एस.टी. में जो भी निर्णय होता है वह सर्वसम्मति से होता है। आज तक जी.एस.टी. कौंसिल में वोटिंग नहीं हुई है और जी.एस.टी. में जो भी निर्णय हुआ है, वह सर्वसम्मति से हुआ है। सारी पार्टियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जी.एस.टी. लाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस तरह का बजट है, हमको वास्तविकता जाननी चाहिए। इस प्रदेश की जनता का यह पैसा है और प्रदेश की जनता में मैंने केवल यह बताने का प्रयास किया है कि जो आंकड़े दिखाये जा रहे हैं उन आंकड़ों के अंदर कहानी कुछ और है और उस कहानी को समझने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा कि इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा कि थी कि माननीय सभी विधायकों को जनसंपर्क के लिये 10 लाख रूपये मिलेंगे । इतने बड़े बजट में 4-5 करोड़ रूपये की यदि अतिरिक्त व्यवस्था जनसंपर्क की राशि के लिये कर भी दी जायेगी, आपकी घोषणा थी । सारे विधायकों ने बोल दिया 10 लाख रूपया मिलही । चिंता झन करा, सबला पैसा देबो । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी उनका अंतिम भाषण कहां हुआ है, क्यों निराश हो रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं । वे भाषण में दे देंगे, हम ताली ठोक देंगे, अगर वह पैसा आ जायेगा तो बेंच थपथपा देंगे लेकिन साढ़े 3 लाख रूपये ही मिला है । यह सारे विधायकों की चिंता है । उस घोषणा में मेज की थपथपाहट हुई थी, हम एक-बार फिर से मेजों की थपथपाहट करने के लिये तैयार हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अंतिम वक्ता के रूप में डॉ. रश्मि आशिष सिंह । 5 मिनट ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं बजट में उल्लेखित तखतपुर विधानसभा के लिये की गयी घोषणाओं के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । तखतपुर में एक गर्ल्स कॉलेज मिला है, तखतपुर को एक एस.डी.एम. कार्यालय मिला है । तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खुल रहा है और तखतपुर की सकरी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है और एक पुरौनी या भूर्सी दक्षिणा कहिए कि जो लोरमी में कृषि महाविद्यालय खुलेगा वह तखतपुर के बच्चों के लिये वह भी बहुत ही लाभदायक रहेगा क्योंकि 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस वाले तखतपुर विधानसभा के

अप्रमाणित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

बच्चे निश्चित तौर पर उस कृषि महाविद्यालय में पढ़ने जायेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- श्रीमती रश्मि सिंह जी, लोरमी का कृषि महाविद्यालय भूर्सी दक्षिणा नहीं है ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- भैया, तखतपुर के लिये है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह पूरे प्रदेश में इकलौता खुला है और इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है उस उपलब्धि का थोड़ा अच्छे से बखान करिए । कोई खैराती या उसमें नहीं मिला है । आपके लोग उसमें लाभांवित होंगे यह वहां के लोगों का बड़प्पन है लेकिन यह जो आपको मिला है न यह तो बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं । यह तो बहुत बड़ी चीज है ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- चलिये, तो मुख्य दक्षिणा के लिये आपको बधाई। मैं भूर्सी दक्षिणा ग्रहण कर लेती हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसके लिये तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को खुद बधाई दूंगा लेकिन आप उसको भूर्सी दक्षिणा मत बोलिए । वह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- जी । भैया, मैं क्षमा चाहूंगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में नये पंचायतों के गठन के लिये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद । जो नयी धान खरीदी केंद्र चालू हुए हैं उसके लिये धन्यवाद । मैं बजट में उल्लेखित 461 करोड़ की जो छूट 400 यूनिट तक के बिजली उपभोक्ताओं को मिली जो लगभग 35 लाख 96,000 परिवार थे, जो 6 माह में लाभांवित हुए उनकी ओर से धन्यवाद दूंगी । प्रधानमंत्री आवास के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के अंशदान के रूप में 1600 करोड़ के बजट में प्रावधान से निश्चित तौर पर ग्रामीण जनता लाभांवित होगी । सरगुजा, बस्तर और कोरबा जिले में तृतीय एवं चतुर्थ पद के कर्मचारियों की भर्ती के लिये विशेष कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वह उस क्षेत्र के बेरोजगारों के लिये एक बहुत ही उपयोगी व्यवस्था होगी । गांव में जब हम दौरे में जाते हैं तो ग्रामीण अंचल के जो वृद्ध या परेशान लोग होते हैं वह मुख्यत: निराश्रित पेंशन, मनरेगा और मजदूरी के भुगतान के लिये बैंकिंग की समस्या की शिकायत हमेशा से करते आये थे इस ओर ध्यान देते हुए हमारे मुखिया जी ने बजट में जो बीसी सखी योजना चालू की है उसके लिये मैं उनका बहुत अधिक धन्यवाद दूंगी क्योंकि पेंशन की राशि केवल 350 रूपये है और उसको लेने जाने में उनको परेशानी भी होती थी, परिवहन में भी उनका काफी पैसा बर्बाद हो जाता था तो जब यह अमल में आने लगेगा तो एक बहुत बडा वर्ग लाभांवित होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा 685 रूपये धान के लिये जो 2500 रूपये भुगतान की घोषणा की गयी थी कि धान का मूल्य 2500 रूपये मिलेगा तो इस विषय में जो चल रही अनेक प्रकार की चर्चाएं थीं वह समाप्त हुई हैं और 51 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान इस हेतु है इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । ओलावृष्टि लगभग 1 माह में

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कई बार बारिश होने से ओलावृष्टि में जो फसलों के नुकसान से फसल बीमा की भरपाई हेतु 366 करोड़ रूपये के प्रावधान के लिये भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब के रूप में जो 15,000 क्लब बनेंगे उससे युवाओं को समाज में जो नयी दिशा देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं उसके लिये भी मैं धन्यवाद देती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए । मैं समझता हूं सभा इससे सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और हाट बाजार क्लीनिक के द्वारा 28 लाख लोगों को अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है । बजट में उल्लेखित है कि राज्य में स्वयं के संसाधनों में 11 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है । इसकी निश्चित तौर पर सराहना होनी चाहिए कि एक वर्ष में ही इस तरह की अनुकूलता के परिणाम आने लगे हैं । पहले कुछ लाख परिवारों को जो पीडीएस में लाभान्वित नहीं किया गया था, सभी को पीडीएस का लाभ देने से पीडीसी से संबंधित शिकायतें कम होंगी और पूरे क्षेत्र की जनता उस राशन कार्ड से इलाज पाएगी, यह एक अभिनव प्रयोग है और हर विधान सभा में जो ग्रामीण अंचल के लोगों को यदि स्मार्ट कार्ड से कोई परेशानी आती थी तो एक राशन कार्ड का नम्बर अंकित करने पर वे इलाज पाने लगे हैं, यह एक सराहनीय प्रयास है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं । पोषण आहार के लिए 766 करोड़ का प्रबंध किया गया है । जिससे कि कुपोषण से मुक्ति मिल सकेगी । अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं कांग्रेस से हूं तो मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि नवा रायपुर में झीरम शहीदों के लिए स्मारक का बजट में प्रावधान किया गया है, इससे झीरम के शहीदों की शहादत को चिर-स्थायी बनाया जाएगा । इसके लिए भी मैं साधुवाद देती हूं । आईपीईजी एकीकृत ई-शासन परियोजना से नागरिकों को होने वाले लाभ भविष्य में दिखाई देंगे, जब एक बार के पंजीयन में वे अनेक बार उन दस्तावेजों को प्राप्त कर सकेंगे, बार-बार ऑफिस का चक्कर उन्हें नहीं लगाना पड़ेगा । आईआईटी, आईआईएम और एम्स में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए भार शासन वहन करेगा और बाद में यदि वे इच्छुक होंगे तो छत्तीसगढ़ में ही उन्हें नौकरी दी जाएगी, यह सराहनीय कदम है मैं इसकी भी प्रशंसा करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् बोल दीजिए ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज दिनांक 4 मार्च, 2020 को प्रश्नोत्तर सूची में अंकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 1226) पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर मैंने प्रकरण की जांच सदन की समिति से कराने की घोषणा की थी । पश्चात माननीय विधि मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसंदी का ध्यान इस बिंदु की ओर आकर्षित किया कि जिस मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा की गई है, निर्णय दिया जा चुका है । ऐसी स्थिति में विधान सभा की समिति जांच कर सकती है क्या ?

इस पर माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह उल्लेख किया कि इस विधान सभा को पूरा अधिकार है कि ज्यूडिशियल इंकवायरी के बाद भी विधान सभा की समिति जांच कर सकती है । तत्समय आसंदी द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि आसंदी इस विषय पर अपनी व्यवस्था देगी । मैंने प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी का अवलोकन भी किया, इस संबंध में मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है -

जिन बिंदुओं पर आज माननीय सदस्यों ने प्रकरण की जांच सदन की समिति से कराने का अनुरोध किया है । विधान सभा की समिति केवल अपनी जांच उन्हीं बिंदुओं तक सीमित रखेगी । प्रकरण की जांच सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 5 मार्च, 2020 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित ।

(सायं 5 बजकर 34 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 5 मार्च, 2020 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 04 मार्च, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं